Monday, 07 September, 1959

लोक सभा

वाद विवाद

द्वितीय माला

खंड ३४, १९५९/१८८१ (शक)

[१ अगस्त से १२ सितम्बर १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-98
Fumigated
On 10.11.83
Parliament Library

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३४ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३४—अंक २१ से ३१—३१ अगस्त से १२ सितम्बर, १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

९ भाद्र, १८८१ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९६२ से ९७०, ९७२, ९७४ से ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८४ और ९८५	२६६९–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६१, ९७१, ९७३, ९७७, ९७८, ९८१, ९८३ और ९८६ से १०१०	२६९३–२७०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०९ से १९००	२७०६–४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७४४-४५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२७४५
राज्य सभा से सन्देश	२७४५
याचिका का उपस्थापन	२७४५
सदस्य के सभा से बाहर जाने के बारे में	
विधेयक पुरस्थापित	२७४६–४७
(१) जिनेवा अभिसमय विधेयक	२७४८
(२) केरल विनियोग विधेयक	२७४८
सरकारी बचत बैंक (संशोधन) विधेयक	२७४८–६०
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७४८–६०
खण्ड २ से ९ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७६०
सरकारी बचत प्रमाण पत्र विधेयक	२७६०–६३
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७६०–६२
खण्ड २ से १३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७६२–६३
लोक ऋण (संशोधन) विधेयक	२७६४–६५
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७६४–६५
खण्ड २, ३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७६५

पृष्ठ

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २७६६—८६

सभा का कार्य . . २७८६—८६

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा। २७८६—६४

दैनिक संक्षेपिका २७६५—२८०२

अंक २२—मंगलवार, १ सितम्बर, १६५६

१० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०११, १०१२, १०३७, १०१४ से १०२१ और १०२३ . . . . २८०३—२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . २८६४—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३, १०२२, १०२४ से १०३६ और १०३८ से १०५२ . . २८२४-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०१ से १६७२ २८३६—६४

स्थगन प्रस्ताव . २८६५—६८

(१) स्थल सेनाध्यक्ष का कथित त्याग-पत्र

(२) खाद्य स्थिति

स्थगन प्रस्तावों के निबटाने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में . २८७०

दामोदर घाटी निगम की नहर के टूटने के बारे में वक्तव्य . २८६८—७०

विधेयक-पारित—

केरल विनियोग विधेयक . . . २८७०

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २८७१—८३

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (दिल्ली) . २८८३—८६

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (हिमाचल प्रदेश) . २८८६—६३

शस्त्र विधेयक . . . . २८६३—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिये प्रस्ताव। .

हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटिड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८६६—२६१६

दैनिक संक्षेपिका . . २६१७—२२

पृष्ठ

अंक २३—बुधवार, २ सितम्बर, १९५९
११ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०५४ से १०५६, १०५८ से १०६१, १०६३ से १०६६, १०६९ से १०७१, १०७३ से १०७५, १०७७ और १०७८ . २९२३—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५७, १०६२, १०६७, १०६८, १०७२, १०७६ और १०७९ से १०९४ . . . . . . २९५१—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १९७३ से २०७१ . २९६२—३०१०

स्थगन प्रस्ताव . . . ३०१०—१८

स्थल सेनाध्यक्ष का त्याग-पत्र

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३०१८—२२

पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . ३०२२

उनचासवां प्रतिवेदन

भाखड़ा बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३०२३—२४

विधेयक पुरस्थापित ३०२५

(१) त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक, १९५९।

(२) विनियोग (संख्या ७) विधेयक, १९५९।

त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) अध्यादेश के बारे में विवरण . . . ३०२५—२६

राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३०२६—६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३०६५—७१

अंक २४—गुरुवार, ३ सितम्बर, १९५९
१२ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०९५ से ११०२, ११०४ से ११०७, ११०९, ११११ और १११३ . . . . . ३०७३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०३, ११०८, १११०, १११२ और १११४ से ११३१ . . . . ३०९६—३१०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०७२ से २१४४ . ३१०४—३१

विषय-सूची

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . ३१३२—३४

कलकत्ता में स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१३४

राज्य सभा से सन्देश ३१३४–३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१३५–३६

अम्बाला की बाढ़ में सेना द्वारा सहायता

जानकारी का प्रश्न ३१३६–३७

संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी कार्य के लिये प्रतिरक्षा मंत्री की अनुपस्थिति

विधेयक—पारित . . ३१३७

विनियोग (संख्या ७) विधेयक ।

राज-भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३१३८—८२

दैनिक संक्षेपिका . . ३१८९—९४

अंक २५—शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९

१३ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११३२ से ११३६, ११३८, ११३९, ११४४, ११४० से ११४३, ११४६, ११४९ से ११५१ और ११५३ से ११५६ . . ३१९५—३२२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ११ . . . ३२२१—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४५, ११४७, ११४८, ११५२ और ११५७ से ११७८ . . . . ३२२५—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४५ से २२१७ . . . ३२३५—६३

स्थगन प्रस्ताव . . . . ३२६४—६९

पश्चिम बंगाल में स्थिति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२६९

राज्य सभा से सन्देश . . . ३२६९–७०

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक . . . ३२७०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

विशेषाधिकार समिति . ३२७०

दसवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३२७०—७२

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई बातचीत ।

	पृष्ठ
सभा का कार्य	३२७२—७३
समिति के लिये निर्वाचन	३२७३
लोक लेखा समिति	
खान (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित	३२७३
राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२७४—९४
सभा के कार्य के बारे में	३२९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उनचासवां प्रतिवेदन।	३२९४
तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के बारे में संकल्प	३२९४—३३२०
हैदराबाद में अथवा बंगलौर में लोक-सभा का सत्र होने के बारे में संकल्प	३३२०
दैनिक संक्षेपिका	३३२१—२७

अंक २६—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

१६ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ से ११८४, ११८६ से ११९६ और ११९८ से १२०१	३३२९—५३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३	३३५४—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५, ११९७, १२०२ से १२१३ और १२१५	३३५७—६३
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २३०८ और २३१० से २३२५	३३६३—३४१२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३४१३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४१३—१६
राज्य सभा से सन्देश	३४१६
नंगल में हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३४१६—२०
विशेषाधिकार समिति	३४२०
दसवां प्रतिवेदन	
जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३४२०—४१
दैनिक संक्षेपिका	३४४२—४८

पृष्ठ

अंक—२७—मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

१७ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२१८, १२२० से १२२६ और १२२८ से १२३२ . . . . ३४४९—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१९, १२२७ और १२३३ से १२५२ . . ३४७२—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२६ से २३९३ . . . ३४८१—३५०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ३५०६—०७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ३५०७

सोलहवां प्रतिवेदन।

हुगली नदी में एक छोटे जहाज की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५०७—०८

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . ३५०८—२४

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३५२४—२९

कार्य मंत्रणा समिति ३५३९

तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५४०—४५

अंक २८—बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९

१८ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२५८, १२६० से १२६७ १२६९, १२७० और १३०० . . . . ३५४७—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ . . . . ३५७०—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५९, १२६८, १२७०क, १२७१ से १२७४, १२७४क, १२७५ से १२९९, १३०१ से १३०३, १३०३क, १३०४ से १३०९, १३०९क, और १३१० . ३५७५—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९४ से २४३७, २४३९ से २४८५, २४८७ से २५०५, २५०५-क, २५०५-ख, २५०५-ग . ३५९४—३६४२

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र . . .	३६४२
राज्य सभा से सन्देश . .	३६४२
याचिका समिति .	३६४२
कार्यवाही सारांश ।	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	३६४३
छठा प्रतिवेदन ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	३६४३
पचासवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	३६४३
सातवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या १६७८ के उत्तर की शुद्धि	३६४३—४४
कार्य मंत्रणा समिति	३६४४—४६
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ।	
त्रावणकोर कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक	३६४६—५३
विचार करने के लिये प्रस्ताव ।	
खण्ड १ से ४	३६५३
पारित करने के लिये प्रस्ताव	३६५३
भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	३६५३—६४
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३६६४—८३
आधे घण्टे की चर्चा .	३६८३—९१
(एक) एवरो ७४८ का निर्माण ।	
(दो) डकोटा विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का रखा जाना	
दैनिक संक्षेपिका	.३६९२—३७००

अंक २९—गुरुवार, १० सितम्बर, १९५९

१९ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या १३११ से १३२१ और १३२३ से १३२५ .	३७०१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२२, १३२६ से १३३४, १३३४-क, १३३५ से १३५२, १५२-क, और १३५३ से १३६२	३७२४—४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०६ से २६२६, २६२६-क, २६२६-ख, २६२६-ग, और २६२६-घ ३७६१–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर में शुद्धि ३७६२

स्थगन प्रस्ताव . ३७६२—६४

जलूस पर कथित हमला ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७६४—६६

राज्य-सभा से सन्देश . . ३७६६

विविध व्यक्तिगत (विधियां) विस्तार विधेयक . ३७६७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया । .

तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर की शुद्धि . ३७६७

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ३७६७–३८०३

खण्ड २ तथा १ . ३८०३

पारित करने के लिये प्रस्ताव . ३८०३

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३८०३—२०

भाखड़ा बांध की एक सुरंग के हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ३८२०—५०

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३८५०–५३

दैनिक संक्षेपिका ३८५४–६२

अंक ३०—शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५९

२० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १३६३ से १३६५, १३६७ से १३७०, १३७३ से १३७५ और १३७८ से १३८१ ३८६४–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६६, १३७१, १३७२, १३७६, १३७७, १३८२ से १३९०, १३९०-क, १३९०-ख, १३९१ से १४०२, १४०२-क, १४०३ से १४०९ . . . . . . ३८८६–३९०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२७ से २७११, २७१३ से २७२१ और २७२३ से २७२७, २७३० और २७३१ . . . ३९०१–४४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर में शुद्धि ३९४४

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . ३९४५

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३६४५–४६

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश में संशोधन ३६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ३६४७
कार्यवाही सारांश।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३६४७
कार्यवाही सारांश

राज्य सभा से सन्देश . ३६४७

अनुपस्थिति की अनुमति . . ३६४८

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९ के उत्तर की शुद्धि ३६४८

डाक तथा तार बोर्ड के बारे में वक्तव्य . . . ३६४८—५०

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३६५०—६७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ३६६७
पचासवां प्रतिवेदन।

मिर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—वापस लिया गया ३६६७—७०

विचार करने के लिये प्रस्ताव

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक ३६७०—८७
संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये सहमति प्रस्ताव।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक ३६८७—९०
(धारा १९८ का संशोधन)।
विचार करने के लिये प्रस्ताव।

आधे घण्टे की चर्चा . . . . . ३९९०—९९
(१) मद्रास में सहकारी चीनी मिलें।
(२) आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना।

दैनिक संक्षेपिका . ४०००—०८

अंक ३१—शनिवार, १२ सितम्बर, १९५९

२१ भाद्र १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ से १८ . ४००९—१४

स्थगन प्रस्ताव . . . . ४०१४—१६

	पृष्ठ
भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बारे में .	४०१४–१५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	४०१५
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही सारांश	
राज्य सभा से सन्देश	४०१५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	४०१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।	४०१६–१७
(१) सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान द्वारा शिकायत।	
(२) सी हाक जैट विमानों की खरीदारी।	
भाखड़ा बांध के बारे में वक्तव्य . .	४०१७
भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव	४०१७–५९
गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	४०५९—६४
दैनिक संक्षेपिका .	४०६५–६६
आठवें सत्र का कार्यवाही सारांश	४०६७–६८

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

१६ भाद्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के लिए वृहत्तर योजना

\+

†*११७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राधा रमण :
श्री प्र० गं० देव :
सरदार अ० सिं० सहगल :
श्री वीरेन्द्र सिंहजी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९८१ तक ५५.१ लाख की जनसंख्या पर आधारित दिल्ली के लिये वृहत्तर योजना के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) योजना का प्रारूप तैयार करने में अब तक लगभग कितना व्यय हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३०-६-१९५९ तक २७ लाख रुपये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या माननीय मंत्री ने इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है अथवा वह इस पर विचार नहीं कर रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

226 (Ai) LSD—1

†**श्री करमरकर :** जी नहीं, योजना चल रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस योजना को तैयार करने में कितनी प्रगति की गई है और क्या अन्तरिम योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक अन्तरिम सामान्य योजना का संबंध है, सरकार ने यह निश्चय किया है कि जब तक वृहत्तर योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, वर्तमान प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम योजना पर विचार किया जाना चाहिये । वृहत्तर योजना अब प्रारूप की अन्तिम अवस्था में है । इस मास के अन्त तक मोटा प्रारूप बन कर तैयार हो जायेगा । इसमें इतना समय मुझे इसलिये लग गया क्योंकि ये सब सर्वेक्षण भी किए जाने थे । तत्पश्चात् वह आलोचना और जांच के लिये उपलब्ध हो सकेगी । इसके बाद लगभग दो मासों में योजना पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली का विस्तार किस दिशा में करने का है ?

†**श्री करमरकर :** उन दिशाओं के बारे में अन्तरिम सामान्य योजना में विस्तृत रूप से बताया गया है । किन्तु जब तक कि वृहत्तर योजना पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक हमें इसके लिये प्रतीक्षा करनी होगी । स्वाभाविक है कि दिल्ली का विस्तार दक्षिणी दिशा की ओर अर्थात् कुतुब और मेहरौली आदि की ओर हो रहा है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या वृहत्तर योजना पर आलोचना एवं जनता की राय प्राप्त हो जाने के बाद उस पर अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले सरकार का विचार उसे संसद् के सम्मुख रखने का है ?

†**श्री करमरकर :** व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इसके बारे में सोचने में मुझे कुछ समय लगेगा ।

†**श्री पद्म देव :** क्या इस स्कीम के मातहत पुरानी दिल्ली के सुधार और वर्तमान नई दिल्ली की भूमि के भीतर भी कुछ मकानात बनाने की योजना है ?

†**श्री करमरकर :** जो भी खुली स्पेसेज़ उपलब्ध होंगी और जिनको कि हम रेज़िडेंशल लोकैल्टीज़ मान लेंगे वहां मकान बनाये जायेंगे ।

नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की उपसमिति

+

†*११८०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति के प्रतिवेदन पर बोर्ड ने विचार कर लिया है ; और

(ख) क्या बोर्ड ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड ने पत्तनों में कल्याण संबंधी विशेष उप-समिति की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पत्तनों पर नाविकों के लिये उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने वाली उप-समिति ने कौन-कौन सी विशेष सिफारिशें की हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : विशेष सिफ़ारिशें होस्टलों और क्लबों की इमारतों की व्यवस्था अथवा विस्तार करने, नाविकों के लिये अस्पतालों और औषधालयों संबंधी सुविधाएं देने, यातायात और शिक्षा आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सिफारिशों के अनुसार कुछ कार्य आरम्भ हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर** : राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड ने उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जो कार्यान्वित की जाने वाली हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि वास्तव में कार्य आरम्भ हो गया है क्योंकि एक समिति नियुक्त की गई है जो इन सिफारिशों पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी और सिफारिशों में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिये स्थानों का पता लगायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : इस राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की ४ मई, १९५९ को हुई बैठक के परिणामस्वरूप क्या चालू वर्ष के लिये कुछ बड़े-बड़े पत्तन जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बनवाई जाने वाली भिन्न-भिन्न इमारतों के बारे में कुछ बताया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं अभी निवेदन कर चुका हूं, इमारतें आदि बनवाने के लिये स्थान का चुनाव करने के बारे में की गई विशेष सिफारिशों की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की गई है । फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि उसनें बनवाई जाने वाली विभिन्न इमारतों के बारे में कुछ संकेत किया है ।

विशाखापटनम पत्तन

†*११८१. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम पत्तन की मशीनीकरण योजनाओं के लिये मशीनों और उपकरण अभिकर्ताओं से डिज़ाइन और रूप रेखा का संभरण करने के लिये कहा गया है ;

(ख) क्या कोई परामर्शदाता नहीं नियुक्त किया गया है ; और

(ग) क्या प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या जिस मशीन की आवश्यकता होगी वह निर्माता लगायेंगे अथवा विभाग द्वारा उसका प्रबन्ध किया जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : प्रश्न डिजाइन के बारे में है जो विभाग द्वारा किया गया है। हम ने उन भिन्न-भिन्न सार्थों से, जो यह व्यापार करते हैं, अपने प्राक्कलन देने और यदि वे दे सकें तो वैकल्पिक डिज़ाइन भी देने के लिए कहा है। मैं समझता हूं कि संभवतः यह कार्य टेण्डर भेजने वाली फर्मों द्वारा ही किया जायेगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इसका निर्देश निर्माताओं को ही किया गया है अथवा ठेकेदारों को भी ?

†श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि निर्माता स्वयं आकर विभिन्न प्रकार की मशीनें लगायेंगे। मशीनें लगाने का काम कोई और लोग ही करेंगे।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस पत्तन के मशीनीकरण के लिए विकास परामर्शदाता को कोई वैकल्पिक डिज़ाइन प्राप्त हुए हैं ?

†श्री राज बहादुर : वैकल्पिक डिज़ाइन यदि आने हैं तो टेण्डर देने वालों अथवा उन फर्मों के पास से आने चाहियें जिन से मांगे गये हैं। मूल डिज़ाइन विकास परामर्शदाता का है।

†श्री तंगामणि : क्या किन्हीं फर्मों ने उनका उत्तर दिया है ?

†श्री राज बहादुर : कुछ उत्तर प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनके डिजाइनों और विशेष विवरण में कोई विशष परिवर्तन नहीं है।

विमान द्वारा भाड़े की दरें

+

†*११८२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वायु यातायात परिषद् द्वारा उचित भाड़े की दरों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मामले में कहां तक प्रगति की गई है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन न कहा है कि वे अब पुनरीक्षित आधारभूत भाड़े की दरों की संगणना समाप्त कर रहे हैं और जिसके चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लागू करने की आशा की जाती है।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय उपमंत्री ने जिन पुनरीक्षित विमान भाड़ा दरों का उल्लेख किया है, ये भाड़े संसार के अन्य देशों की तुलना में कैसे हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने अभी अध्ययन समाप्त नहीं किया है। मेरे पास इस समय इसके आंकड़ नहीं हैं कि परिवर्तन किस प्रकार होगा। विदेशों की दरों से अपने देश की दरों की तुलना करना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विमान भाड़े की दरों के पुनरीक्षण के बारे में कुछ समय पूर्व एक समिति नियुक्त की गई थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के काम में इतना विलम्ब कैसे हो गया। इससे एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय पर काफी असर पड़ेगा।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बारायन)** : विभिन्न देशों के भाड़ों की दरों को एकत्र कर पाना सरल काम नहीं है। हम आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और प्राप्त होते ही हम या तो उन्हें माननीय सदस्य को दे देंगे अथवा सभा-पटल पर रख देंगे। आंकड़ों के उपलब्ध न होने पर प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं। पिछली बार हमें बताया गया था कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक यह पुनरीक्षण हो जाने की संभावना है। फिर यह काम छः सात महीनों के लिए क्यों आगे बढ़ा दिया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह बड़ा जटिल प्रश्न है। भाड़े की दरों में परिवर्तन करने से या तो एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि हो जायगी और या घाटा होगा। उदाहरण के लिए कारपोरेशन द्वारा १९५५-५६ में ५४,००० टन माल लाया गया। १९५८-५९ में यह मात्रा बढ़कर ५०,००० टन हो गई। दरों में परिवर्तन होने से उसे भी भय बना रहेगा क्योंकि उससे कारपोरेशन द्वारा मंगाये गये माल में कमी हो सकती है। अतः वह भी बड़ा सजग है। मैं जानता हूं कि इस में काफी विलम्ब हो गया है किन्तु हमें उनको कुछ समय भी तो देना चाहिए।

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में जल का उपयोग

+

†*११८३. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कुन्हन : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी क्षेत्र में जल के पूर्ण और यथोचित उपयोग करने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई टोली के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री नागी रेड्डी** : जबकि बांध में जल स्टोर करने का काम १९५२-५३ से आरम्भ हो गया था तो फिर जल के उपयोग करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : टोली ने कुछ कारण बताये हैं और जो सिफारिशें उसने कीं वे पश्चिमी बंगाल सरकार को बता दी गई हैं। जैसा कि उत्तर से ही विदित होता है, इस टोली की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा की गई थी जब कि इस कार्य का सम्पादन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार ने इस नहर के पूरे बन जाने के पश्चात् तिलैया और कोनार बांधों के लिए नहरों के बारे में कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ?

†**श्री हाथी** : इस पर विचार करना सरकार का काम न होकर दामोदर घाटी निगम का है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल सिंचाई (दामोदर घाटी निगम के जल के लिए जल शुल्कारोपण) अधिनियम पारित किया है । क्या समिति की ये सिफारिशें, कि जल शुल्क दो-तीन वर्षों बाद वसूल किया जायगा, वह थोड़ा-थोड़ा करके और सम्पूर्ण शुल्क छठे वर्ष वसूल किया जायेगा, उस विधान में सम्मिलित कर ली गई हैं अथवा नहीं ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न तो शुल्क के बारे में है । माननीय सदस्य जल की दर के बारे में पूछ रहे हैं । ये दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं ?

†**श्री कुन्हन** : दामोदर घाटी निगम के अधीन नहरों से कुल कितनी भूमि की सिंचाई हो सकती है और १९५८ में कुल कितनी भूमि की सिंचाई की गई थी ?

†**श्री हाथी** : ९७३,००० एकड़ कुल भूमि की सिंचाई की जानी है । १९५८-५९ में पांच लाख एकड़ भूमि तैयार हो जायगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : पहले बिहार में भी कुछ भूमि की सिंचाई करने का अनुमान लगाया था । क्या वहां भी सिंचाई करने के लिए कुछ कारंवाई की गई थी ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या समिति की यह सिफारिश कार्यान्वित की जा रही है या नहीं कि खेतों की नालियों का संगठन सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिए ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैं कह चुका हूं इस कार्य को पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किया जायेगा । समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि खण्ड बड़े हों, तो फिर परियोजना के द्वारा किया जाना चाहिए और बाद को किसानों से वसूल कर लिया जाना चाहिए ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : बिहार में भूमि को न सींचने के क्या कारण हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अलग प्रश्न पूछने पर बताया जा सकता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : टोली की सिफारिशों के अनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार १ सितम्बर, १९५९ से बंगाल की सम्पूर्ण नहर व्यवस्था अपने हाथों में लेने जा रही है । क्या दामोदर घाटी निगम के बारे में भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई है जो कि बिहार में पड़ता है, जो बिहार सरकार के अधीन आ जायगा जिससे उससे लाभ उठाया जा सके ।

†**श्री हाथी** : योजना आयोग ने इस टोली की नियुक्ति केवल पश्चिमी बंगाल में जल के उपयोग की जांच के लिए की थी ।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दामोदर घाटी निगम ने नहरों के साइड स्लिपिंग के कारण सिंचाई में कमी कुछ स्थानों पर जल के कटाव और सामान्य क्षतियों एवं रेग्युलेटर के कुछ हिस्सों की चोरी प्रमुख कारण बताये हैं । क्या समिति ने इन कारणों की जांच करके इस सम्बन्ध में अपनी कुछ सम्मति दी है, यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं कि उसने कोई राय नहीं दी है। किन्तु उसने यह सूझाव दिया है कि दुहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिये और इसे पश्चिमी बंगाल सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए।

पर्ल बैंक्स का सर्वेक्षण

+

†*११८४. { **श्री शिवनंजप्पा :**
श्री सै० अ० मेहदी :

†क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनस्पतिशास्त्र वेत्ता डा० एफ० बी० सर्वाडोरी ने, जिनको खाद्य तथा कृषि संगठन की ओर से बुलाया गया है, हाल ही में मन्नार की खाड़ी के पास पर्ल बैंक्स (मोती पाय जाने वाले तटों) का सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) डा० सलवाडोरी ने नवम्बर १९५८ से मई, १९५९ के दौरान में मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरिन के पास मोती पाये जाने वाले कुछ तटों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) अभी नहीं।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या मोती पाये जाने की सम्भावनाओं का पहले भी सर्वेक्षण किया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** कोई भी वैज्ञानिक गवेषणा जैसी चीज नहीं हुई थी। एक सीज़न में वे समुद्र में गोता लगा कर मोती की खोज कर रहे थे। किन्तु कोई भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस समय मोतियों का कितना उत्पादन होता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वह प्रतिवर्ष बदलता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिवर्ष ३ और ४ लाख के बीच रहता है।

कटक में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये राजसहायताप्राप्त होस्टल

†*११८६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये राज्य सहायता प्राप्त होस्टल बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक उसका प्राक्कलन पूरा तैयार हो चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जब तक स्थायी रूप से इमारत नहीं बन जाती एक रेलवे की इमारत में छोटे पैमाने पर हाल ही में एक राजसहायताप्राप्त होस्टल खोला जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) होस्टल के लिये स्थायी इमारत का प्राक्कलन अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : कटक के एक रेलवे होस्टल में पहले १०० छात्रों को रखने का निश्चय किया गया था । अब कितने छात्रों को उसमें रखा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : होस्टल अभी खुला नहीं है । किन्तु आरम्भ में २५ छात्रों को रखा जा सकेगा । धीरे-धीरे उसमें १०० छात्रों को रखा जा सकेगा ।

†**श्री पाणिग्रही**: इस राज्यसहायताप्राप्त होस्टल में छात्रों को किस प्रकार की राज्य सहायता प्राप्त होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : भोजन और निवास के रूप में सहायता मिलेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारी प्रत्येक भाषा-भाषी क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये १३ इसी प्रकार के होस्टल खोलने की योजना चला रहे हैं? यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सम्पूर्ण भारत के लिये १३ इस प्रकार के होस्टल होंगे न कि प्रत्येक भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में इन होस्टलों का प्रचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, काफी प्रचार किया जा चुका है ।

श्री पद्मदेव : अभी मन्त्री जी ने कहा कि कटक और १२ जगहों में, कुल १३ जगहों में, रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये ऐसे होस्टल खोले जा रहे हैं जहां उनको लाजिंग और बोर्डिंग में सबसीडाईज किया जाएगा । क्या मैं जान सकता हूं कि जो रेलवे कर्मचारी दूसरी जगहों में काम कर रहे हैं क्या उनके बच्चों के लिये भी होस्टलों में इस किस्म की सुविधा दी जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन १३ होस्टलों में ही रियायत दी जाएगी या और जगह भी दी जायेगी ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): ये होस्टल इसलिये खोले जा रहे हैं कि रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी जो अपनी भाषा के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं उनके लड़कों की पढ़ाई में असुविधा न हो और इसी लिये उनको इन होस्टल्स में बोर्डिंग और लाजिंग में रियायत दी जाती है ।

†**श्री राधा रमण** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी इन होस्टलों से लाभ उठाना चाहेंगे, क्या इन होस्टलों में रखे जाने के लिये बच्चों के बारे में कोई न्यूनतम और अधिकतम आय निश्चित की गई है । यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जगजीवन राम : पहली बात तो यह है कि इन होस्टल्स में तीसरी और चौथी श्रेणियों के उन कर्मचारियों के बच्चे लिये जायेंगे जिनकी तनख्वाह डिअरनेस एलाउन्स मिलाकर ३०० रुपए मासिक तक है और इनमें भी जो कर्मचारी अपनी भाषा के क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : यदि यह राजसहायता धन के रूप में होने जा रही है, तो इन होस्टलों में प्रति मास छात्रों को कितना शुल्क देना होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जिन कर्मचारियों को १०० रुपये तक वेतन मिलता है उन्हें प्रति मास ७ रु० ८ आने देने होंगे। जिन कर्मचारियों को १०१ रुपये से २०० रुपये के बीच वेतन मिलता है, उन्हें प्रति मास १२ रुपये ८ आने देने होंगे। जिन कर्मचारियों को २०१ रुपये से ३०० रुपये के बीच वेतन मिलता है, उन्हें २० रुपये प्रति मास देना होगा। और जिन कर्मचारियों को ३०० रुपये से अधिक वेतन मिलता है उन्हें वास्तविक व्यय देना होगा जो सम्भवत: ३५ रुपये से ४० रुपये के बीच आयेगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : ये जो १३ होस्टल स्थापित होने वाले हैं इनमें से कितने स्थापित हो चुके हैं और कहां कहां ?

श्री शाहनवाज खां : ये जो सबसिडाइज्ड होस्टल खुलने वाले हैं, ये सिकंदराबाद, पूना. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : १३ में से कितने स्थापित हो चुके हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इसकी मैं इस वक्त डिफिनेट इनफारमेशन नहीं दे सकता। करीबन सब खुल चुके हैं।

मद्रास खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस आदेश

†*११८७. **श्री केशव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मद्रास खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस आदेश का क्षेत्र बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को कहां तक बढ़ा दिया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). पहले मद्रास खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस आदेश, १९५८ केवल मद्रास राज्य के लिये लागू किया गया था। राज्य सरकार ने अपनी शक्ति के अन्दर कार्य करते हुए लाइसेंस आदेश को १ अप्रैल, १९५९ से राज्य के बाहर के उन व्यक्तियों के लिये भी लागू कर दिया जो मद्रास राज्य में अपने राज्य को भेजने के प्रयोजन से आदेश की प्रथम अनुसूची में वर्णित कोई भी खाद्यान्न खरीदेंगे। सम्भवत: माननीय सदस्य ने मद्रास खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस आदेश के इसी क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में निर्देश किया है।

(ग) चूंकि दक्षिण के चावल खण्ड में एक राज्य से दूसरे राज्य में चावल के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और चूंकि अन्य राज्यों के बिना लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के कारण मद्रास राज्य के अन्दर कदाचार पैदा हो गया, इस कारण राज्य सरकार ने लाइसेंस आदेश को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि बाहर के राज्य का जो भी व्यक्ति अपने राज्य में ले जाने के प्रयोजन से मद्रास राज्य के भीतर आदेश की प्रथम अनुसूची में वर्णित कोई भी खाद्यान्न खरीदेगा उसे भी मद्रास खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस लेना पड़ेगा।

†**श्री केशव** : इस आदेश से लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा खण्ड के बाहर निर्यात करने पर क्या असर पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : इससे खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो आंकड़ों की दृष्टि से रखा गया है जिससे मद्रास सरकार को राज्य से बाहर भेजी गई मात्रा का ठीक-ठीक पता लग सके। इससे मद्रास सरकार को व्यापारियों पर लगाये गये कर और राज्य के धान कूटने की चक्कियों के मालिकों पर कर के बारे में भी सुविधा हो सकती है।

†**श्री तंगामणि** : धान कूटने की मिलों के मालिकों से खाद्यान्न एकक करने के सम्बन्ध में अर्थात् उन पर कर लगाने की दृष्टि से इस आदेश का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

†**श्री अ० म० थामस** : धान कूटने की मिलों के मालिकों पर ५० प्रतिशत और व्यापारियों पर २५ प्रतिशत कर है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस आदेश को चलाने में क्या अनुभव हुआ है? क्या इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने का विचार है?

†**श्री अ० म० थामस** : अन्य राज्यों में भी लाइसेंस नियन्त्रण आदेश जारी है इस प्रकार जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है, यह वहां के लिये कोई नई चीज़ नहीं है।

दिल्ली में जल सम्भरण

†*११८८. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) जैसा कि पिछली फरवरी में दिल्ली मंत्रणा परिषद् द्वारा निश्चय किया गया था, क्या दिल्ली में कितने जल की आवश्यकता होती है, इसका कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी है और उसको पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के अनेक भागों में कई बार नलों में गन्दा पानी आ जाता है और क्या इस खराबी को दूर करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है?

†**श्री हाथी** : यह दूसरी बात है। नलों में पानी कैसा आता है, इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिये था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यदि यह योजना आरम्भ नहीं की जाती तो क्या दिल्ली में जल सम्भरण में वृद्धि करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है?

†**श्री हाथी** : मैं तो सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकता की बात कर रहा हूं न कि सवक्षण और जल सम्भरण के बारे में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दिल्ली में जल की आवश्यकता के बारे में।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को पता है कि पंजाब से जल के यथोचित मात्रा में उपलब्ध न हो सकने के कारण दिल्ली के कुछ गांवों में सिंचाई को बड़ा नुकसान पहुंचा है और क्या इस

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कोई बातचीत इस बारे में की गई है अथवा अन्तिम रूप से कोई आदेश जारी किया गया है कि जिससे गांव वालों को अपनी फसलें उगाने के लिये फसल पर पानी मिल सके ?

†**श्री हाथी** : इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत करके कार्यवाई की जा रही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : एक औचित्य प्रश्न पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न दिल्ली में जल संभरण के बारे में था ; सिंचाई के लिये नहीं अपितु पीने के जल के बारे में था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि यह प्रश्न सिंचाई मंत्री को संबोधित किया गया है । वह केवल सिंचाई के बारे में ही बता सकेंगे । स्वास्थ्य मंत्री संभवतः पीने के जल के बारे में आंकड़े दे सकते । इस अवसर पर हम इस प्रश्न को स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं भेज सकते । अगला प्रश्न ।

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र

*११८९. **श्री पद्म देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन को किसी ऐसे योग्य शिक्षा-प्राप्त बोटेनिस्ट की सेवायें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं जिसके ऊपर प्रस्तावित आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र का कार्य भार सौंपा जाय ।

(ख) टकनिकल स्टाफ के मिलते ही केन्द्र चालू हो जायेगा ।

श्री पद्म देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि हिमाचल सैन्टर के अधीन है, तो क्या सारे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, जो कि वहां भेजा जा सके और इस को चालू कर सके ।

श्री करमरकर : काबिल व्यक्ति होंगे । उन को नहीं मिले ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में भेज सकती है ?

†**श्री करमरकर** : यदि वे कहें तो हम राज्य सरकारों के पास परिपत्र भेज देंगे परन्तु हम स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ।

श्री पद्म देव : इन बारह सालों में यदि यह ठीक समझा गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली अपने देश के लिये उपयुक्त है, तो क्या इस अरसे में सरकार न कोई ऐसे प्रयत्न किये हैं, जिस से इस विषय के योग्य व्यक्ति तैयार किये जायें ?

†**श्री करमरकर** : प्रश्न यह है कि उन्हें एक वनस्पति विज्ञान वेत्ता, न कि आयुर्वेद शास्त्री, नहीं मिल सका । मैं इसकी पूछ ताछ करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि रिसर्च सेन्टर में केवल औषधियों पर गवेषणा होगी, या गवेषणा करने वाले कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग भी होगी ?

†**श्री करमरकर :** पहले व्यक्ति मिलेंगे, उस के बाद ही ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायगी।

†**श्री आचार :** क्या समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर आवेदन पत्र मांगे गये हैं ?

†**श्री करमरकर :** इसका निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार को करना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** लखनऊ में हमारी राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला है। क्या इस काम के लिये वहां से एक वनस्पति विज्ञान वेत्ता की सेवायें प्राप्त नहीं की जा सकतीं ?

†**श्री करमरकर :** मैं यह सुझाव भी भेज दूंगा।

श्री पद्म देव : माननीय उपाध्यक्ष जी, बाटेनी आयुर्वेद का एक अंग है और यह कोई अलग चीज़ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस तरह बहस न करें। वह जो सवाल पूछना चाहते हैं, वह पूछें।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी ने अभी फ़रमाया है कि चूंकि यह बाटेनी का प्रश्न है, इस लिए आयुर्वेद से ताल्लुक नहीं रखता। मैं ने प्रश्न किया था कि बारह साल हो गए हैं, लेकिन आयुर्वेद से सम्बन्धित इस विषय के लिए अभी तक कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं किए जा सके, जो कि इस में कार्य कर सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि यह इस का भाग है, तो फिर कोई आदमी प्रशिक्षित क्यों नहीं किया गया है।

†**श्री करमरकर :** इस आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र में आयुर्वेदिक भेषज तैयार होते हैं। इसलिये वनस्पति विज्ञान वेत्ता की ज़रूरत पड़ी जिसकी सेवायें प्राप्त करने में पूरी कोशिश के लिये मैं उन से निवेदन कर दूंगा।

नौसेना प्रशिक्षण स्कूल, रत्नगिरी

†*११९०. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि रत्नगिरी ज़िले में एक नौसेना प्रशिक्षण स्कूल खोला जाय; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**श्री आसर :** क्या प्रशिक्षण स्कूल के लिये कोई स्थान चुना गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** चर्चा करते समय यह सुझाव दिया गया था कि थिबू राजा के महल को इस कार्य के लिये उपलब्ध किया जाये। बाद में उस समय के परिवहन तथा संचार मंत्री, श्री स० का० पाटिल ने मुख्य मंत्री को लिखा कि वह निःशुल्क इसे उपलब्ध करे।

†**श्री आसर :** स्कूल कब से चालू होगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर :** मेरे ख्याल से बम्बई सरकार सहमत हो गई है। अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हमें कुछ अन्य बातों पर विचार करना पड़ेगा।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या इस प्रस्थापना पर विचार करते समय सरकार खखड़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी जहां बहुत से माहीगीर रहते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** वस्तुतः सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़ और समस्त कोंकन तट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान का चुनाव करना पड़ेगा।

†**श्री आसर :** कितने छात्र सैनिकों को प्रवेश प्राप्त होगा और उनकी अर्हतायें क्या होंगी ?

†**श्री राजबहादुर :** वर्तमान प्रणाली के अनुसार हर मास ४० छात्र लिये जाते हैं।

दिल्ली में आंधी से रेलवे सम्पत्ति की क्षति

†***११६१. श्री राधा रमण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ जून, १६५६ को ५० मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी चली क्या उससे दिल्ली में रेलवे सम्पत्ति की कोई हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षति हुई और उस की लागत क्या है ; और

(ग) क्या इस कारण दिल्ली आने जाने वाली सब गाड़ियां रुकी रहीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) पटरी के साथ-साथ बहुत से वृक्ष गिर गये और उनमें से एक पटरी पर गिर गया जिस से यातायात में बाधा पड़ गई।

डाक तथा तार विभाग के १२ खम्बे भी गिर गये जिसका कंट्रोल और ब्लाक वायरों पर असर पड़ा।

दिल्ली, शाहदरा और साहिबाबाद में डाऊन लूप स्टार्टर सिगनल भी टेढ़े हो गये।

रेलवे सम्पत्ति की क्षति का मूल्य लगभग ४५० रुपये है।

(ग) २६-६-१६५६ को दिल्ली और दिल्ली शाहदरा के बीच संचार साधनों के खराब हो जाने के कारण २.२५ बजे से ३.२५ बजे तक गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बन्द रहा और २७-६-१६५६ को ६.१० बजे साधारण रूप से गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ।

†**श्री राधा रमण :** क्या ऋतु विज्ञान विभाग ने आंधी के बारे में पहले से कोई सूचना दी थी और क्या सरकार ने सम्पत्ति को क्षति से बचाने के लिये कोई उपाय किये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रेलवे विभाग को कोई सूचना नहीं मिली। मानसून में प्राय : बचाव के उपाय किये जाते हैं।

†**श्री राधा रमण :** यह आंधी कितनी देर रही और क्या इस से उन यात्रियों को भी कोई हानि पहुंची जिन्हें पुल पर चार या पांच घंटे रुकना पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सं० वें० रामस्वामी** : पांच घंटे से अधिक, केवल एक गाड़ी थी। कुल ६० गाड़ियां रुकी रहीं। हम विवश थे। वस्तुत: हम ने १० मिनिट में डाक तथा तार विभाग से कह दिया था कि एक लाइन चालू कर दें परन्तु वह नहीं कर सके इसलिये हमें स्वयं केबल डाल कर कंट्रोल अपने हाथ में लेने पड़े।

दिल्ली-कल्लू विमान सेवा

†*११९२. { **श्री हेम राज** : **श्री अजित सिंह सरहदी** : **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि दिल्ली से कल्लू बरास्ता चंडीगढ़ एक विमान सेवा आरम्भ की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की दिल्ली से कल्लू बरास्ता चंडीगढ़ एक विमान सेवा चालू करने की प्रस्थापना इस शर्त पर स्वीकार कर ली है कि विमान सेवा चलाने में जो घाटा होगा वह पंजाब सरकार पूरा करेगी। भुंतर हवाई अड्डे में सुधार का काम पूरा होने पर कारपोरेशन विमान सेवा आरम्भ करना चाहती है।

†**श्री हेम राज** : यह सेवा किस तिथि तक आरम्भ होगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : तिथि बताना तो कठिन है। वहां के हवाई अड्डे में यथासम्भव शीघ्र सुधार कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री हेम राज** : क्या दुसहरे के उत्सव तक यह विमान सेवा आरम्भ हो जायेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है। कार्य शीघ्रता से किया जायेगा।

श्री पद्म देव : क्या इस सर्विस द्वारा केवल यात्रियों के आने जाने की सुविधा होगी या कुल्लू के सेव वगैरह भी इधर आ सकेंगे और दूसरा सामान आ सकेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए यह सर्विस होगी।

श्री हेम राज : स्पिती का जो इलाका है और वहां का जो मौसम है उसमें वहां तीन महीने ही काम करने के होते हैं। क्या पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह प्रार्थना की थी कि यह सर्विस स्पिती ले जाई जाये ताकि वहां पर सामान वक्त पर पहुंच सके और वहां पर काम सड़कों वगैरह का हो सके ?

श्री मुहीउद्दीन : मुझे तो यह मालूम नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई ख्वाहिश जाहिर की है कि किसी खास तारीख से सर्विस को शुरू किया जाये। मुम्किन है कि उन्होंने इसकी ख्वाहिश की हो कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाये लेकिन चूंकि हवाई जहाज का यह मामला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** : मेरा प्रश्न यह था कि लगभग ६ मास तक स्पिती घाटी का रास्ता बन्द रहता है और केवल तीन मास तक ही काम हो सकता है। क्या इस बात को देखते हुए पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि सड़कें बनाने का सामान ले जाने के लिए विमान सेवा स्पिती तक ले जाई जाये ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है। यह विमान सेवा केवल भूटान तक होगी।

चांदबली पत्तन

†***११६३. श्री संगण्णा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदबली पत्तन से चावल के निर्यात के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि घरौड़ा और बतरणी नदियों के सर्वेक्षण परिवहन मंत्रालय का एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था और उसने जो प्रतिवेदन भेजा वह उड़ीसा सरकार को विचार करने के लिए भेज दिया गया है। क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी राय बता दी है ?

†**श्री राज बहादुर** : तब से राज्य सरकार के साथ इस पर बातचीत चल रही थी जिस से कि समुद्री रास्ते से और रेल द्वारा भेजने से भाड़े का अन्तर मिलकर वहन कर लिया जाये और इस पर अब भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल को रेल की बजाये यदि चांदबली पत्तन से चावल भेजा जाये तो उसमें काफी बचत होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : समुद्र से भेजने पर १ रुपया ६ नये पैसे भाड़ा और २१ नये पैसे पत्तन शुल्क खर्च आता है जब कि रेल भाड़ा ५३ नये पैसे प्रति मन है। ५३ नये पैसे और पत्तन शुल्क का अन्तर पूरा करना होगा।

†**श्री महन्ती** : इस मामले पर गत मई से बातचीत चल रही है। इस मामले पर निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : खाद्य मंत्रालय ने ठीक ही कहा था कि हमें खाद्य के परिवहन व्यय में बचत करनी चाहिए इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वह रेल और समुद्री भाड़े में अन्तर को वहन करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस मामले पर निर्णय न होने के कारण इस पत्तन से व्यापारी चोरी छिपे चावल और धान ले जा रहे हैं जिस से सरकार को काफी हानि पहुंचती है ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे यह मालूम नहीं परन्तु यह ज़रा असम्भ दिखाई देता है क्योंकि समुद्री भाड़ा रेल और सड़क के भाड़े से अधिक बैठता है अतः तस्कर व्यापार करने वाले के लिए भी यह लाभप्रद नहीं होगा। फिर भी मैं यह जानकारी वहां भेज दूंगा।

†**श्री महन्ती :** राज्य सरकार को कितना अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए कहा जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** ५३ नये पैसे प्रति मन तथा पत्तन शुल्क।

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार वहां भेजे गये पदाधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी।

†**श्री राज बहादुर :** इस पर विचार किया जायेगा।

गोहाटी में रेल दुर्घटना

†*११९४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अगस्त को पूर्वोत्तर सीमा रेल कर्मचारियों को गोहाटी से मालीगांव रेलवे मुख्यालय ले जाने वाली शटल गाड़ी के साथ गोहाटी नगर क्षेत्र में दुर्घटना हो गई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे और कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां, यह दुर्घटना गोहाटी नगर क्षेत्र में उजन बाजार घाट साइडिंग पर—जो नूनमती रेलवे फाटक के निकट है—उस समय हुई जब स्टाफ शटल गोहाटी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी।

(ख) सामने का कांटा ठीक प्रकार नहीं लगा था।

२३ व्यक्ति घायल हुए जिन में से तीन को गहरी चोटें आईं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम ने पूरी सहायता की है। फिर भी कभी-कभी दुर्घटनायें हो जाती हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सही है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की मुख्य लाइन गोहाटी नगर के उस भाग में से गुजरती है जहां बहुत भीड़ रहती है और इसी कारण दुर्घटनायें होती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसका मुख्य लाइन पर गाड़ियों के चलने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह रेलवे लाइन नगर के बहुत भीड़ वाले इलाके से गुज़रती है जहां ऊपरी पुल भी नहीं है और इसी कारण दुर्घटनायें होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके लिए अलग प्रश्न पूछा जाये ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि इस दुर्घटना का सम्बन्ध केवल एक ही बोगी से है जिसका कांटा ठीक प्रकार नहीं लगाया गया था, और यदि हां, तो इस गाड़ी से, जो बहुत ही कम रफ़तार से चलती है, भविष्य में दुर्घटना में न हों ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** गाड़ी का ग्यारहवां डिब्बा पटरी से उतर गया जिसके लिए पायंटमैन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार को इस बारे में कोई प्रस्थापना मिली है कि रेलवे लाइन को कामकश्प से हटा कर नरेंगी, जो कि तेल साफ करने वाले कारखाने के निकट है, ले जाया जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके लिए पूर्वसूचना चाहिए ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं यह बताना चाहता हूं कि इस दुर्घटना का नगर की भीड़ भाड़ से कोई सम्बन्ध नहीं है । रेलवे लाइन को वहां से हटाने का भी अभी कोई विचार नहीं है ।

बीकानेर में टिड्डी अनुसन्धान प्रयोगशाला

+
*११६५. { **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर में टिड्डी अनुसंधान प्रयोगशाला के लिये ज़मीन कब ली गई थी ;

(ख) इस प्रयोगशाला की इमारत के निर्माण और अन्य कार्यों पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ;

(ग) अब तक इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ करा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की टेबल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) २४ दिसम्बर, १९५६

(ख) अनावर्तक व्यय

(क) भवन निर्माण के लिये	१,००,००० रुपये
(ख) सामग्री के लिये . . .	४०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

यह संस्था अप्रैल, १९५७ से एक किराये के भवन में कार्य कर रही है। इसका दो साल का आवर्तक व्यय निम्न प्रकार हुआ है :—

१९५७–५८	४५,५६० रुपये
१९५८–५९	४४,८८० रुपये

(ग) और (घ) भवन का निर्माण कार्य इसलिये आरम्भ नहीं किया जा सका, क्योंकि वह भूमि राजस्थान सरकार को एक मेडिकल कालिज की स्थापना के लिये चाहिये थी। अब एक दूसरी भूमि का चुनाव कर लिया गया है और ज्यों ही राजस्थान सरकार से वह भूमि उपलब्ध होगी, भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह प्रस्थापना कैसे प्रस्तुत की गई और किस प्रकार का अनुसन्धान करने का विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह हमारी केन्द्रीय टिड्डी अनुसंधान संस्था है। वहां टिड्डी के बारे मे चेतावनी देने के लिये मुख्यालय की इमारत बनाने के हेतु साढ़े तीन एकड़ का एक प्लाट लगभग अर्जित कर लिया गया था। परन्तु राजस्थान सरकार वहां मैडिकल कालेज बनाना चाहती थी इस लिये हमने उनकी बात को मानते हुए उस प्लाट को छोड़ दिया और अब हम और प्लाट ढूंढ़ रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने यह पूछा था कि इस प्रस्थापना को कैसे प्रस्तुत किया गया और वहां किस प्रकार का अनुसन्धान किया जायेगा।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : टिड्डी दल के बारे में सूचना देने वाली संस्था का मुख्यालय बीकानेर में होगा और वहां टिड्डियों की किस्मों और इन्हें मारने की औषधियों के बारे में अनुसन्धान किया जायेगा।

†**श्री कर्णी सिंहजी**: क्या नई प्रयोगशाला के स्थान के बारे में कोई निर्णय किया गया है ? क्या वह बीकानेर में होगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां, बीकानेर में पहले वाले स्थान के निकट।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : किस प्रकार का अनुसंधान किया जायेगा और क्या उनके लिये आवश्यक कर्मचारी मिल गये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : देश में उपयुक्त व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं जिनकी सेवायें प्राप्त की जायेंगी।

ग्वालियर और भोपाल में टेलीफोन एक्सचेंज

***११९६. श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर और भोपाल के टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमेटिक (स्वचालित) एक्सचेंजों में बदलने की घोषणा दो वर्ष पहले की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन टेलीफोन एक्सचेंजों को अब तक आटोमेटिक एक्सचेंजों में न बदलने के क्या कारण है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आजकल इन एक्सचेंजों से अलग-अलग कितने टेलीफोनों की व्यवस्था है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) इन दो टेलीफोन-केन्द्रों को स्वचालित केन्द्रों में बदलने की योजना पिछले दो वर्षों से विचाराधीन थी। इनकी मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) चूंकि योजना बनाने, व्यौरेवार डिज़ाइन तैयार करने, मंजूरी लेने, ज़मीन प्राप्त करने और भवन-निर्माण आदि कार्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग द्वारा समय लग जाने की गुंजाइश रखनी पड़ती है, अतः उन स्थानों में जहां भवन-निर्माण का कार्य होना है, स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र की योजना को पूरा करने में दो वर्ष से अधिक समय लग जाना जरूरी है।

(ग) १ सितम्बर, १९५९ तक क्रमशः ८१९ एवं ९२८ टेलीफोन।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सही है कि प्राक्कलन समिति ने टेलीफोनों की कुछ संख्या निर्धारित की थी जिससे अधिक टेलीफोन हो जाने पर स्वचालित एक्सचेंज लगाये जायेंगे और यदि हां, तो उस बारे में सरकार का क्या मत है ?

†**डा० सुब्बरायन** : एक हजार टेलीफोनों के लिये स्वचालित एक्सचेंज की व्यवस्था की जाती है परन्तु ग्वालियर के महत्व को देखते हुए वहां एक हजार टेलीफोन न होने पर भी स्वचालित एक्सचेंज की व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने यह शिकायत की थी कि राजकोट और भावनगर जैसे कुछ नगरों में काफी समय पहले स्वचालित एक्सचेंज लग जाने चाहिये थे परन्तु वे अभी तक नहीं लगाये गये हैं।

†**डा० सुब्बरायन** : स्वचालित एक्सचेंज लगाना इतना आसान नहीं है। इसमें लगभग दो वर्ष लग जाते हैं।

†**श्री जांगड़े** : भोपाल के टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में काफी शिकायतें की गई हैं, इसे सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० सुब्बरायन** : भोपाल के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

बरेली स्टेशन पर बिना टिकट सैनिक

***११९८. श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ जुलाई, १९५९ को बरेली रेलवे स्टेशन पर कुछ सैनिक रेलवे वारण्टों के बिना यात्रा करते हुए पकड़े गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब उन्हें पूछ-ताछ के लिये रेलवे कर्मचारियों ने रोका, तो सुरक्षा दल के एक इन्सपेक्टर के नेतृत्व में वर्दी पहने हुए सशस्त्र व्यक्तियों के एक दल ने स्टेशन पर हमला कर दिया और रेलवे कर्मचारियों को डरा-धमका कर उन्हें रिहा करा लिया ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) बरेली स्टेशन पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे सुरक्षा दल के दो सैनिकों से, जो सादी पोशाक में थे, बरेली स्टेशन के मुख्य फाटक पर तैनात टिकट कलक्टर ने टिकट मांगा। उनमें से एक सैनिक जबरदस्ती बाहर निकल गया लेकिन दूसरा रोक लिया गया।

(ख) जी नहीं। लेकिन रेलवे सुरक्षा दल का एक सब-इन्सपेक्टर पांच-छः सैनिकों के साथ स्टेशन पर आया था और उसके और स्टेशन के कर्मचारियों के बीच बहुत कुछ बोलचाल हुई थी।

(ग) और (घ). प्रारम्भिक जांच के बाद सब-इन्सपेक्टर और दो सैनिकों को मुअत्तिल कर दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासन और अपील नियमों के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

†**श्री वाजपेयी** : भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है और क्या रेल कर्मचारियों के बचाव के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया है और जांच हो रही है। इससे भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा और यदि करेगा तो हम फिर यही कार्यवाही करेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या यहां 'सैनिक' का अर्थ सेना कर्मचारी है या कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वे रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि साधारण वस्त्र पहने कुछ लोग बरेली स्टेशन पर यात्रियों की तलाशी लेते हैं और उन्हें तंग करते हैं, यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें इस बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे के जो साधारण कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है कि आया उनकी आज्ञा का उन्हें पालन करना चाहिये या ऊपर से आज्ञा भेजने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : उन के बीच में सबसे बड़ा रिश्ता तो यह है कि वह सब एक बिरादरी के अफराद हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के बर्ताव के बारे में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : रेलवे सुरक्षा बल का एक कर्मचारी एक महिला से छेड़-छाड़ करते हुए भी पकड़ा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारा चर्चा बरेली की घटना के बारे में है। हम रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के बर्ताव के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को इस तरह की हिदायतें दी गई है कि जो रेलवे के साधारण कानून हैं कम से कम उनका पालन उन्हें अवश्य करना चाहिये ताकि इस तरह की कोई घटनायें न होने पायें ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो हमेशा किया ही जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** जिस प्रकार रेलवे बोर्ड ने विद्यार्थियों की हुलड़बाज़ी को खत्म करने के लिये विशेष आदेश दिये थे क्या उसी प्रकार सैनिकों की हुल्लड़बाज़ी का अन्त करने के लिये भी कोई आदेश दिये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं इस आरोप का विरोध करता हूँ । रेलवे सुरक्षा बल में कोई हुल्लड़-बाज़ी नहीं है । इस संस्था में पूर्ण अनुशासन है । संसार की उन संस्थाओं में, जहां पूर्ण अनुशासन है, भी एक आध ऐसी घटना होती है । ऐसी घटना होने पर हम कड़ी कार्यवाही करते हैं ।

गोविन्द सागर झील

†**११९९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नंगल में गोविन्द सागर झील में मत्स्य-पालन के अधिकारों के बारे में हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों के बीच झगड़ा चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुलझाने के लिये क्या हल निकाला जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) विषय उतरी क्षेत्रीय (नार्दर्न जोनल काउन्सिल) के विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस झगड़े की बात केन्द्रीय सरकार की निगाह में कब आई और और कितनी जल्दी इसका फैसला किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में यह मसला सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के समक्ष नहीं आया है वरन् खंडीय परिषद् में उठाया गया है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर फैसले लेते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** दो राज्यों के विवाद की वजह से मत्स्य-पालन संबंधी विकास योजना को कितनी क्षति पहुँची है ?

†**श्री हाथी:** मुझे पता नहीं कि कितनी क्षति पहुँची है । योजना को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों पर है । मुझे पता नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह झगड़ा कब से प्रारम्भ हुआ और कब तक इसके निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

†**श्री हाथी :** मैं कह चुका हूँ कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने इस प्रश्न के संबंध में कार्य-वाही नहीं की है । हमें उतनी ही जानकारी है जितनी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को खण्डीय परिषद् की बैठकों में भाग लेने से हो सकती थी । इस प्रश्न के संबंध में खण्डीय परिषद् ही कार्यवाही कर रही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस पूरे क्षेत्र को पंजाब को ही हस्तांतरित कर देने का कोई प्रस्ताव है ताकि कोई विवाद या मतभेद रहे ही नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** : यह तो वृहत्तर प्रश्न होगा ।

श्री पद्म देव : क्या यह दुरुस्त है कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने यह कहा कि इतने गहरे जल के अन्दर मछली नहीं हो सकती तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि इसका काम हम दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाय और हम इस काम को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो क्या सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं है ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है गोविन्द सागर का कि वहां मछलियों की उन्नति का कार्य किया जाय तो कई एक बार यहां के लोग भी उसकी देख रेख करने जाते हैं तो क्या कभी यहां के अधिकारियों की निगाह में यह चीज़ आई कि उस झगड़े का निबटारा जल्दी से जल्दी किया जाय ताकि इस कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सके ?

†**श्री हाथी :** गृहमंत्री खण्डीय परिषद् की अध्यक्षता करते हैं। मेरा ख्याल है कि संबंधित प्रतिनिधिगण यथा शीघ्र कोई समझौता कर लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री पद्म देव: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यह बात हिमाचल प्रदेश के प्लानिंग बोर्ड के सामने आई थी और पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात के लिए इंकार किया कि चूंकि यह तालाब बहुत गहरा होगा इसलिए मछली नहीं हो सकती और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस बात की आफर दी थी कि हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि गवर्नमेंट इस काम को हमें सिपुर्द करे ऐसी स्थिति में सरकार का क्या रिऐक्शन है ?

†**श्री हाथी :** यह दृष्टिकोण खण्डीय परिषद् के समक्ष रखा जा सकता है। मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ।

मूंगफली और एरंड की फली

†*१२००. **श्री बाली रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूंगफली और एरंड की खली के भाव इतने अधिक चढ़ जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) भावों को कम कराने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) इन खलियों के भाव बढ़ जाने का मुख्य कारण यह है कि इनकी मांग बढ़ गयी है।

(ख) भावों को कम कराने की दृष्टि से मूंगफली और एरंड की खली का उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में इनके बीजों का उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही की गयी और जारी रखी जा रही है। उनके भावों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिये खली के निर्यात का विनियमन भी किया जाता है।

†**श्री बाली रेड्डी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खलियों का उपयोग बड़े परिमाण में उर्वरकों के रूप में किया जाता है, क्या सरकार उन के भावों पर नियंत्रण करने वाली है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में इन खलियों के निर्यात से जो धन प्राप्त होता है उससे विदेशों से निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक—अमोनियम सल्फेट—मंगाने के लिये अलग रख दिया जाता है। अमोनियम सल्फेट में मूंगफली की खली की अपेक्षा उर्वरता बढ़ाने के अधिक गुण होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० ईयाचरण :** देश के कुल उत्पादन की कितनी प्रतिशत खली घरेलू खपत के लिये बच पाती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** पिछले वर्ष केवल १० प्रतिशत के निर्यात की अनुमति दी गई थी और ९० प्रतिशत घरेलू खपत के लिये बच रही थी ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** १९५८ और १९५९ में इन खलियों का कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** पिछले वर्ष के २४.३ लाख टन की तुलना में यह २८.६ लाख टन था ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो यह कहा कि बाहर यह आयल-केक्स भेज कर फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से बाहर के फर्टिलाइज़र्स हिन्दुस्तान की खेती के लिये ज्यादा मुफीद हैं और उन में यह एमोनियम सल्फेट ज्यादा होती है कि आयल-केक्स में ज्यादा होती है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : आयल-केक्स में ७ परसेंट नाइट्रोजन होती है और फर्टिलाइजर्स में एमोनियम सल्फेट २० परसेंट होती है अर्थात् फर्टिलाइजर्स में आयल-केक्स की अपेक्षा तीन गुनी होती है ।

सुखाये हुए दूध का वितरण

+

†*१२००. { **श्री दशरथ देब :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्धन बच्चों में वितरण के लिये सरकार को अमरीका के चर्च वर्ल्ड सर्विस, इनकारपोरेटेड से सुखाया हुआ दूध मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस का वितरण करने का अधिकार किन अभिकर्त्ताओं को दिया गया है ; और

(ग) क्या उस के वितरण पर सरकार का कुछ भी नियंत्रण अथवा रोक-थाम है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) चर्च वर्ल्ड सर्विस, नेशनल क्रिस्चियन काउंसिल और सहायता तथा उपहार संभरणों के निदेशक के प्रतिनिधियों को १९५१ के भारत-अमरीकी करार के अधीन अपनी मातृ संस्थाओं से सुखाया हुआ दूध प्राप्त होता है और वे ही इंडियन रेड-क्रास सोसायटी, विभिन्न मिशनरी संस्थाओं, समाज-कल्याण संस्थाओं आदि की मार्फत, जिन में स्कूल तथा अनाथालय भी शामिल हैं, इन का वितरण करते हैं ।

(ग) १९५१ के भारत-अमरीकी करार के अनुसार भारत सरकार अथवा राज्य-सरकारें/स्थानीय अधिकारी-गण प्राप्तकर्त्ता अभिकरणों को प्राप्त होने वाले उपहार संभरणों के, जिसमें सुखाया हुआ दूध भी शामिल है, वितरण के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दशरथ देब :** क्या सुखाये हुए इस दूध के आयात पर कोई आयात-शुल्क वसूल किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** जी नहीं ।

†**श्री दशरथ देब :** क्या किन्हीं अन्य दातव्य संगठनों को इस प्रकार के सुखाये हुए दूध का भारत में आयात करने की अनुमति दी जाती है ?

†**श्री करमरकर :** मेरा ख्याल है कि भेजने वाले कुछ अभिकर्त्ता और भी हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने कहा है कि इस सुखाये हुए दूध का वितरण कई अभिकरण, जिन में रेडक्रास के अलावा कई मिशनरी और अन्य समाज-कल्याण संगठन भी शामिल हैं, करते हैं । क्या इन अभिकरणों के नाम वास्तव में १९५१ के भारत-अमरीका करार में दिये हुए हैं? इन अभिकरणों की स्थापना किसने की है अथवा इनको प्रमाणित किसने किया है ?

†**श्री करमरकर :** मैं कह चुका हूं कि करार के अधीन हम वितरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरा कहना यह है कि इसके वितरण का अधिकार रेडक्रास के अलावा विभिन्न समाज कल्याणकारी संस्थाओं को दे दिया गया है । अब जो अभिकरण इस सुखाये हुए दूध का वितरण कर रहे हैं उनकी स्थापना किसने की है या उन को प्रमाणित किसने किया है ?

†**श्री करमरकर :** किसी के प्रमाणित किये जाने का यहां कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कोई भी संगठन जाये तो उसे यह मिल सकता है ?

†**श्री करमरकर :** यदि कोई पात्र व्यक्ति हो तो उनके पास जाकर ले सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या वितरण का काम किसी सक्षम प्राधिकार के जिम्मे है ?

†**श्री करमरकर :** जी नहीं—वितरण के ढंग के मामले में हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** वह कौनसा मुख्य अभिकरण है जिसने यहां वितरण के लिए विभिन्न अन्य अभिकरणों की स्थापना की है ? यहां यह दूध किसके पास आता है ?

†**श्री करमरकर :** चर्च वर्ल्ड सर्विस के प्रतिनिधि भारत में मौजूद हैं और वह सहायता तथा उपहार-संभरणों सम्बन्धी समिति के निदेशक के साथ मिलकर भारत में वितरण का काम करते हैं । उनके एजेंट यहां मौजूद हैं ।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि मिल्क पाउडर जो कि चर्च वर्ल्ड सर्विस से मिलता है उसे कई जगह बाजार में बेचा जाता है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक मुझे याद है हमें ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिलीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है कि जो लोग इस दुग्ध चूर्ण का दुरुपयोग कर रहे हैं और

†मूल अंग्रेज़ी में

बाजार में खुले आम इसे बेचा जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी चाहिए और क्या इस सम्बन्ध में कोई खास कदम उठाया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** मेरे माननीय मित्र ने मेरे पिछले उत्तर को जो शुद्ध कर दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । वह मसला असल में मेरे पास हो कर नहीं गुजरा था । मुझे याद आ रहा है कि अखबारों में मैं ने पढ़ा था कि हम ने विभिन्न अभिकरणों से औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया है कि वे सुखाया हुआ दूध इस प्रकार न बेचें । यह बात ठीक है ।

†**श्री तंगामणि :** भारत में चर्च वर्ल्ड सर्विस का वह प्रतिनिधि कौन है जिसे अमरीका से भेजा गया यह सुखाया हुआ दूध मिलता है ? उनका प्रधान कार्यालय कहां है ?

†**श्री करमरकर :** अभी उनका नाम मेरे पास नहीं है । उन का नाम मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

सुश्री मणिबेन पटेल : क्या सरकार को यह मालूम है कि कहीं कहीं पर इन मिशनों द्वारा बच्चों को दूध पिलाने में उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है ?

†**श्री करमरकर :** मेरा ख्याल है कि इन में से कुछ मिशन देश की विधियों के अधीन हैं । किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में दीक्षित कर लेने का अधिकार है लेकिन मुझे इस बात की शिकायत नहीं मिली है कि इस सुखाये गये दूध का वह इस प्रयोजन के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी केवल एक सर्कुलर निकाल कर ही अपने कर्तव्य की समाप्ति समझ लेना चाहते हैं या यदि इस तरह की कोई शिकायतें आयें तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी करने का विचार रखते हैं ?

श्री करमरकर : खास तौर से कोई शिकायत आ जायेगी तो उसके बारे में जो कुछ कर सकते हैं वह करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो दुग्ध चूर्ण बाहर से आता है उसका कितना प्रतिशत भाग सामाजिक अथवा अन्य संस्थाओं के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और कितना प्रतिशत ईसाई मिशिनरियों के द्वारा वितरित किया जाता है ?

श्री करमरकर : उसके मेरे पास में आंकड़े नहीं हैं ।

सुश्री मणिबेन पटेल : अब एग्रीमेंट ऐसा तो नहीं है कि यह ईसाई पादरी लोग दूध पिलाने में हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन कर लें और इस तरह से धर्म परिवर्तन होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते ?

†**श्री करमरकर :** इस करार का एक भाग यह भी है कि इसका उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई शिकायत हमारी निगाह में लाई गयी तो मैं माननीया सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम उसके बारे में कार्यवाही करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

चीनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी सेनाओं ने हाल ही में लद्दाख के रहने वाले १४ भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या लद्दाख के हेमिस और फियांग मठों के प्रधान लामाओं के बारे में कुछ पता चला है कि वे कहां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) से (ग). ल्हासा स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार पांच भारतीय ल्हासा के चीनी अधिकारियों की हिरासत में हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे लद्दाख से आये थे या नहीं। हमारे वाणिज्य दूतावास ने इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चीनी अधिकारियों से विरोध-प्रगट किया है।

हमें १४ लद्दाखी लामाओं के तिब्बत के विभिन्न कारागारों में हिरासत में रखे जाने के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। लेकिन उनके बारे में हमें ठीक-ठीक कोई जानकारी नहीं मिली है। हम ने चीनी अधिकारियों से यह कहा है कि वे कश्मीरी मुसलमानों और लद्दाखी लामाओं को ल्हासा-स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास से सम्पर्क करने दें और यदि वे चाहें तो उन्हें भारत लौट आने दें।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि तिब्बत में गड़बड़ शुरू होने के ठीक पहले कितने भारतीय ल्हासा होते हुए लद्दाख लौटे थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को अपने घरों को लौटने की अनुमति दी गयी है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हमारे पास कोई निश्चित जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग हम से औपचारिक कागजात—पासपोर्ट—लिये बिना ही लद्दाख से चले जाते थे। यह बात पुराने समय से चली आती है। वहां दो प्रकार के व्यक्ति जाते थे—एक तो थे लामा जो वहां अध्ययन के लिए जाते थे, और दूसरे थे लद्दाखी मुसलमान जो व्यापार के लिए वहां जाया करते थे। पुरानी प्रथा के अनुसार किसी को कागज़ात लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उन में से अधिकांश लेते भी नहीं थे। बाद में जब हम ने पता करने का प्रयास किया तो हमें ज्ञात हुआ कि लद्दाख के लगभग ४०० लामा तिब्बत के विभिन्न मठों में अध्ययन कर रहे हैं और कश्मीरियों, अर्थात् लद्दाखी मुसलमानों के लगभग १२४ परिवार वहां हैं। हमने इन संख्याओं की जांच नहीं की है। चीनी अधिकारियों ने अब यह बात उठायी है कि वे पहले चाहे रहे हों लेकिन अब भारतीय नागरिक नहीं हैं क्योंकि कश्मीरी—लद्दाखी मुसलमान—बहुत दिनों से वहीं रह रहे हैं। हम इसी मसले पर उनसे बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि जिस समय यह लामा और भारतीय व्यापारी आने के मार्ग से ल्हासा से लद्दाख आ रहे थे तो चीनी सैनिकों ने उन में बहुतों पर मशीनगन से गोलियां चलाई थीं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ :** जो १४ लामा ल्हासा में चीनी अधिकारियों की हिरासत में हैं वह क्या गलत शिनाख्त की वजह से कष्ट भुगत रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी पहचान निकालने का प्रयास किया है ताकि उनको छोड़ा जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसी की शिनाख्त ग़लत हो जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहां प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करे, यह नहीं कि वह कौन है। राष्ट्रीयता सामान्यतौर पर कागजात, पासपोर्ट आदि से सिद्ध होती है। उनके पास जबानी गवाही के अलावा न पासपोर्ट हैं और न कागजात हैं। यह सिद्ध तो की जा सकती है लेकिन इतनी ही बात से यह बात कुछ कम निश्चित हो जाती है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस बात पर अधिकारीगण कड़ा रुख अपनाते हैं अथवा नरम। उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से कहा है कि वे भारतीय राष्ट्रजन हैं और काश्मीर से आये हैं। यह सच है कि पहले कभी हो सकता है कि उन्होंने कुछ आरम्भिक कठिनाइयां दूर करने के लिये ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिये हों जो अब उनके विरुद्ध जाते हैं। क्योंकि शायद उन्हें जल्दी से कुछ काम कराना है। वह अब उनके खिलाफ़ जा रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार को चीनी अधिकारियों अथवा ल्हासा स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास से इस बात की कोई निश्चित सूचना मिली है कि ल्हासा और अन्य स्थानों में इन लामाओं को किन आरोपों पर हिरासत में रखा जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कैसे आरोप ? मुझे पता नहीं माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वह व्यक्ति कौन हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे जेल में हैं। उनके बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है। मैं तो यह तक नहीं बता सकता कि ये वहां हैं भी या नहीं। हमारे पास उन के मित्रों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों के पास से शिकायतें आयी हैं जिनकी उनके संबंध में दिलचस्पी है। हम पूछताछ कर रहे हैं।

लेकिन दूसरा मामला स्पष्टरूप से उनकी राष्ट्रीयता का मसला है। और मेरा ख्याल है कि इस समय किसी व्यक्ति को जेल में डालने के लिये कुछ भी ठीक-ठीक कानूनी आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** प्रधान मंत्री ने अभी कहा कि इन १४ लामाओं के अलावा और भी लोग वहां हिरासत में हैं। इन व्यक्तियों को रिहा कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या भारत सरकार को यह बताया गया है कि उन्हें किस आरोप पर हिरासत में रखा गया है ? क्या हमें उनकी रिहाई की आशा रखनी चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने कहा न कि इस बात से इंकार किया जा रहा है कि वे भारतीय राष्ट्रजन हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं लामाओं के अलावा जो पांच व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें नहीं मालूम। उन के बारे में ब्योरेवार जानकारी मेरे पास नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्रीमान्, अधिकारियों से यह मसला उठाया गया है लेकिन हमें उनका उत्तर नहीं मिला है। इन पांच भारतीयों में से २ तो हमारे महावाणिज्य दूत के यहां पंजीबद्ध हैं, अन्य तीन पंजीबद्ध नहीं हैं। वह चीनी अधिकारियों की हिरासत में हैं।

†**श्री गोरे** : अभी प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के बारे में संदेह है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीयता के बारे में कोई संदेह नहीं है। इन दोनों प्रकार के लोगों के बारे में हम ने अभ्यावेदन किये हैं लेकिन चीनी अधिकारियों से हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। क्या इससे यही समझा जाये कि चीनी अधिकारीगण सदैव ही इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कौन कह सकता है ?

†**श्री गोरे** : हम ऐसे लोगों के बारे में अभ्यावेदन करते हैं जिनकी राष्ट्रीयता के बारे में कोई संदेह नहीं है। और हम और लोगों के बारे में अभ्यावेदन करते हैं फिर भी वे हमें उत्तर नहीं देते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तिब्बत के चीनी अधिकारियों की ओर से इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन होगा। मैं उनकी ओर से यह कैसे कह सकता हूं वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की हैं जिन्हें मैं अच्छा नहीं समझता।

सिंगारेनी कोयला खान

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगारेनी कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के श्रमिकों को परेशान किये जाने के विरोध में कोठगुदियम के बिजली घरों के कर्मचारी विरोध-दिवस मना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या अन्य विभाग भी विरोध प्रगट करने वाले हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). जी हां। उन्होंने इस प्रयोजन के लिये १२ अगस्त, १९५९ को विरोध दिवस मनाया था। श्रमिकों की शिकायतों की जांच केन्द्रीय सरकार की श्रम-सम्पर्क व्यवस्था द्वारा की जा रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आई० एन० टी० यू० सी० की ठीक-ठीक शिकायत क्या थी ?

†**श्री आबिद अली** : उनके श्रमिकों को दण्डित करना। उनमें से कुछ को पदावनत कर दिया गया था। मजूरी के रूप में देय रकम का उन्हें भुगतान नहीं किया जाता। उन्हें बोनस नहीं दिया जाता।

†**श्री इ० मधुसूदन राव** : यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन १४ अगस्त को पूछा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी का क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो मुझ से पूछा जाय ; उनसे नहीं !

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री इ० मधुसूदन राव : जो वहां के ए० आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर्स ने डिमांड्स की हैं क्या यह आशा की जा सकती है कि सरकार उन पर जल्दी विचार करेगी ?

श्री आबिद अली : वहां आई० टी० यू० सी० की एक यूनियन है और आई० एन० टी० यू० सी० की भी एक यूनियन है। आई० एन० टी० यू० सी० का कहना है कि ए० आई० टी० यू० सी० यूनियन और मैनेजमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों मिलकर आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर्स को सता रहे हैं। इसलिए एक खास अफसर भेज रहे हैं ताकि सही हालात मालूम हो जाएं और मुनासिब कार्रवाई की जा सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस प्रयोजन के लिये किस अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली :** किसी उपयुक्त अधिकारी को भेजा जायगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान नहर

†*११८५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के निर्माण के लिये अधिगृहीत क्षेत्रों के विस्थापित किसानों और काश्तकारों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्या उन्हें बदले में राजस्थान के ऐसे राजकीय क्षेत्रों में भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है जो राजस्थान नहर से सींचा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राजस्थान नहर परियोजना के लिये भूमि अधिगृहीत करने के फलस्वरूप अब तक किसानों और काश्तकारों के विस्थापित हो जाने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिये सक्रिय पुनर्वास संबंधी कार्यवाही आरंभ कर देने की आवश्यकता हो। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परियोजना के लिये अधिगृहीत भूमि के लिये नगद मुआवज़ा दिया जा रहा है।

(ख) राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्ती बसाने की नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी और बदले में इन्हें भूमि देने के प्रश्न पर यह नीति निर्धारित करते समय विचार किया जायेगा।

भारतीय रेलवे द्वारा लम्बी गाड़ियां चलाने के प्रयोग

†*११८७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और रूस के नमूने की लम्बी गाड़ियां चलाने के प्रयोग हाल में भारतीय रेलवे पर किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगों के व्यौरे और परिणाम क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). दक्षिण पूर्व रेलवे के गुआ-बर्नपुर सेक्शन पर लगभग ६८०० टन भार की एक गाड़ी चलाने का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के फलस्वरूप हम वेकुअम ब्रेकों वाली और भी भारी गाड़ियां चलाने की संभावनाओं का पता लगाने में सफल रहे हैं।

बलूरघाट हवाई अड्डे पर रात्रि-उड्डयन[1] की सुविधाएं

†*१२०२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हाल्दर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के बलूरघाट हवाई अड्डे पर रात्रि-उड्डयन की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो सायंकाल अन्तिम विमान वहां से किस समय उड़ान करता है; और

(ग) क्या यह सच है कि कलिंग एयर लाइन ने अनुसूचित समयोपरान्त उड़ान करने की विशेष अनुमति ले ली है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सामान्यतया हवाई उड़ान करने का समय सायं को ४ बजे से ७ बजे तक है किन्तु उड़ान का अन्तिम समय सूर्यास्त समय पर निर्भर है।

(ग) नहीं, श्रीमान्; परन्तु पूर्व सूचना मिलने पर रात्रि-उड़ान की सुविधा किसी भी एयरलाइन को दी जा सकती है।

मालवाही विमान में तेजाब का पकड़ा जाना

†*१२०३. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२/१३ अगस्त १९५९ को सिलचर के पास कुंभीरग्राम हवाई अड्डे पर 'आसाम ट्रेवलर्स' द्वारा चार्टर किये गये एक माल वाही विमान में गन्धक और संखिया का तेजाब पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Night Flying.

विवरण

प्राप्त सूचना के अनुसार दो लकड़ी के बक्सों में, जो एक प्राइवेट पार्टी ने कलकत्ता से 'इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के मालवाही विमान द्वारा कुंभीरग्राम भेजने के लिये बुक कराये थे, १३ अगस्त, १९५९ को कुंभी ग्राम पहुंचने पर रंगने के रसायनों और मोटर के पुर्जों के अतिरिक्त शुक्तिक तेज़ाब (एसेटिक एसिड) और गंधक के तेजाब की बोतलें पाई गईं। मोटर गाड़ी के पुर्जों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को असैनिक उड्डयन के महा निदेशक की अनुज्ञा बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना भारतीय विमान नियम, १९३७ के नियम ८ के उपबन्धों के खिलाफ है। अतः पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

†*१२०४. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ फरवरी १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में बनने वाले रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्वार्टर बने हैं ;

(ग) अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) क्या ९००० क्वार्टरों की निश्चित अवधि की अपेक्षा प्रगति पीछे है तो कार्यागति तीव्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) १९५९-६० में बनने वाले क्वार्टरों का निर्माण कुछ रेलों पर आरम्भ हो गया है जब कि अन्य रेलों पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) १९५९-६० में जिन क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ हुआ है वे अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) उपबन्ध नहीं हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान्। आशा है कि क्वार्टर निश्चित अवधि में तैयार हो जायेंगे।

वाणिज्य पोत प्रशिक्षण बोर्ड[1]

†*१२०५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार वाणिज्य पोतों के अधिकारियों, रेटिंगों तथा समुद्र में जाने वाले अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक वाणिज्य पोत प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) भारत सरकार वाणिज्य पोत प्रशिक्षण बोर्ड पहले ही स्थापित कर चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Merchant Navy Training Board.

(ख) बोर्ड का गठन और कार्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३]**

अन्दमान से रेलवे स्लीपर

†*१२०६. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान के अपने साधनों से रेलवे स्लीपर प्राप्त करने की संभावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :** (क) हां, श्रीमान्। संभावना की जांच करने के लिए १९५७ में तत्कालीन रेलवे तख्ता परामर्शदाता वहां गये थे।

(ख) ३१ मार्च १९५८ के अन्त तक बड़ी लाइन के १,००,००० स्लीपरों का संभरण करने के लिए १९५७ में एक क्रयादेश दिया गया था। लगभग ९५,००० बड़ी लाइन के स्लीपर प्राप्त हो गये हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं का प्रशासी लेखा परीक्षण

†*१२०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नदी घाटी परियोजनाओं के प्रशासी लेखा परीक्षण की प्रणाली, जिनकी वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करती है, राज्य सरकारों तथा उनके प्रभाधिकारियों द्वारा लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). कुछ परियोजनाओं में रूप भेद के साथ प्रशासी लेखा परीक्षण की प्रणाली लागू हो गई है। इस संबंध में की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४]**

अनाज संग्रहण प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र हापुड़

†*१२०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाज को गोदामों में रखने के उत्तम ढंगों का सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए हापुड़ में अनाज संग्रहण प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र की स्थापना करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** केन्द्र में कार्य आरम्भ हो गया है और अब तक २३६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । स्थानीय स्टाकिस्टों के मार्गदर्शन के लिए अनाज को गोदामों में रखने के उचित ढंगों के प्रदर्शन भी किये गये हैं । गवेषणा कार्य के लिए प्रयोगशाला तैयार की जा रही है ।

'जवाहर सुरंग'

†*१२०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जवाहर सुरंग' जिस से जम्मू और काश्मीर के बीच 'सर्व ऋतु मार्ग' बन जायेगा, के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी है, संलग्न है ।

विवरण

'जवाहर सुरंग' के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों (ट्यूबों) की प्रगति निम्नानुकूल है :

पश्चिमी भाग (ट्यूब)

(१) प्रारम्भिक मार्ग—पूर्ण हो गया ।

(२) पूरे भाग का चौड़ा करना—पूर्ण हो गया ।

(३) लाइनिंग वर्क प्रायः पूर्ण हो चुका है ।

(४) सड़क और पदमार्ग आदि का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है । यह भाग अब स्थायी रूप से यातायात के लिए खुल गया है ।

पूर्वी भाग (ट्यूब)

(१) प्रारम्भिक कार्य—पूर्ण हो गया है ।

(२) पूरे भाग को चौड़ा करने का कार्य—लगभग ७०% पूर्ण हो गया है ।

(३) सुरंग में लाइनिंग वर्क—किया जा रहा है ।

(ख) जुलाई १९५९ के अन्त तक १८९.०३ लाख रु० ।

इस्पात के सवारी डिब्बे

†*१२१०. **श्री केशव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की नीति इस्पात के सवारी डिब्बों का निर्माण करने की है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सवारी डिब्बों के निर्माण उद्योग पर इस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) संकट निवृति के लिए सरकार का विचार इस उद्योग को क्या सहायता देने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् । टेक्निकल कारणों और सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य में इस्पात के सवारी डिब्बे बनाने का निश्चय किया गया है ।

(ख) द्वितीय योजना में सवारी डिब्बा प्राप्ति कार्यक्रम में कटौती होने के कारण रेलवे प्रशासन गैर सरकारी उद्योगों को लकड़ी के सवारी डिब्बे बनाने के लिए क्रयादेश नहीं दे सकते ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भविष्य में इस्पात के सवारी डिब्बे बनाना स्वीकृत नीति है ।

मलाड स्टेशन पर यात्रियों पर लाठी चार्ज

†*१२११. { श्री आसर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के मलाड स्टेशन पर १४ अगस्त, १६५६ को पुलिस ने यात्रियों पर लाठी चार्ज किया ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण था और उस में कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को होने वाली असुविधायें दूर न किये जाने के कारण ऐसी घटनायें वहां पर अक्सर होती रहती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, पुलिस ने भीड़ पर मामूली लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया था । भीड़ में अधिकतर बाहर के लोग थे ।

(ख) भीड़ बेकाबू, उत्तेजित और काम में बाधक हो रही थी । लाठी चार्ज से ५ आदमी घायल हुए ।

(ग) जी नहीं, जो असुविधाएं दूर की जा सकती हैं उन्हें जरूर दूर कर दिया जाता है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

आसाम को विद्युत् संभरण

†*१२१२. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने अपनी तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए ११,००० किलोवाट का एक तापीय विद्युत के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में चावल का सम्भरण

†*१२१३. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल त्रिपुरा में राशन की दुकानों से बिना उबला (आतप) चावल नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दू विधवाओं को, जो उबला चावल नहीं खातीं, बिना उबला चावल देने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). यद्यपि, आजकल त्रिपुरा में राशन की दुकानों पर सामान्य उपभोक्ताओं को उबला हुआ चावल दिया जाता है, मांगने पर हिन्दू विधवाओं को बिना उबला चावल उपलब्ध होता है।

हरी खाद

†*१२१५. **श्री केशव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल की देशी किस्मों पर उर्वरकों की अपेक्षा हरी खाद का अच्छा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) हरी खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) नहीं। प्रयोगों से केवल यह विदित हुआ है कि दल दल चावल कृषि जैसी विशेष परिस्थितियों में हरी खाद उर्वरक की भांति ही प्रभावी होती है।

(ख) केन्द्र तथा राज्यों की विभिन्न कार्यवाही निम्न है :

(१) हरी खाद के लिए प्रयोग होने वाले पौधों तथा अपनाई जाने वाली क्रियाओं पर प्रोपेगन्डा द्वारा मंत्रणा देना ;

(२) कृषकों को हरी खाद के बीजों के पैकट बड़े पैमाने पर बांटना;

(३) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों (१९५९–६१) में हरी खाद के बीजों के उत्पादन तथा गुड़न के लिए राज्य सरकारों और संघ द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार का २ रु० प्रति मन आर्थिक सहायता देना ; और

(४) हरी खाद बनाने में प्रयोग हुए जल की शुल्क में छूट देना।

आलू

†२२१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ के लिए आलू के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन तैयार हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ का (राज्यवार) आलू का प्राक्कलित उत्पादन कितना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नहीं । प्राक्कलन अक्टूबर १९५९ के अन्त तक घोषित होगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पर्यटकों के लिए विश्रामगृह

†**२२१९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अब तक राज्यवार कहां-कहां पर्यटकों के लिए विश्राम गृह खुल गये हैं ; और

(ख) १९५९-६० और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अवशिष्ट काल में कहां-कहां पर्यटकों के लिए विश्रामगृह खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

काश्मीर में अवकाश निकेतन

†**२२२०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए काश्मीर में श्रीनगर और पहलगांव में दो अवकाश निकेतन खोले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए काश्मीर में दो अवकाश निकेतन खोलने का निश्चय किया गया था और उन में से एक पहलगांव में चालू मौसम में खोला गया है । श्रीनगर में दूसरा अवकाश निकेतन खोलने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) पहलगांव के अवकाश निकेतन का प्राक्कलित व्यय २.८ लाख रु० हुआ है ।

भारतीय रेलवे

†**२२२१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अप्रैल १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८-५९ में भारतीय रेलों ने खण्डवार, कुल कितने मील की यात्रा की, कितने यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गईं और यात्रियों से कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में गोदाम

†२२२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ अप्रैल १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में ७ नये गोदामों का स्थान निश्चित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) नहीं श्रीमान् । अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब से चावल व धान का निर्यात

†२२२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक पंजाब से कुल कितना चावल व धान भारत के अन्य राज्यों को भेजा गया है और वे किस मूल्य पर प्राप्त किये जाते हैं ; और

(ख) पंजाब में उक्त समाहार का मूल्य उस राज्य में चावल व धान के बाजार मूल्य की तुलना में कैसा है जिसे वे भेजे जाते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १९५९ में पंजाब में सरकार न धान का कोई समाहार नहीं किया और न ही उसका निर्यात किया । १९५९ में अब तक पंजाब से भारत सरकार की ओर से लगभग ५,००० टन चावल खरीदा व निर्यात किया गया है । उचित औसत प्रकार के चावल की विभिन्न किस्मों के मूल्य निम्न हैं :

किस्म	प्रतिमन मूल्य (बोरी में) रु०
बासमती (कच्चा)	२५.००
सेला बासमती	२२.७५
हंसराज और परमाल	
(क) कच्चा	२२.२५
(ख) उबला	२०.५०
बेगमी	१८.००
दारा और सेला जोशी	१६.५०
मोंगरा	१६.२५

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पंजाब में समाहारित चावल केवल उचित मूल्य की दुकानों से, जो राज्य सरकारों ने खोली हैं और जहां यह चावल वितरण के लिये भेजा जाता है, उपलब्ध होता है। पंजाब के चावल के सरकारी निष्कासन मूल्य निम्न हैं :

किस्म	प्रति मन मूल्य (बोरी में) रु०
१. बासमती	३०.००
२. हंसराज व परमाल	२५.००
३. बेगमी	१८.००
४. दारा और सेला जोशी	१६.००
५. मोंगरा	१८.००

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त चावल प्रायः उन क्षेत्रों में बांटा जाता है जहां बाजार मूल्य अधिक होते हैं। पंजाब के समाहार मूल्यों की तुलना उन राज्यों के चावल के बाजार मूल्यों से नहीं की जा सकती जहां यह चावल बांटा जाता है। इसका पहिला कारण यह है कि बाजार मूल्य फसल के अनुसार और स्थान-स्थान पर बदलते रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि उन राज्यों में बाजार में उपलब्ध चावल की किस्म पंजाब के चावल की किस्मों से भिन्न होती हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन

†२२२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में पृथक-पृथक प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्रों की संख्या ३१ जुलाई १९५९ को कितनी थी ; और

(ख) प्रार्थियों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)**

एक्सचेंज का नाम	३१-७-५९ को प्रतीक्षा सूची में प्रार्थना पत्रों की संख्या
नई दिल्ली . . .	
एवन्यू . . .	शून्य
छावनी . .	२५८
कनाट प्लेस .	६,९९६
जोरबाग .	१,१७८ (बन रहा है)
करोल बाग . .	३,४६२
सचिवालय	१,५९०

†मूल अंग्रेजी में

एक्सचेंज का नाम	३१-७-५६ को प्रतीक्षा सूची में प्रार्थना पत्रों की संख्या
दिल्ली	
शाहदरा . .	४३७
तीस हजारी	६,७३५

उपरोक्त के अतिरिक्त, दिल्ली और नई दिल्ली के क्षेत्रों में ६६५ अपना-टेलीफोन खरीदने की मांगें हैं ।

(ख) कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि क्या डाक तथा तार विभाग को अधिक टेलीफोन लगाने के लिये अतिरिक्त सामान मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो कब मिलेगा ।

भारतीय रेलों पर इंजन फेल होने की घटनाएं

†२२२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में (३०-६-१९५९ तक) भारतीय रेलों पर प्रति मास कितने इंजन फेल हुये ;

(ख) इंजनों के फेल होने के क्या कारण थे ; और

(ग) भविष्य में इन घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८]**

यात्री सुविधायें

†२२२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के पठानकोट-अमृतसर सैक्शन के निम्न स्टेशनों पर १९५८-५९ में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था पर कितना व्यय किया गया :

(१) गुरदासपुर,

(२) धारीवाल,

(३) बटाला ; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर क्या यात्री सुविधायें दी गई हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). १९५८-५९ में निम्न स्टेशनों पर दी गई सुविधायें और उन पर व्यय किया गया धन निम्न है :

स्टेशन का नाम	दी गई सुविधा	लागत
		रुपये
गुरदासपुर	प्लेट फार्म पर छत	४,०००
धारीवाल	शून्य	शून्य
बटाला	जलगृह और नल	१,०००

दिल्ली-गुड़गांव सेक्शन पर रेल द्वारा लिया जाने वाला समय

†२२२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रेल द्वारा गुड़गांव से दिल्ली आने में, १८ मील के फासले में, १ 1/2 घंटे लग जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस समय को घटाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गुड़गांव से दिल्ली तक का २० मील का फासला तय करने में यात्री गाड़ियों को १ घंटा १० मिनट से १ घंटा ४३ मिनट तक का समय लग जाता है । इसके मुख्य कारण ये हैं :—

(१) दिल्ली-गुड़गांव सेक्शन पर हलकी गाड़ियों के कारण ४० मील की अधिकतम रफ्तार रखी गयी है ।

(२) गाड़ियों को दिल्ली-सराय रूहेला-गढ़ी हरसरू सेक्शन में इकहरी लाइन पर से गुजरना पड़ता है इसके लिये अतिरिक्त समय देना पड़ता है ।

(३) इस समय दिल्ली-सराय रूहेला-गढ़ी हरसरू की सिंगल लाइन को दोहरी लाइन में बदला जा रहा है इस लिये लाइन के निर्माण कार्य के कारण भी रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(ख) इस सेक्शन की वर्तमान लाइनों को भारी गाड़ियों की लाइन में बदला जा रहा है । इससे वर्तमान यात्री गाड़ियों की रफ्तार को अधिक किया जा सकता है। जैसे ही दिल्ली-सराय रूहेला-गढ़ी हरसरू सेक्शन की दोहरी लाइन तैयार हो जायगी तब इंजीनियरिंग कामों के कारण लगे हुये प्रतिबन्ध हट जायेंगे और इसके लिये दिया जाने वाला अतिरिक्त समय समाप्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही क्रांसिंग के लिये दिया जाने वाला समय भी बन्द कर दिया जायेगा । इन सब उपायों से बहुत सा समय कम हो जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में बिजली संबंधी सुविधाओं का विस्तार

†२२२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार को १९५८-५९ के दौरान में बिजली संबंधी सुविधाओं के विस्तार द्वारा रोजगार को बढ़ाने के लिये कुल कितने रुपये का ऋण दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** कुछ नहीं ।

बम्बई में केन्द्रीय भांडागार

†२२२९. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० के दौरान में बम्बई में केन्द्रीय भांडागार बनाने के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** ३६ लाख रुपये ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भोजन विक्रेता

†२२३०. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम सेक्शन पर कितने भोजन विक्रेता (केटरर्स) हैं ;

(ख) इस सेक्शन में अब तक किस किस सेक्शन में विभागीय भोजन की व्यवस्था की गयी है ;

(ग) इन भोजन विक्रेताओं के विरुद्ध १९५८-५९ में कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ३८६ ।

(ख) (१) गोहाटी

(२) पांडू, और

(३) पांडू-अमीनगांव-फेरी ।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

१९५८-५९ में भोजन व्यवस्था भोज विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतों की कुल संख्या	की गयी कार्यवाही (मामलों की संख्या)					
	चेतावनी	जुर्माना	जुर्माना तथा अन्तिम चेतावनी	सुधार कार्य-वाही	ठेका बन्द करना	योग
२८	१७	७	२	१	१	२८

आन्ध्र प्रदेश के लिये रेल के डिब्बे

†२२३१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा विशाखापटनम में ३ जुलाई, १९५९ को दिये गये वक्तव्य का ज्ञान है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि आंध्र प्रदेश को रेल के बिलकुल सड़े-गले डिब्बे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। आंध्र राज्य में प्रयोग हो रहे सवारी गाड़ियों के डिब्बे अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत घटिया नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में प्रयोग होने वाले डिब्बों में बड़ी लाइन पर ८२ प्रतिशत डिब्बे और छोटी लाइन पर ६९ प्रतिशत डिब्बे ३० वर्ष से कम पुराने हैं। आंध्र प्रदेश में से होकर जाने वाली सीधी गाड़ियों की स्थिति और भी अधिक अच्छी है। उनमें ९० प्रतिशत डिब्बे ३० वर्ष से कम पुराने हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण

†२२३२. **श्री म० वें० कृष्णराव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी सहायता दी है ; और

(ख) इस संबंध में आंध्र प्रदेश ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ९]**

†मूल अंग्रेजी में

विजयवाडा के लिये विमान सेवा

†२२३३. **श्री म० वें० कृष्ण राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विजयवाडा के लिये फिर से विमान सेवा जारी करने के लिये कोई कदम उठा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) तथा (ख). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां के लिये इतने यात्री नहीं होते कि वहां पर एक विमान सेवा चालू की जाय ।

दिल्ली और कलकत्ता के बीच रेलवे लाइन

०२२३४. **श्री न० म० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** कलकत्ता और दिल्ली के बीच ९०७ मील की लाइन में से ६७१ मील की लाइन पहले से ही दोहरी है। अब इलाहाबाद और कानपुर के बीच ६० मील की लाइन को दोहरा बनाया जा रहा है इसमें से ४८ मील की लाइन दोहरी हो चुकी है । शेष लाइन १९५९ के अन्त तक दोहरी हो जायेगी। शेष भाग को दोहरा करने के प्रस्तावों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा ।

कलकत्ता-मद्रास मेल

†२२३५. **श्री न० म० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकता-मद्रास मेल में अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) नम्बर ३ अप और ४ डाउन हावड़ा-मद्रास मेल गाड़ियों में अधिक यात्री ले जाने के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं यदि उन्हें उपयोगी समझा गया तो उन पर अमल करने का प्रयत्न किया जायेगा :—

(१) हावड़ा और कोकनाडा के बीच दूसरे और तीसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बे के स्थान पर हावड़ा और मद्रास के बीच एक पूरा तीसरे दर्जे का डिब्बा लगाना ;

(२) हावड़ा और वालटेयर के बीच लगायी जाने वाली भोजन गाड़ी के स्थान पर खड़गपुर और मद्रास के बीच एक तीसरे दर्जे के डिब्बे का जोड़ना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें

†२२३६. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश के लिये निश्चित की गयी सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की क्या स्थिति है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में आंध्र में ४ सहकारी चीनी मिलें खोलने की योजना थी। इसके मुकाबले उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत ऐसी छः मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। हिन्दुपर की एक सहकारी समिति के बन्द हो जाने के कारण इसका लाइसेंस वापस ले लिया गया है। शेष पांच में से एक सहकारी समिति, तंदवा सहकारी चीनी मिल, पुरानी मशीनें लगाना चाहती है। शेष चार के लिये स्थानीय चीनी मिल मशीनरी निर्माता संघ से मशीनें प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। इन कारखानों को प्रगति के बारे में एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०]**

उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त, जिनको कि उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये थे, निजामाबाद जिले में जनकमपेट में एक और सहकारी समिति भी है। इस समिति की प्रार्थना को विदेशी मुद्रा की कठिनाई और इस उद्योग में और अधिक गुंजाइश न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। किन्तु चीनी की बढ़ती हुई खपत को देखकर अब यह निश्चय किया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और चीनी मिलें खोलने के लिये लाइसेंस दिये जायें। आंध्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को इसके लिये उपर्युक्त सहकारी समितियों के नाम भेजने के लिये निर्देश दिये गये हैं। निजामाबाद की समिति के प्रार्थना पत्र पर अन्य समितियों के प्रार्थना पत्रों के साथ विचार किया जायेगा।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

†२२३७. **श्रीमती मफ़ीदा अहमद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कुल कितने मील के राष्ट्रीय राजपथ पक्के हैं तथा कितने मील के राजपथ कच्चे हैं ; और

(ख) कच्चे मार्गों को कब तक पक्का बना दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ७२८ मील के राजपथों में से ६७२ मील पक्के हैं तथा शेष ५६ मील कच्चे।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई और विद्युत परि योजनायें

†२२३८. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिये कितनी कुल रकम दी गयी है ; और

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) यह रकम किन किन योजनाओं के लिये दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) कुल रकम ७६४३.२ लाख रुपये के करीब बैठती है जिसमें से ६७.२० लाख रुपये सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं की जांच व इंजीनियरिंग अनुसंधानों आदि के लिये दी गयी है।

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ११]**।

उड़ीसा में परिवार नियोजन

†२२३९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पूर्णकालिक परिवार नियोजन अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी कब तक नियुक्ति होगी ;

(ग) क्या उड़ीसा को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये १९५८-५९ में दी गयी ७७,००० रुपये की रकम का पूरा उपयोग किया जा चुका है ; और

(घ) इस कार्य के लिये १९५९-६० में उड़ीसा को कितनी रकम दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) ४.५० लाख रुपये।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट

†२२४०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को विशेषतया ऋणदाता संगठन के मुख्य अंग के रूप में देश भर में नये भूमिबंधक बैंक खोलने की सिफारिश को किस सीमा तक क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ख) इन बैंकों को ऋण-पत्रों के निर्गम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अच्छे साधनों वाले व्यक्तियों जैसे व्यवसायिक तथा कृषक साहूकारों की बचत के धन को आकर्षित करने में किस सीमा तक सफलता मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री बू० सु० मूर्ति)** : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक खोले जा चुके हैं। प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या, जो ३०–६–१९५२ को २८९ थी, ३०–६–५८ को ३४७ हो गयी थी।

(ख) ३०–६–१९५८ को केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को ऋणपत्रों के निर्गम से २०.४८ करोड़ रुपये का उधार प्राप्त हुआ। यह ऋणपत्र सरकार, भारत के रिजर्व बैंक, सहकारी संस्थाओं, जीवन बीमा कम्पनियों, स्टेट बैंक आफ इंडिया, और सामान्य जनता द्वारा खरीदे गये। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों ने इस प्रकार के ऋणपत्र खरीदे इसकी पृथक सूचना नहीं उपलब्ध हो सकी है। भूमि बन्धक बैंकों के ग्रामीण ऋणपत्रों की एक नयी योजना चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों के लिये सात वर्ष के ऋण पत्र जारी किये जायेंगे जिन पर ग्रामीण लोगों को आकर्षित करने के लिये काफी व्याज दिया जायेगा। ये ऋणपत्र फसल के समय जारी किये जायेंगे।

वायुमंडलिक शोर का अध्ययन

†२२४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो परामर्शदाता समिति के तत्वावधान में अन्य देशों के साथ मिल कर वायुमंडलिक शोर का अध्ययन करने का कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो द्वारा बतायी गयी विशेषताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मानीटरिंग केन्द्र, दिल्ली में आवश्यक जानकारी इकट्ठी करने के लिये एक वायुमंडलिक रेडियो शोर-अभिलेखन यंत्र लगाया जा रहा है। इस प्रकार भारत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो परामर्शदाता समिति की सिफारिशों के अनुसार वायुमंडलिक रेडियो शोर संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने के लिये विश्वव्यापी कार्यक्रम में पूरा भाग ले रहा है।

बिहार में सहकारी चीनी कारखाना

†२२४२. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना की योजना थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मेसर्स पूर्निया सहकारी चीनी मिल्स, लिमिटेड को उत्तर बिहार में पूर्निया जिले में बनमानखी में एक चीनी का कारखाना खोलने के लिये एक लाइसेंस दिया गया है। चूंकि यह समिति मेसर्स इंडियन शुगर वर्कस

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लिमिटेड, सीवन से पुरानी मशीनें खरीदने के लिये पत्र व्यवहार कर चुकी थी इसलिये इसको स्थानीय चीनी मशीनें निर्माता संघ से मशीनें दिलवाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बिहार सरकार ने अभी हाल सूचना दी है कि समिति की पुरानी मशीने खरीदने की कोशिश असफल रही है। इसलिये इसको निर्माता संघ से नयी मशीनें दिलवाने का प्रबन्ध किया जाये। राज्य सरकार को यह जांच करने के लिये कहा गया है कि वह इस बात की रिपोर्ट दे कि क्या यह कारखाना नयी मशीनों से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अभी इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता

†२२४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सामुदायिक तथा सहकारी विकास कार्यों के लिये कितने प्रक्षिशित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण ; और

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**।

पंजाब के नगरों व दिल्ली के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध

†२२४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के बहुत से नगरों, जिला सदरमुकामों और वाणिज्यिक केन्द्रों का दिल्ली से टेलीफोन द्वारा सीधा संबंध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब के प्रसिद्ध नगरों का दिल्ली से टेलीफोन द्वारा सीधे संबंध स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)**: (क) तथा (ख) प्रसिद्ध स्थानों के बीच टेलीफोन की सीधे लाइनें इस आधार पर बनायी जाती हैं कि उन दो स्थानों के बीच कितने टेलीफोन कौल किये जाते हैं। पंजाब के अधिकतर नगर तथा जिला सदरमुकाम दिल्ली के साथ टेलीफोन द्वारा सीधे संबंधित हैं। किन्तु वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों में कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि अनेक टेलीफोनों को अन्य मार्गों से भेजना पड़ता है। इस प्रकार के पांच प्रसिद्ध जिला सदरमुकाम तथा वाणिज्यिक केन्द्र हैं जहां से सीधे टेलीफोन नहीं जाते हैं :

१. संगरूर

२. गुरदासपुर

†मूल अंग्रेजी में

३. धर्मशाला

४. होशियारपुर

५. चर्खीदादरी ।

अभी दिल्ली के साथ इनका सीधा टेलीफोन संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु यदि परियात (ट्रैफिक) अधिक बढ़ गया तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

राज्यों में विकास योजनायें

†२२४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में केन्द्र द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लिये १९५८–५९ के बजट में उपबन्धित राशि का पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, या करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) आठ राज्यों से सूचना मिली ह उनमें से ७ राज्यों ने बजट में उपबन्धित राशियों का पूरा पूरा उपयोग कर लिया है ।

(ख) केरल ।

(ग) अगले वर्ष की रकम निर्धारित करते समय इन बात का ध्यान रखा जायेगा ।

खाद्यान्न संग्रहण सलाहकार समिति

†२२४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न सग्रहण सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) १. स्टाकिस्टों और आटा मिलों के लाभ के लिये केन्द्रीय सरकार के मुख्य मुख्य गोदामों में खाद्य संग्रहण के वैज्ञानिक तरीकों के समय समय पर प्रदर्शन करने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(२) राज्य सरकारों और आटा मिल मालिकों की एसोसियेशन से मिल कर आटा मिलों में अनिवार्य धूमने[1] की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

(३) गोदाम निर्माण के बारे में पूरी जानकारी देने वाली छोटी छोटी पुस्तिकायें तैयार की जा रही हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fumigation.

पश्चिमी जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मंडल

†२२४७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पांडे : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी जर्मनी के कृषि प्रतिनिधिमण्डल से, जिसने भारतीय कृषि विकास के सम्बन्ध में सहायता करने के लिये यहां का दौरा किया था, इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी, हां। निम्नलिखित पांच रिपोर्टें भारत सरकार को प्राप्त हुई हैं :—

(१) भारत में सहकारी खेती—लेखक डा० ओटो शिलर[1]
(२) भारत में उद्यान विद्या और कृषि इंजीनियरिंग तथा प्रविधियां—लेखक प्रो० डब्ल्यु रेनार्ड[2]।
(३) भारत में चकबन्दी सम्बन्धी योजना तथा उसे कार्यान्वित किया जाना—लेखक डा० वाल्टर नार्डमन[3]।
(४) भारत की डेयरी सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रिपोर्ट—लेखक श्री एच० मायर ब्लाडवर्ग[4]।
(५) भारत में खनिज उर्वरकों का संग्रह, वितरण तथा प्रयोग—लेखक प्रो० डा० एच० किक[5]।

इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में नलकूप

†२२४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के किस किस स्थान पर भूमि में बरमे से किये गये छेदों को नलकूपों में बदल दिया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : पंजाब के निम्नलिखित स्थानों पर भूमिगत जल खोज परियोजना के अधीन बरमे से किये गये छेदों को उत्पादन नलकूपों में बदल दिया गया है :—

नाम	जिला
१. देहिना जैनाबाद	गुड़गांव
२. दरौली	गुड़गांव

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cooperative Farming in India by Dr. Otto Schiller.

[2]Horticultural and Agricultural Engineering and Techniques in India by Prof. W. Renard.

[3]Planning and Implementation of Land Consolidation in India by Dr. Walter Nordmann.

[4]Preliminary Report on Dairy Problems in India by Mr. H. Mair-Wladburg.

[5]Storage, Distribution and Application of Mineral fertilisers in India by Prof. Dr. H. Kick.

नाम	जिला
३. नगंल पठानी	गुड़गांव
४. बाहू	रोहतक
५. लाहा	अम्बाला
६. शाहजादपुर	अम्बाला
७. बलना	अम्बाला
८. फतेहगढ़	अम्बाला
९. लखनौरा	अम्बाला
१०. आलमगीर	अम्बाला
११. ननियाला	होशियारपुर

अन्तर्राज्यिक माल यातायात

†२२४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से उत्तर प्रदेश और पंजाब से दिल्ली में सड़क के द्वारा अन्तर्राज्यिक माल यातायात में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में लगभग दुगुना और पंजाब से दिल्ली के सम्बन्ध में लगभग तीन गुना ।

पंजाब में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†२२५०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि पंजाब में सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-सरकारी समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की प्रशासन प्रक्रियाओं पर व्यर्थ में अधिक धन खर्च किया जा रहा है, और इसलिये उन प्रक्रियाओं को एकदम समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उसकी रिपोर्ट की जांच की है ;

(ग) इस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) समिति की उपपत्तियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) से (घ). संभवतः पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गई संसाधन तथा छटनी समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछा जा रहा है । समिति की सिफारिशों पर पंजाब सरकार विचार कर रही है ।

रेल गाड़ियों में अधिक भीड़भाड़

†**२२५१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ियों में अधिक भीड़भाड़ को समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

कोटा में माल डिब्बे मरम्मत करने का कारखाना

†**२२५२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री १२ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा में माल डिब्बे मरम्मत करने के नये कारखाने की इमारत बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कोटा में माल डिब्बे मरम्मत करने के नया कारखाने बनाने के सम्बन्ध में जून, १९५९ तक निम्नलिखित कार्य हो चुका था :—

सिविल इंजीनियरिंग	लगभग ७५ प्रतिशत
मेकेनिकल इंजीनियरिंग	,, ८ प्रतिशत
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	,, १७ प्रतिशत

दिल्ली में अस्पताल

†**२२५३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ९ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में दिल्ली के अस्पतालों में भीड़भाड़ कम करने के लिये अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दिल्ली के अस्पतालों में अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने में १९५९–६० में अभी तक १,८६,७३३ रुपये खर्च किये गये हैं ।

पंजाब में कपास विस्तार योजना

†**२२५४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९५९–६० में कपास विस्तार योजना चलाने के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : राज्यों में वित्तीय विकास (श्रेणी ख) योजनाओं की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन अब योजना वार राशि निर्धारित नहीं की जाती । १९५९–६०

†मूल अंग्रेजी में

के लिये प्रत्येक राज्य की कुछ एक योजनाओं के लिये राशि निर्धारित की गयी है। जहां तक कपास विस्तार योजना का सम्बन्ध है, वह "वाणिज्यिक फसल, औद्यानिकी (हार्टिकल्चर) तथा फल परिरक्षण का विकास" नामक वर्ग के अन्तर्गत आती है और इस वर्ग के लिये पंजाब के लिये २४,९०,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं। उक्त वर्ग के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं पर अलग-अलग व्यय की गई राशि का समायोजन करना सम्बन्धित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के लिये वर्गवार मंजूरी इस वर्ष के अन्त में उनके द्वारा मांग करने पर दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनायें

†२२५५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १७ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में स्याल नदी सम्बन्धी परियोजना की, जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** जब तक कि जल विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच जारी है तब तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा योजना की विस्तृत जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि उस प्रयोजन के लिये कोई उपयुक्त जांच संस्था नहीं है। हिमाचल प्रदेश की विद्युत शाखा में एक जांच डिवीजन स्थापित किया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन को आशा है कि अन्य जल विद्युत योजनाओं के साथ ही उस योजना की विस्तृत जांच का काम भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जो कि विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जा रहा है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२२५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिये कोई स्थानीय परामर्शदात्री समिति स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिये स्थानीय परामर्शदात्री समितियां स्थापित करने के सुझाव पर १९५८ के आरम्भ में विचार किया गया था, परन्तु कोई भी समिति स्थापित करना संभव न हो सका क्योंकि लगभग इसी प्रकार का काम करने वाली और कई स्थानीय संस्थायें पहले से ही विद्यमान हैं। पर हां, जन सम्पर्क रखने तथा स्थानीय शिकायतों तथा कठिनाइयों को प्राधिकारियों तक पहुंचाने का काम कल्याण-पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, प्रत्येक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय से एक-एक कल्याण-पदाधिकारी सम्बद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम की विद्युत व्यवस्था

†२२५७. { श्री नागी रेड्डी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री कुन्हन : }

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की विद्युत व्यवस्था में १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में शुद्ध लाभ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उन दो वर्षों में कितना शुद्ध लाभ हुआ था ; और

(ग) यदि उसको कोई हानि हुई है, तो कितनी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) क्रमशः २२ लाख रुपये तथा ७२ लाख रुपये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२२५८. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में मध्य रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) १९५९–६० में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १९५९–६० में २२ स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है । १९६०–६१ में १८ और स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ।

(ग) १९५९–६० में २·५ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे ।

मध्य रेलवे में चलते-फिरते पुस्तकालय

†२२५९. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में चलते पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन सेक्शनों पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). मध्य रेलवे में चलते पुस्तकालय सम्बन्धी सेवा अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है । यह मामला उस प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के नगरों में जल संभरण योजनायें

†२२६०. श्री पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के नगरों में जल संभरण सम्बन्धी किन किन चार योजनाओं की कार्यान्विति के लिये स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) योजना आयोग के कार्यकारी वर्ग की सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

(१) कटक

(२) साम्बलपुर

(३) परलाकिमडी ; और

(४) रायगढ़

(ख) योजना आयोग के कार्यकारी वर्ग की सिफारिशें अस्थायी हैं और उनमें केन्द्र के आय-व्ययक सम्बन्धी उपबन्ध के आधार पर संशोधन किया जा सकता है ।

उड़ीसा में क्षय रोग

†२२६१. श्री पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य मंत्री २३ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्षय नियंत्रण-कार्य के सम्बन्ध मे राज्य सरकार से अब तक कोई विशेष सुझाव प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने तब से इस सम्बन्ध में स्वीकृत अनुदान में से अभी तक कोई राशि निकाली है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) जी, हां । १९५९–६० में क्षय रोगियों के लिये अलग रूप में ९० अलग पलंग की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उसे मंज़ूर कर दिया गया है । उड़ीसा राज्य ने यह भी प्रार्थना की है कि बाड़ीपाड़ा नामक स्थान पर चल रहे क्षय चिकित्सालय में तथा शीघ्र ही पुरी, बरहामपुर और कोरापट में प्रारम्भ होने वाले तीन चिकित्सालयों में एक्स-रे तथा क्षय प्रयोगशाला के लिये उपकरण भी संभरित किये जायें, इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है कि उड़ीसा सरकार ने कितनी राशि निकाली है । राज्य सरकार को दिये जाने वाले अनुदान का समायोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी स्वेच्छा पर रखी गई अर्थोपाय पेशगियों में से वर्ष के अन्त में किया जायगा ।

दिल्ली जंकशन पर शिकायतें

†२२६२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में दिल्ली जंकशन स्टेशन की शिकायत-पुस्तक में कुल कितनी और किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गयी थीं ; और

(ख) उनके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४].

पश्चिमी यमुना नहर

†२२६३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से पश्चिमी यमुना नहर के मार्ग की वर्तमान सिंचाई नहरों की क्षमता को बढ़ाने और इस मार्ग के ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी ठहर जाता है, जल निस्सारण के लिये नालियां बनाने के सम्बन्ध में योजनायें प्राप्त हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को पश्चिमी यमुना नहर मार्ग की वर्तमान सिंचाई नहरों की क्षमता बढ़ाने और जल निस्सारण के लिये नालियां बनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजनायें प्राप्त हुई हैं :—

सिंचाई योजनायें:— (१) पश्चिमी जमुना नहर से रेवाड़ी तथा उसके आस पास के क्षेत्रों तक सिंचाई (लिफ्ट) सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करना ।

(२) करनाल तथा दिल्ली डिवीजनों में छोटी नहरों की क्षमता को बढ़ाना और पश्चिमी यमुना नहर की मुख्य लाइन की पुनर्नवीकरण करना । ("करनाल तथा दिल्ली डिवीजनों में छोटी नहरों की क्षमता को बढ़ाने की योजना" के सम्बन्ध में योजना अभी पंजाब सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।)

जल निस्सारण योजनायें :—

(३) गौंची जल निस्सारण योजना ।

(४) नूडू जल निस्सारण योजना ।

(५) उज्जीना बाह्य जल निस्सारण योजना ।

(६) दोवेटा जल निस्सारण योजना ।

(७) नयी सरघना जल निस्सारण योजना ।

(८) नई नाला (दिल्ली डिवीजन) का पुनर्नवीकरण ।

(९) नई नाला (करनाल डिवीजन) का पुनर्नवीकरण ।

योजनाओं के ब्योरे सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५].

(ग) योजना संख्या (१), (३) और (६) से (९) तक के लिये मंजूरी दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पानी का इकट्ठा हो जाना

†२२६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञों के सहयोग से पंजाब में जमा हुआ पानी को निकालने के लिये तैयार की गई योजना के परिणाम प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या ब्योरे हैं; और

(ग) क्या ये उपाय देश के अन्य भागों में भी लागू किये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार प्रयोग के रूप में विभिन्न भागों में ५ अग्रिम योजनायें आरम्भ करना चाहती है। प्रथम अग्रिम योजना के अन्तर्गत अर्थात् हिसार मेजर से घिरे क्षेत्र तथा राजथाल से हांसी तक के पीतवार डिस्ट्रीब्यूटरी क्षेत्र में नालियां बनाने की योजना प्रारम्भ कर दी गई है। उस योजना के पूरा हो जाने के बाद ही उसका परिणाम ज्ञात हो सकेगा।

(ग) यदि परिणाम संतोषजनक हुये तो इन उपायों को उन अन्य भागों में भी लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा जहां इसी प्रकार की स्थिति है।

क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति

†२२६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ मई, १९५९ को नई दिल्ली में पश्चिम तथा उत्तर रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों की जो बैठकें हुई थीं, उसमें क्या सुझाव दिये गये और उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). इन बैठकों में जो बातचीत की गई थी वह अनौपचारिक थी और उसकी कार्यवाही का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। जनरल मैनेजरों ने संक्षिप्त टिप्पण ले लिये थे और उनको ये निदेश किये गये थे कि वे विभिन्न सुझाओं पर जो कार्यवाही करना संभव हो सके करें। माननीय सदस्य का ध्यान ४-८-५९ को लोक सभा में इस विषक पर रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये बयान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

पंजाब में औद्यानिक विकास[1]

†२२६६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में पंजाब में औद्यानिक विकास के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) उस वर्ष के लिये क्या क्या योजना मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Harticultural Development.

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) फल उत्पादन के विकास के लिये १९५९—६० के लिये पंजाब सरकार ने १०,८८.६३३ रुपयों की व्यवस्था की है। इसमें नये उद्यान लगाने के लिये दीर्घकालीन ऋणों के रूप में दी जाने वाली ९,००,००० रुपयों की राशि भी सम्मिलित है ।

(ख) फल उत्पादन के विकास की जो योजना १९५७ से चल रही है, वही १९५९—६० में भी चलती रहेगी ।

लेक डिपो गोदाम, कलकत्ता

†२२६७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेक डिपो गोदाम, कलकत्ता में पड़े हुये गेहूं में से लगभग १७,५०० मन गेहूं खराब हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय सहायक विक्रय निदेशक ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है कि उक्त खराब गेहूं को आटे की विभिन्न मिलों में भेज दिया जाये ताकि इसे पीस कर आटे में मिला दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त गेहूं को आटे की मिलों में भेजने का काम ८ जून, १९५९ से प्रारम्भ हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितना गेहूं भेजा जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं ;

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बुकिंग आफिस

†२२६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ज़ोनल रेलवे में कितने बुकिंग आफ़िस गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं ;

(ख) प्रत्येक रेलवे पर उनको क्या कमीशन दिया जाता है ;

(ग) विभागीय रूप से चलाये जाने वाले बुकिंग आफ़िसों और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले बुकिंग आफ़िसों का संधारण परिव्यय कितना पड़ता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले बुकिंग आफ़िसों के बारे में कमीशन की दर में वृद्धि करने का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]**

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद के उप-निदेशक

२२६९. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद के उप-निदेशक की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उसके कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख)। चूंकि आयुर्वेद के सहायक निदेशक का वेतनानुक्रम योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने योग्य न था, अतएव उस प्रशासन ने इसे हाल में ही बदल दिया है और इस पद पर किसी सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन से मांग की जा रही है ।

शिमला में आयुर्वेदिक कालिज

२२७०. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अष्टांग आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अध्यापन का देश में अभी तक कोई संतोषजनक प्रबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश सम्मेलन ने शिमला में एक आयुर्वेदिक कालिज के स्थापित किये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) हिमाचल आयुर्वेद सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया है ।

(ग) शिमला में आयुर्वेद कालेज की स्थापना के बारे में हिमाचल प्रदेश प्रशासन के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे में मितव्ययता

†**२२७१. श्री दामानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं के काम में १० प्रतिशत की बचत करने के बारे में प्रधान मंत्री के हाल ही के निदेशों के फल स्वरूप रेलवे मंत्रालय ने बचत करने के लिये कोई उपाय अपनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) परियोजनाओं के कार्य में १० प्रतिशत की बचत के बारे में प्रधान मंत्री ने कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिये थे। तथापि, रेलवे मंत्रालय ने वर्ष १९५९–६० में किये जाने वाले कार्यों के बारे में कार्यक्रम बनाते समय स्वयं ही रेलवे को यह निदेश दिया कि वर्ष १९५९–६० में निर्माण-कार्यों पर व्यय में १० प्रतिशत की कमी करने का प्रयत्न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे के उपरोक्त निदशों और सुझावों के आधार पर १९५९-६० के लिये निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम में प्रस्तावित व्यय में २५ करोड़ रुपये की कमी की गई ।

बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति

†२२७२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति की इस वर्ष बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसने किन विषयों पर विचार किया ; और

(ग) उस पर क्या फैसला किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां । बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति की इस वर्ष अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं ।

(ख) और (ग) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । जिसमें जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]** ।

जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद

२२७३. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी दिली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद को उनके मकानों के किराये से कितनी मासिक आय होती है; और

(ख) क्या इन मस्जिदों की आय का हिसाब रखने के लिये कोई समिति बनी हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जामा मस्जिद

मकानों से .	४९१ रुपये प्रति मास ।
दुकानों से . .	६,१९८ रुपये प्रति मास ।

फतेहपुरी मस्जिद

मकानों से .	मस्जिद के कोई मकान नहीं हैं
दुकानों से . .	५,५०१ रुपये प्रति मास ।

(ख) जी, नहीं । हिसाब किताब सुन्नी मजलिस-ए-औक़फ़ के दफ्तर में रखा जाता है ।

टेलीफोन के कनैक्शन

†२२७४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लुधियाना और फिरोज़पुर जिले में टेलीफोन के कनेक्शनों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र अभी लम्बित हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कनेक्शन देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) ३० जून, १९५९ को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

फिरोजपुर जिला	.	१५९
लुधियाना जिला	.	७४६

(ख) लुधियाना जिले में केवल लुधियाना और जगरांव में कनेक्शन लम्बित हैं क्योंकि एक्सेंज की क्षमता कम है। इन एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है परन्तु सब आवेदन-कर्ताओं को टेलीफ़ोन के कनेक्शन देने में कुछ समय लगेगा।

फ़िरोज़पुर जिले में १९५७ तक के अधिकांश व्यक्तियों को टेलीफ़ोन के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। बाकी आवेदनकर्ताओं को वर्तमान क्षमता में वृद्धि होने के बाद ही टेलीफ़ोन के कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर योजना

†**२२७५. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिवेंडला तालुक को तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर योजना में शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) क्या कडप्पा जिले की जनता ने सरकार से प्रार्थना की है कि तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर योजना की समूची योजना को जिससे आन्ध्र प्रदेश में पुलिवेंडला तालुक समेत अनन्तपुर और कडप्पा जिलों को लाभ होगा; तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मंजूर किया जाये और पूरा किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या फैसला किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) **पुलिवेन्डला तालुक** : मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा १९५४ में मूल रुप से तैयार की गई तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर योजना से लगभग ३.८ लाख एकड़ 'अयाकट' क्षेत्र में सिंचाई होनी थी। १९५६ में इसमें पुलिवेंडला नहर, चित्रावती बांध, पापाग्नि रेग्यूलेटर और नहर के कार्यों को शामिल करने के लिये, जो कि पेन्नार नदी के पानी का उपयोग करने के लिये थे, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किये गये। इन पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा तुंगभद्रा बोर्ड के चीफ़ इन्जीनियर और आन्ध्र प्रदेश के एक्ज़क्यूटिव इंजीनियर (डिज़ाइन्स) के साथ बातचीत की गई। बातचीत में यह तै किया गया कि पेन्नार जलाशय से उपलब्ध संभरण से जिस 'अयाकट' को लाभ होगा उसे निकाल दिया जाये क्योंकि पेन्नार घाटी तुंगभद्रा घाटी से बिल्कुल पृथक् है। पुलिवेंडला नहर, चित्रावती बांध पापाग्नि रेग्यूलेटर और नहर को योजना में से निकाल दिया गया। यह सुझाव दिया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार इन कार्यों पर पृथक योजनाओं के रूप में कार्य करे। उपरोक्त

†मूल अंग्रेजी में

कार्यों को छोड़ कर, अन्तिम पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर दोनों राज्य सरकारों की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। उच्चस्तरीय नहर योजना में पुलिवेंडला ताल्लुक को शामिल करने के अभ्यावेदन निबटारे के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दिये गये थे।

२. कडप्पा जिले की जनता से प्राप्त अभ्यावेदन : कडप्पा जिले की भूमि में कडप्पा पूर्वी और कडप्पा दक्षिणी नहरों द्वारा सिंचाई होनी है जिनको दूसरी प्रावस्था में शामिल कर लिया गया है। २१.६ करोड़ रुपये की लागत की समूची तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर योजना प्रविधिक रूप से स्वीकार कर ली गई है परन्तु इस पर कार्य दो प्रावस्थाओं में किया जायेगा। लगभग १,८७,००० एकड़ भूमि में सिंचाई के लिये १३ करोड़ रुपये की लागत की योजना क्रियान्विति के लिये मंजूर कर ली गई है। विचार यह है कि दूसरी प्रावस्था को पहली के पूरी होने पर लिया जाये और उचित समय पर मंजूरी दे दी जायेगी।

मनीपुर में सहकारी समितियां

†**२२७६. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक ने मनीपुर प्रशासन को क्षेत्र में सहकारी समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हाल ही में कोई ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि भारत के रक्षित बैंक ने इम्फ़ाल के मनीपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ऋतु सम्बन्धी कृषि कार्यों और फसल के विपणन के लिये धन देने के लिये सहकारी समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये ४ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

इम्फाल के हस्पताल में नर्सों के लिये क्वार्टर

†**२२७७. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फ़ाल के हस्पताल में नर्सों के रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर मनीपुर प्रशासन ने विचार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से बहुतों को एक कमरे में रहना पड़ता है और क्वार्टरों की व्यवस्था न होने से नर्सों की योग्यता और स्वास्थ्य पर असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) मनीपुर के विकास के वर्तमान प्रक्रम में हर नर्स के लिये रहने के क्वार्टर की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। तथापि, उनको २० रुपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है। उन मैट्रन और सिस्टरों को असैनिक हस्पताल के अहाते में निवास स्थान दिया गया है जिनकी सेवाओं की आपातकाल में आवश्यकता पड़ती है।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नर्सों को उस नर्सिंग होम में रखा जायेगा जो कि मनीपुर में नये हस्पताल के साथ बनेगा ।

पूर्व रेलवे का भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग

†२२७८. श्री **मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूही, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, कौरारा, तेघरा, पीली बंगन और उचाना के बारे में गुड्स अकाउन्टेन्ट और असिस्टेंट कमर्शियल सुपरिंटेन्डेंट के विरुद्ध पूर्व रेलवे के भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग की सिफ़ारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जूही, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर और कौरारा से जाने वाले बीजकों के बारे में प्रत्येक मामले में सतर्क विभाग के प्रतिवेदन और सिफ़ारिशों पर उचित कार्यवाही की गयी । तेघरा, पीली बंगन और उचाना से जाने वाले बीजकों के बारे में मामले सतर्कता विभाग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एप्रेंटिस मेकेनिकों की भर्त्ती

†२२७९. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग ने दक्षिण-पूर्व रेलवे और और पूर्व रेलवे में एप्रेंटिस मेकेनिकों की भर्त्ती के लिये मार्च, १९५९ में विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे; और

(ग) क्या चुनाव कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख)

रेलवे	संख्या
पूर्व	२,००५
दक्षिण-पूर्व	२९६

(ग) जी, हां ।

राजस्थान में पानी की कमी

२२८०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को १९५४ से १९५७ तक कितनी धन राशि दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : राष्ट्रीय जल-संभरण और सफाई कार्यक्रम (नगर एवं ग्राम) के अन्तर्गत, राजस्थान सरकार को अपने राज्य के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जल-संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये १९५४ से १९५७ तक नीचे लिखी धन राशि दी गई है :—

केन्द्रीय सहायता	दी गई धन राशि (रु० लाखों में)
नगर १०० प्रतिशत ऋण	८२·३३
ग्राम ५० प्रतिशत सहाय्य अनुदान	४७·९०
योग	१३०·२३

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†२२८१. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लागत ढांचे[1] की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : लागत ढांचा समिति सिफ़ारिशों की इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन परीक्षा कर रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों को दण्ड

†२२८२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में १९५८ और १९५९ में (३१ जुलाई तक) डिवीज़न-वा और श्रेणी-वार कितने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि रोक कर अथवा जुर्माना करके जिसमें ड्यूटी पर तैनात समय में सोना भी सम्मिलित है, दण्ड दिया गया; और

(ख) उसी अवधि में, श्रेणीवार, (१) जुर्माना करने और (२) वेतन वृद्धि रोकने से कितना धन वसूल किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

हिमाचल प्रदेश में बिना खेती की गई भूमि

२२८३. **श्री पद्मम देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के खेखर (कुमारसेन) में पर्याप्त पानी होते हुये भी पानी का संभरण न होने के कारण कितनी भूमि खेती के बिना पड़ी है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cost Structure.

(ख) पानी का सम्भरण न किये जाने की जिम्मेदारी किस पर है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जून १६५६ में धान उत्पादन के समय, खेखर (कुमारसेन) में बिना खेती की हुई ४१ एकड़ जमीन रही।

(ख) पानी का सम्भरण न किये जाने के कुछ कारण खेखर, केपु और सेन्ज परानु गांवों के लोगों में पानी के वितरण के सम्बन्ध में झगड़ा और कुछ कारण अधिक वर्षा होने की वजह से कुहल (नहर) को हानि पहुंचना है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने खेखर, केपु और सेंज परानु गांवों के झगड़े को समाप्त करने के लिये एक सिंचाई विकास समिति का निर्माण किया है।

राजगढ़ में पीने के पानी का सम्भरण

२२८४. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ नामक स्थान में सड़क के किनारे बनाये गये पानी पीने के हौज़ में कुत्तों और आने जाने वाले लोगों का मलमूत्र मिलता रहता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ताओं ने इस सम्बन्ध में अपनी शिकायतें वहां के प्रशासन को पहुंचाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के राजगढ़ नामक स्थान पर स्थित अन्तर्ग्राही वर्क्स तथा पानी के हौज़ पूर्णतया सीमेंट की शिलाओं से ढके हुये हैं और पीने का पानी नलों द्वारा दिया जाता है।

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग के मरीज

२२८५. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के मंदोघर में स्थित राजकीय सैनेटोरियम में ७५ रोगी प्रविष्ट हैं, और बहुत से प्रतीक्षा सूची में हैं, जब कि वहां पर केवल ४० रोगियों के लिये स्थान है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस अस्पताल के सुधार और विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धन राशि लौटा दी है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हिमाचल प्रदेश के मंदोधर में स्थित राजकीय सैनेटोरियम में ७० से ७५ तक क्षय होगी प्रविष्ट हैं जब कि वहां ४० रोगियों के लिये स्थान स्वीकृत है। ये स्थान अब बढ़ा कर ५० कर दिये गये हैं।

(ख) मंदोधर राजकीय सैनेटोरियम के सुधार या विस्तार के लिये भारत सरकार ने कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया है।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्षय-रोगियों को और अधिक अंतरंग सुविधायें देने का विचार है।

मुर्गी पालकों में सहकारिता आन्दोलन

†**२२८६. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गी पालकों में सहकारिता अन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजनायें हैं;

(ख) ऐसी सहकारी समितियां कितनी हैं; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है तो वह कितनी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) केन्द्रीय सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। अखिल-भारत नीति के अधीन राज्यों में मुर्गी पालकों और अन्य लोगों की सहकारी समितियां बनायी गयी हैं।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बत्तख पालन

†**२२८७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय अंडे देने वाली किस नस्ल की बत्तखों का पालन-पोषण किया जा रहा है; और

(ख) मस्कवी, एल्सबरी और पीकिन बत्तखें भारत में किस हद तक लोक-प्रिय हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) अंडे देने वाली तीन देशीय नस्ल ये हैं : 'इन्डियन रनर', 'व्हाइट क्रेस्टेड नागश्वरी', और 'सिलहट मेट'। बत्तखों के पालन-पोषण की कोई देशी नस्ल नहीं है।

(ख) मस्कवी, ऐल्सबरी और पीकिन, जो कि पालन-पोषण की नस्ल की बत्तखें हैं, विदेशी उत्पत्ति हैं और ये भारत में लोक-प्रिय नहीं हैं क्यों कि बत्तख के मांस की अधिक मांग नहीं है।

मुर्गी पालन

†**२२८८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मुर्गी पालन का विकास करने के लिये प्रसंकर नस्ल की मुर्गियों आदि का विकास करने के लिये किसी कार्यक्रम के आधार पर कोई नियमित कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां। नैनी, इलाहाबाद में कृषि संस्था में 'व्हाइट लेगोर्न, और 'र्होड आइलैण्ड रेड' नस्लों की जाति से उत्पन्न 'प्रसंकरों' का विकास करने की योजना प्रगति पर है।

पूर्व परीक्षित स्वाभाविक तरीके से 'व्हाइट लैगोर्न' बत्तखों से 'प्रसंकरों' की उत्पत्ति की दूसरी योजना उसी संस्था में शीघ्र ही आरम्भ की जायेगी।

भिन्न जातियों के परस्पर मेल से नस्ल में सुधार करने का कार्य भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर में भी किया गया है।

(ख) इलाहाबाद में चालू योजना के अधीन प्राप्त परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र में किये गये कार्य से (१) 'व्हाइट लेगोर्न' और 'ओस्ट्रालोप'; (२) 'व्हाइट लेगोर्न' और 'बार्ड प्लाईमाउथ रॉक'; (३) 'व्हाइट लेगोर्न' और 'र्होड आइलैण्ड रेड'; और (४) 'र्होड आईलैंड रेड' और 'व्हाइट लेगोर्न' नस्लों के मेल से उद्विकसित प्रसंकरों को अंडा उत्पादन, शीघ्र उत्पत्ति और अंडा सेने में अच्छा पाया गया।

आसाम में चीनी के मूल्य में वृद्धि

†२२८६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के बाजारों में अभी भी चीनी के मूल्य अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़े पैमाने पर चीनी के लाने ले जाने में कदाचार हो रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टीमर के रास्ते से कलकत्ता से आसाम को एक बड़ी मात्रा में चीनी निर्यात करने का प्रयत्न किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) गोहाटी (आसाम) चीनी का अधिकतम खुदरा मूल्य सवा रुपये प्रति सेर बताया गया है जब कि मंजूर शुदा खुदरा दुकानों पर इस का मूल्य १ रुपया ६ नये पैसे प्रति सेर है।

(ख) आसाम सरकार ने बताया है कि चीनी के लाने ले जाने के बारे में किसी कदाचार का उन्हें पता नहीं है।

(ग) चीनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले चीनी (लाना ले जाना नियंत्रण) आदेश, १६५६ के जारी करने के फौरन बाद कुछ व्यापारियों ने नदी के रास्ते पश्चिमी बंगाल से आसाम को कुछ चीनी भेजने का प्रयत्न किया परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उन को ऐसा करने से रोक दिया गया।

(ग) चीनी पकड़ी गयी और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गयी।

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

२२९०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की बीकानेर रेलवे वर्कशाप से सम्बन्धित सामान्य स्टोर के जोधपुर में स्थित होने से सामान के समय पर न मिलने के कारण रेलवे वर्कशाप के कार्य में बाधा पड़ रही है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बीकानेर के सहायक स्टोर से पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं मिलता ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). मांगी गयी सूचना साथ के बयान में दी गयी है ।

विवरण

(क) जनरल स्टोर के जोधपुर में होने से बीकानेर वर्कशाप के काम में कोई रुकावट नहीं पड़ती, क्योंकि बीकानेर में जो स्टोर डिपो है वह जोधपुर स्टोर डिपो का ही सब-डिपो है और उससे बीकानेर वर्कशाप की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जनरल स्टोर के जोधपुर में होने से बीकानेर वर्कशाप के काम में हर्ज होने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) जोधपुर के मुख्य स्टोर डिपो से बीकानेर डिपो में सामान पहुंचता रहता है जैसा कि स्टोर संगठन में सामान्यत: होता है। सामान न मिलने का सवाल तभी उठ सकता है जब बीकानेर और जोधपुर दोनों स्टोर डिपो में सामान की कमी हो जाये ।

बीकानेर डिवीजन के लिये कर्मचारियों की भर्ती

२२९१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के डी० एस० कार्यालय में वर्ष १९५८–५९ में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) उन में बीकानेर डिवीजन के रहने वाले कितने हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्ड एंड कम्पनी

†२२९२. **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री एन्थनी पिल्ले :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्टेशन पर माल और पार्सलों को संभालने[1] का कार्य मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी को सौंपते समय क्या उन से पहले ठेकेदार के अधीन काम करने वालों को नौकरी देने और उचित मजूरी का भुगतान करने के बारे में कोई आश्वासन ले लिया गया था;

†मूल अंग्रेजी में
[1]Handling

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये टेंडर फार्म और ठेके में क्या खंड रखे गये थे;

(ग) क्या मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी पहले ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मजूरी दे रही है ;

(घ) पहले ठेकेदार के कितने श्रमिकों को मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी ने रखा है और कितनों को उस ने रखने से इन्कार कर दिया है;

(ङ) क्या श्रमिकों के नियोजन के बारे में टेंडर फार्म और करार में दी गयी शर्तों का कोई अतिक्रमण किया गया है; और

(च) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री श्री शाहनवाज खां**): (क) और (ख). हावड़ा में सामान संभालने और पार्सल संभालने के बारे में टेंडर फार्म और मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी के साथ हुए करार के सम्बन्धित खंड नीचे दिये जाते हैं :

(१) "मेरा/हमारा टेंडर स्वीकार होने पर मैं/हम इस स्टेशन पर वर्तमान ठेकेदार के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और श्रमिकों को यथासंभव अधिकाधिक संख्या में खपाने को सहमत हूं/सहमत हैं ।"

(२) "ठेकेदार काम पर लगाये गये श्रमिकों को उचित मजूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा । उचित मजूरी वह है जिसमें टेंडर आमंत्रित करते समय अधिसुचित भत्ते शामिल हैं और जहां ये अधिसुचित नहीं किये गये हैं वहां वह मजूरी जो पड़ौस में ऐसे ही कार्य के लिये दी जाती हैं श्रमिकों की मजूरी और भत्ते औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन किसी प्रादेशिक नियम अथवा किसी न्यायाधिकरण पंचाट द्वारा निर्धारित मजूरी से कम नहीं होंगे, यदि ये नियम रेलवे पर उस क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों पर लागू होते हैं जहां श्रमिक काम करता है ।"

इन खंडों के अतिरिक्त पृथक रूप से कोई आश्वासन नहीं लिया गया था ।

(ग), (ङ) और (च). इस बात की शिकायतें आयी हैं कि मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी अपने श्रमिकों को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार मजूरी का भुगतान नहीं कर रही है । इस शिकायत पर और इस बात पर कि उन्होंने करार की किन्हीं अन्य उपबन्धों का अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, रेलवे प्रशासन पश्चिमी बंगाल के श्रम विभाग के परामर्श से जांच पड़ताल कर रहा है ।

(घ) पहले ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बारे में रेलव प्रशासन के पास कोई रेकार्ड नहीं है । तथापि मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी से यह पता चला है कि उन्होंने हावड़ा में सामान संभालने के लिये ३५० श्रमिक और पार्सल संभालन के लिये ३०० श्रमिक नियोजित किये हैं और ये सब के सब श्रमिक पहले ठेकेदारों द्वारा रखे हुए थे ।

पहले ठेकेदारों के उन श्रमिकों की संख्या का पता नहीं है, जिन्हें काम पर लगाने से इन्कार कर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब से चावल की वसूली

†२२९३. **श्री चांडक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में पंजाब से अच्छे किस्म का कितना चावल वसूल किया गया ;

(ख) यह चावल किस मूल्य पर वसूल किया गया;

(ग) वसूल किये गये इस अच्छे चावल में से अब तक कितना बेचा जा चुका है;

(घ) यह चावल कहां बेचा गया है; और

(ङ) यह किस मूल्य पर बचा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) वर्ष १९५७-५८ में पंजाब में लगभग २६,००० टन और वर्ष १९५८–५९ में अब तक लगभग २१,५०० टन अच्छा चावल वसूल किया गया है ।

(ख) विभिन्न प्रकार के अच्छे चावल जिन-जिन मूल्यों पर खरीदा गया उसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

किस्म	**मूल्य प्रति मन (बोरे सहित)** रुपये
बासमती (कच्चा)	२५.००
सैला बासमती	२२.७५
हंसराज और परमल—	
(क) कच्चा	२२.२५
(ख) उबला हुआ	२०.५०

टिप्पण :—ऊपर जो मूल्य दिये गये हैं उनमें किस्म के आधार पर जहां पर भी संभव होता है, कटौती कर ली जाती है ।

(ग) और (घ). पंजाब से वसूल किया गया उबला हुआ अच्छे किस्म का सारा चावल सामान्यतः कलकत्ता के केन्द्रीय रिजर्व डिपो को भेज दिया जाता है और कच्चा अच्छी किस्म का सारा चावल बम्बई के केन्द्रीय रिजर्व डिपो में भेज दिया जाता है । यह चावल उन डिपो में अन्य जगहों से प्राप्त अच्छे चावल के साथ निकाल दिया जाता है । इसलिये यह कहना कठिन है कि पंजाब से जो चावल वसूल किया गया है तथा कलकत्ता और बम्बई को भेजा गया है उस में से अब तक वस्तुतः कितना बेचा जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) उपरोक्त वर्षों में पंजाब में वसूल किया गया विभिन्न प्रकार का अच्छा चावल केन्द्रीय रिजर्व डिपो द्वारा जिन मूल्यों पर दिया जाता है, वे इस प्रकार हैं :—

किस्म	प्रतिमन निकासी मूल्य (बोरे सहित) रुपये
बासमती (कच्चा) सेला बासमती	३०.००
हंसराज और परमल	२५.००

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२२९४. **श्री कालिका सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज-मऊ सेक्शन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने का क्या कोई निश्चित कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेक्शन के किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है और किन-किन पर भविष्य में बिजली लगाई जायेगी और कब; और

(घ) आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन, गोदाम, प्लेटफार्म और स्टेशन तक जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या काम किये गये हैं और वहां यात्रियों के लिये क्या सुविधायें दी गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज-मऊ जंकशन के सेक्शन के मऊ जंकशन, आजमगढ़, खोरासन रोड और रानी की सराय स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है। वर्ष १९५९–६० में मुहमदाबाद, गोहना, दीदारगंज, सरायमीर, फरीहा और शाहगंज स्टेशनों पर बिजली लगाई जायेगी।

(घ) आजमगढ़ स्टेशन में निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की गई हैं :

कोलतार का प्लेटफार्म ।

स्टेशन और मालगोदाम तक जाने वाली सड़क ।

मालगोदाम ।

पार्सल गोदाम ।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये विश्रामालय ।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये टिकट बांटने की दो खिड़की वाला टिकट घर।

उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये पृथक टिकट घर ।

विक्रेताओं का एक स्टाल ।

प्लेटफार्म पर तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में बैंचें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरुषों के लिये उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय ।

स्त्रियों के लिये उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय ।

४ स्थान वाले शौचालय और २ स्थान वाले पेशाब गृह ।

एक पानी घर ।

प्लेटफार्म पर ४ पानी के नल ।

१० पाकड़ और बरगद के पेड़ ।

२ स्नानागार ।

बिजली की रोशनी ।

इस के अतिरिक्त निम्नलिखित काम और किये जा रहे हैं :

प्लेटफार्म पर छत लगाना ।

पार्सल गोदाम का विस्तार करना ।

छोटी चीजों के यातायात के लिये एक गोदाम बनाना ।

माल गोदाम का विस्तार करना और उसमें एक मजबूत कमरे की व्यवस्था करना ।

बिजली के पम्प लगाना ।

उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन विकास योजना

†२२९५. **श्री कालिका सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मुर्गी पालन विकास योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है और मुर्गी पालन के विस्तार तथा विकास हेतु वहां अब तक कितने केन्द्र कहां-कहां और किस-किस पैमाने के खोले जा चुके हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** मुर्गी पालन विस्तार व विकास केन्द्रों के २५ के लक्ष्य में से अब तक उत्तर प्रदेश में २१ केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में स्थापित किये जा चुके हैं :—

१. भोजी पुरा (बरेली)

२. कान्त (शाहजहांपुर)

३. चाइल (इलाहाबाद)

४. कल्याणपुर (कानपुर)

५. वाराणसी

६. रोबर्ट्सगंज (मिर्जापुर)

७. भसौली (बाराबंकी)

८. बिचपुरी (आगरा)

९. कृषि फार्म (गोरखपुर)

१०. आसफपुर (बदायूं)

---

†मूल अंग्रेजी में

११. मछरा (मेरठ)

१२. मोहसीन बाग (मैनपुरी)

१३. शाहबाद (हरदोई)

१४. शफीपुर (उन्नाव)

१५. कायमगंज (फर्रुखाबाद)

१६. रामपुर मनिहारन (सहारनपुर)

१७. अफजलगढ़ (कादराबाद) (बिजनौर)

१८. हवलं बाग (अलमोड़ा)

१९. प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्था, गाजीपुर

२०. सैदनगर (रामपुर)

२१. कैसरगंज (बहराइच)

प्रत्येक केन्द्र में किसानों को मुर्गी पालन का आधुनिक ढंग दिखाने और साथ ही प्रत्येक खण्ड में प्रति वर्ष १००० बच्चे वाले अंडे बेचने के लिये १०० मुर्गे मुर्गियां रहेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड के ग्रामों में मुर्गे मुर्गियों का स्टाक बनाने के लिये प्रत्येक केन्द्र ३० अभिजनन मुर्गे वितरित करेगा।

रायगढ़ में रेलवे भूमि

†२२९६. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की वाल्टेयर-रायपुर लाइन के रायगढ़ **रेलवे** स्टेशन में रेलवे प्रशासन की कई वर्षों से कितनी भूमि बेकार पड़ी है;

(ख) क्या इस भूमि को किसी उपयोग में लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) लगभग १०० एकड़।

(ख) और (ग). सम्बलपुर-तीतलागढ़ रेलवे लाइन के बन जाने तथा दण्डकारण्य क्षेत्र के विकास के परिणामस्वरूप रायगढ़ निकट भविष्य में रेलवे का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन जायेगा। अतः खाली पड़ी भूमि उस समय कर्मचारियों के अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण और यार्ड को नया रूप देने के काम में आयेगी।

मध्य प्रदेश में चावल की मिलें

२२९७. **श्री जांगड़े :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा चलायी जाने वाली **चावल की** कितनी मिलों के लिये अब तक वित्तीय सहायता अथवा ऋण मांगा है; और

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में चावल की कितनी मिलें हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय **योजना** के अन्त तक ये कितनी हो जायेंगी ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) ३.

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में चावल की चार सहकारी मिलें हैं । आशा है कि दूसरी प्लान के अन्त तक ऐसी ६ मिलें राज्य में हो जायेंगी ।

नंगल दिल्ली विमान सेवा

†२२९८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल और दिल्ली के बीच विमान सेवा चालू करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह सेवा कब से चालू की जायेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). नंगल में इस समय कोई हवाई अड्डा नहीं है और न दिल्ली और नंगल के बीच नियमित विमान सेवा चालू करने का कोई विचार है । मेसर्स एत्रीएशन सर्विस, नई दिल्ली, ने, जिनके पास केवल मनोरंजनहेतु विमान यात्रा कराने की अनुज्ञा है, यह प्रार्थना की थी कि उन्हें छोटे विमान द्वारा दिल्ली और नंगल के बीच भाटकित विमान यात्रा[1] आरम्भ करने की अनुमति दी जाये । उन्होंने अपनी लागत पर नंगल में विमान उतारने का स्थान भी बनाने का विचार किया था उस समवाय को इस सम्बन्ध में गैर-नियमित विमान सेवा की अनुज्ञा देने का निश्चय किया गया है ताकि वे छोटे विमान द्वारा, जो ५७०० किलोग्राम से अधिक भारी न हों, इन विमान यात्राओं को आरम्भ कर सकें ।

उड़ीसा के लिये डाक तथा तार समितियां तथा बोर्ड

†**२२९९. श्री बं० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य में डाक तथा तार विभाग ने कुछ समितियां और मंत्रणा बोर्ड बनाये हैं ;

(ख) क्या उन में किसी संसद्-सदस्य अथवा राज्य विधान सभा के सदस्य को रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे किस राजनैतिक दल के हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) :** (क) चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य में डाक तथा तार विभाग द्वारा कोई भी समिति अथवा मंत्रणा बोर्ड नहीं बनाया गया है किन्तु उस राज्य में क्रमशः वर्ष १९४८ और १९४९ में बनाई गई निम्नलिखित समितियां अब भी काम कर रही हैं :

१. टेलीफोन मंत्रणा समिति

२. प्रादेशिक डाक तथा तार समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Charter flights.

(ख) और (ग). जानकारी नीचे दी जाती है :

टैलीफोन मन्त्रणा समिति :

संसद् सदस्य	१ प्रजा समाजवादी दल
विधान सभा का सदस्य	१ कांग्रेस

प्रादेशिक डाक तथा तार मन्त्रणा समिति :

संसद् सदस्य	२ कांग्रेस
विधान सभा का सदस्य	१ कांग्रेस

उड़ीसा में नदियों पर पुल

†**२३००. श्री बै० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री उड़ीसा में पुलों के बारे में २७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक नदी परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह सारी परियोजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति के पूर्व पूरी हो जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

सामुदायिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन मिशन

†**२३०१. श्रीमती मंजुला देवी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन मिशन ने आसाम और जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों का दौरा किया था; और

(ख) उनकी तीन मास की यात्रा में आसाम को शामिल न करने के क्या कारण थे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) जी हां ।

(ख) वास्तव में आसाम का दौरा करना उनके कार्यक्रम में शामिल था परन्तु समय की कमी के कारण वे वहां नहीं जा सके ।

पुलों के निर्माण के लिये राज्यों को सहायता

२३०२. श्री र० दी० मिश्र : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यस सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे पुलों के निर्माण के लिये, जो सड़कों के विकास के लिये आवश्यक हैं, कुछ धन राशि दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ और १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य को कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण इस शर्त पर दिया गया है कि जिन पुलों पर एक लाख रुपये से अधिक व्यय आयेगा उन पर राज्य सरकार एक निश्चत दर से कर लगायेगी, और एक लाख रुपये से ऊपर व्यय किये गये धन की प्राप्ति के पश्चात् इन पुलों को सदा के लिये कर मुक्त कर दिया जायेगा;

(घ) कर लगाने की राशि का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है अथवा राज्य सरकार द्वारा ; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा यह निश्चय किया गया है कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य में एक सी ही नीति अपनाई जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकारों को उनकी आयोजनाओं में शामिल की हुई फुटकर विकास योजनाओं के लिये कर्ज दिये जाते हैं। इन कर्जों की रकम का कोई अंश किसी विशेष योजना या योजनाओं के लिये नामजद नहीं किया जाता है। इसलिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में सड़कों पर पुल बनाने के लिये खासतौर पर कोई कर्जा नहीं दिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). यह सवाल पैदा नहीं होते।

गन्ने की काश्त की लागत

†२३०३. **श्री बाली रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में गन्ने की काश्त की लागत का हिसाब जोड़ने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** गन्ने की काश्त की लागत का कुल हिसाब जोड़ने की एक योजना १९५४ में स्वीकृत की गई थी। पहले पहल इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब बम्बई और आंध्र प्रदेश राज्यों को ही रखा गया था परन्तु १९५९-६० से इसमें मैसूर और राजस्थान को भी शामिल कर लिया गया। ठीक निष्कर्ष निकालने के लिये तीन फसलों के आंकड़े एकत्र करना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बम्बई और आंध्र प्रदेश की तीन-तीन फसलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार की पहली फसल का प्रतिवेदन तैयार हो चुका है और दिसम्बर, १९५७ में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने उस पर विचार कर लिया था। उत्तर प्रदेश और बिहार की दूसरी फसल और आंध्र प्रदेश की पहली और दूसरी फसल सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं और उन पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश की तीसरी फसल और बम्बई और पंजाब की तीनों फसलों सम्बन्धी आंकड़े संकलित किया जा रहे हैं और उनके प्रतिवेदन शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे। मैसूर और राजस्थान का सर्वेक्षण १९५९-६० की फसल से आरम्भ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच पटरी की सुरक्षा

†२३०४. **श्री राधामोहन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १५ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेल की पटरी के बचाव के लिये रेलवे प्रशासन ने इस वर्ष और क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी) :** सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेल की पटरी के बचाव के लिये ये कार्यवाही की गई है:—

(१) रेल की पटरी अस्थायी तौर पर पहले वाले स्थान पर बिछा दी गई है।

(२) तीन अतिरिक्त 'स्पर' बनाये गये हैं और चार जो पहले से थे इनकी मरम्मत कर दी गई है। आशा है कि इन के कारण नदी के किनारों की हालत और खराब नहीं होने पायेगी।

(३) नदी के किनारों के कटाव को रोकने के स्थायी उपाय करने के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना के डायरेक्टर प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रयोगों के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब में तार सुविधायें

†२३०५. **श्री दलजीत सिंह:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री पंजाब के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां १९५९–६० में तार सुविधायें दी जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) :** पंजाब राज्य में इन स्थानों पर तार सुविधायें देने की मंजूरी दी जा चुकी है और निर्माण कार्य १९५९–६० में आरम्भ हो गया है :

१. वेरका	जिला अमृतसर
२. कोकड़ी कलां	जिला फिरोजपुर
३. अम्ब	जिला होशियारपुर
४. बहादुरगढ़	जिला पटियाला
५. बस्तियां	जिला लुधियाना
६. टांडा	जिला होशियारपुर
७. असांढ	जिला करनाल
८. जडला	जिला जालन्धर
९. भंगरातु	जिला कांगड़ा
१०. कीरतपुर	जिला होशियारपुर
११. रतिया	जिला हिसार
१२. रणिया	जिला हिसार
१३. भुना	जिला हिसार
१४. दादासिवा	जिला कांगड़ा

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्शासकीय सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन का सम्मेलन

†२३०६. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जुलाई, १९५९ को लंदन में एक अन्तर्शासकीय सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या भारत ने उस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). पता चला है कि लंदन में ६ से ८ जुलाई, १९५९ तक अन्तर्शासकीय सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन परिषद की एक बैठक हुई थी जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों पर विचार किया गया था। भारत ने बैठक में भाग नहीं लिया।

उर्वरक का आयात

†२३०७. { **श्री रामी रेड्डी** :
श्री चांडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ से १९५८–५९ तक वर्षवार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कितना–कितना आयात किया गया;

(ख) किस मूल्य पर आयात किया गया; और

(ग) १९५९–६० में उर्वरक का कितना आयात करने का विचार है और उसका क्या मूल्य होगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १९]**.

(ग) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**.

वन उद्योग

†२३०८. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ग) क्या व्यास क्षेत्र में वन उद्योगों के विकास के बारे में फिनलैंड के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा–पटल पर रखी जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) फिनलैंड की सरकार से प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां प्राप्त होने वाली हैं और प्राप्त होते ही सभा–पटल पर रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाचीपुर केबिन में दुर्घटना

†२३१०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के लाचीपुर केबिन में जो ३ जुलाई, १९५९ को खोला गया था १० जुलाई, १९५९ को ऐसे समय पर एक दुर्घटना हो गई जब कि वहां के कर्मचारी असिस्टेंट आपरेटिंग सुप्रिटेंडेंट (जनरल), असिस्टेंट इंजीनियर, मेंटनेंस इंस्पैक्टर, सुप्रिटेंडेंट और मेनटेनेंस इंस्पैक्टर ब्लाक की उपस्थिति में कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या संचालन नियमों में गलती के कारण वह दुर्घटना हुई थी;

(ग) यदि हां, तो नियम बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ङ) क्या जांच प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(च) क्या इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां, परन्तु दुर्घटना के समय असिस्टेंट इंजीनियर और मेंटेनेंस इंस्पैक्टर ब्लाक केबिन में उपस्थित नहीं थे और उपस्थित अफसर कैबिन कर्मचारियों को काम के बारे में निदेश नहीं दे रहे थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं सका।

(ङ) जी नहीं।

(च) जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने के प्रश्न पर रेलवे प्रशासन विचार कर रहा है।

पेराम्बूर के सवारी डिब्बे बनाने के कारखाने में श्रमिकों के लिये क्वार्टर

†२३११. **श्री तंगामणि**: क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर के श्रमिकों के लिये जो क्वार्टर बनाये जाने थे क्या वे तैयार हो गये हैं; और

(ख) ५००० से अधिक अन्य कर्मचारियों के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) लगभग १५० क्वार्टर तैयार होने वाले हैं और अगले वर्ष के आरम्भ में वे रहने लायक हो जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार का विचार कारखाने के अत्यन्त आवश्यक कर्मचारियों को, जो लगभग १० प्रतिशत हैं, क्वार्टर देने का है। निधि उपलब्ध होने पर अन्य कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा

सिगनलरों की पदोन्नति[1]

†२३१२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पूर्वोत्तर रेलवे में सिगनलरों की पदोन्नति के बारे में अन्तिम कार्यवाही नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पदोन्नति का काम कब तक पूरा हो जायेगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). १६ पदों के अतिरिक्त शेष की पदोन्नति की जा चुकी है। टेलिग्राफ और ट्रैफिक सिगनलरों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के कारण विलम्ब हो गया था। सूचियां तैयार हो गई हैं और पदोन्नति शीघ्र ही हो जायेगी।

दिल्ली नगर आयोजन संस्था[2]

†२३१३. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली नगर आयोजन संस्था द्वारा आरम्भ किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०].**

खाद्यान्न की ढुलाई

†२३१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८-५९ में पंजाब से कितना खाद्यान्न बाहर भेजा गया और कितना पंजाब में लाया गया;

(ख) खाद्यान्न के इस परिवहन से रेलवे को कितना भाड़ा प्राप्त हुआ; और

(ग) इस परिवहन के लिये कितने माल-डिब्बे बुक कराये गये?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १९५८-५९ में बड़ी लाइन के ३०,१९९ और मीटर लाइन के २०,९८६ माल डिब्बे खाद्यान्न से भर कर पंजाब से बाहर

†मूल अंग्रेजी में
[1]Up grading
[2]Delhi Town Planning Organisation

भेजे गये और लगभग १०,८२६ बड़ी लाइन के माल-डिब्बों में (बड़ी लाइन और मीटर लाइन के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) खाद्यान्न पंजाब में लाया गया।

(ख) इस खाद्यान्न को लाने और ले जाने पर निम्नलिखित भाड़े की आय हुई:—

पंजाब से—१,५५,१६,६७० रुपये

पंजाब को—३८,२३,६१६ रुपये

(ग) शायद प्रश्न के इस भाग का अभिप्राय प्रयोग में लाये गये कुल डिब्बों की संख्या मालूम करना है। यदि हां, तो उत्तर भाग (क) में दिया गया है।

इटावा जिले में डाकघर

२३१५. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यादव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में अब तक कितने नये डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोलने का विचार है?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) : (क) २३.

(ख) ७.

क्विलोन-एरनाकुलम् लाइन

†२३१७. **श्री मणियंगाडन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेंगनोर निवासियों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि क्विलोन-एरनाकुलम रेलवे लाइन के पुल नं० ३१६ और ३१७ के बीच की कच्ची सड़क को मोटर आदि चलाने के योग्य बना दिया जाये और केरल बिजली बोर्ड को रेलवे की भूमि के साथ साथ बिजली लगाने की अनुमति दे दी जाये।

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं। चेंगनोर निवासियों से एक यह अभ्यावेदन मिला है कि क्विलोन-एरनाकुलम सैक्शन पर पुल संख्या ३१६ और ३१७ के बीच रेल की पटरी के पश्चिमी और रेलवे की जमीन में से बिजली की लाइन ले जाने की मंजूरी मवेलीकड़ा बिजली डिवीजन को दी जाये।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

कांडला में व्यापारियों द्वारा रेलवे के साथ धोखेबाजी

†२३१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत सात वर्ष से कुछ रेल कर्मचारी व्यापारियों के साथ मिल कर कांडला में रेलवे विभाग से धोखा करते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक जो जांच की गई उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यमुना के बहाव में परिवर्त्तन

†२३१८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यमुना के बहाव के बदल जाने के कारण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का मुहम्मदपुर गांव पानी में डूबा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सही है कि वहां के निवासियों की जानें भी खतरे में हैं, और

(ग) उन्हें बाढ़ से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने यह उत्तर दिया है कि गांव की बहुत सी कृषि भूमि यमुना में पानी का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण पानी में डूब गई है। अभी तक मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंची है और लोगों की जानों को कोई खतरा नहीं है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने एक नायब तहसीलदार को नदी के बहाव पर नजर रखने और यदि आवश्यकता पड़े तो लोगों को निकालने के लिये नियुक्त कर दिया है। आवश्यकता के समय आने जाने के लिये गांव को दो नावें दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर, माल अफसर और इंजीनियर वहां जा कर हालत देख आये हैं और पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

गाड़ी की टक्कर

†२३१९. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री द० अ० कट्टी :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री अगाड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २१ अगस्त, १९५९ सुबह के समय दक्षिण रेलवे के धर्मावदम स्टेशन पर खड़ी मैसूर-हुबली सवारी गाड़ी से एक माल गाड़ी टकरा गई; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) कांटा ठीक न लगने के कारण माल गाड़ी उस लाइन पर आ गई जहां पहले से गाड़ी खड़ी थी।

चीनी का मूल्य

†२३२०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९५९ के आखिरी सप्ताह में विभिन्न राज्यों के बाजारों में चीनी का मूल्य क्या था?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : राज्य सरकारों द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार बहुत से स्थानों पर चीनी ९७ नये पैसे से ११२ नये पैसे प्रति सेर के हिसाब से चीनी निश्चित मूल्य पर बेची जा रही है। जहां ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है वहां प्रत्येक स्थान पर और प्रति दिन चीनी का भाव अलग रहता है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि जहां राज्य सरकारों ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया था वहां अगस्त के अन्तिम सप्ताह में प्रमुख स्थानों पर चीनी का थोक मूल्य ३८.५० रुपये से ५८ रुपये प्रतिमन रहा।

हिन्दी में रेलवे स्टेशनों के नाम

२३२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत भर के सभी रेलवे स्टेशनों के नामों को शुद्ध और स्पष्ट हिन्दी में लिखने की एक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब स्टेशनों के नाम–पट पर देवनागरी हिन्दी में लिखे हुए स्टेशनों के नाम के अक्षर विन्यास से है। रेल–प्रशासन स्टेशनों के नाम का सही हिन्दी लिप्यन्तर सर्वे आफ इंडिया से प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार नाम–पट पर स्टेशनों के नाम लिखे जाते हैं।

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

विशेष पुलिस दल द्वारा ठेकेदारों पर छापा

२३२२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ अगस्त, १९५९ को केन्द्रीय विशेष पुलिस दल ने विलासपुर में रेलवे लाइन के निर्माण कार्य पर लगे हुए कुछ ठेकेदारों के यहां छापा मारा और इस सम्बन्ध में रेलवे के कुछ अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). स्पेशल पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है। अभी उसका व्यौरा देना सार्वजनिक हित में न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

†२३२३. **श्री राम कृष्ण रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मास पूर्व दक्षिण रेलवे के धर्मावरम–पकाला सैक्शन पर मल्लाका वेयाला और मुडीगुमा के बीच पटरी से उतरी मालगाड़ी में से लोहे के सामान की चोरी के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा तथा प्रतिपालक कर्मचारियों ने साथ मिल कर यह चोरी कराई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, चोरी ६–२–५६ को हुई थी ।

(ख) जी नहीं। रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों ने तफतीश में पुलिस की सहायता की और बहुत सी सम्पत्ति वसूल की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिलांग को विमान सेवा

†२३२४. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिलांग के लिये बाकायदा कोई विमान सेवा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां।

(ख) शिलांग में अभी कोई हवाई अड्डा नहीं है । शिलांग के निकट हवाई अड्डा बनाने के लिये स्थान ढूंढ़ा जा रहा है। वर्तमान परिवहन आवश्यकता गौहाटी के हवाई अड्डे द्वारा पूरी हो रही है जो शिलांग से ५० मील दूर है और पक्की सड़क द्वारा शिलांग से मिला हुआ है।

राजस्थान को चीनी का सम्भरण

२३२५. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अजमेर में चीनी का भाव ६५ रु० प्रति मन है,

(ख) क्या यह स्थिति राजस्थान को चीनी का सम्भरण बहुत कम मात्रा में होने के कारण है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी का सम्भरण कम करने के कारण राजस्थान सरकार को चीनी का राशन ४ छटांक प्रति व्यक्ति से हटा कर २ छटांक कर देना पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। ३१ अगस्त, १६५६ को अजमेर के क्लक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार थोक बाजार भाव ५४ रुपये से ५४.५० रुपये प्रति मन और फुटकर में ५७.५० रुपये है। उचित मूल्य की दुकानें फुटकर में ४०.३६ रुपये प्रति मन बेच रही हैं।

(ख) और (ग). अजमेर के कलक्टर ने सूचना दी है कि चीनी के पहुंचने में देर होने के कारण अगस्त, १६५६ के अन्तिम सप्ताह में चीनी का राशन ४ छटांक प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह से घटा कर अस्थायी रूप से २ छटांक कर दिया गया था। ३१ अगस्त, १६५६ से राशन बढ़ाकर ३ छटांक प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह कर दिया गया है और शीघ्र ही पुनः ४ छटांक कर देने का विचार है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): श्रीमान मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और उसके बारे में जो उत्तर मुझे मिला है उसकी अंग्रेजी का मैं कोई अर्थ नहीं समझ पाया हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मेरे कमरे में आयें तथा भाषा सम्बन्धी कठिनाई मुझे बतायें।

†**श्री महन्ती** : मैं आपके कमरे में अवश्य आऊँगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब कृपा करके मेरी बात सुनिये। मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। इनमें से किसी भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना मैंने ठीक नहीं समझा है और इस निर्णय की सूचना माननीय सदस्यों को भेज दी गई है।

मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कई बार इस विषय में प्रक्रिया समझाई जा चुकी है और हमें अब उसी के अनुसार चलना चाहिये। वह बता चुके हैं कि जब किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है तो माननीय सदस्य उन्हें उनके कमरे में जाकर अपनी बात समझा सकते हैं। यदि माननीय सदस्य उनके कमरे में न जाना चाहें तो उनको लिख सकते हैं। यदि माननीय सदस्य इन दोनों तारीकों में से किसी को भी अपना कर अध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के महत्व के बारे में विश्वास दिला देंगे तो उस स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष अगले दिन सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): मुझे बताया गया है कि यह मामला नीति सम्बन्धी होने के कारण स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है। इसीलिये मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। चूंकि यह नीति सम्बन्धी मामला है इसलिये इसके बारे में प्रधान मंत्री भी मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना कैसे वक्तव्य दे सकते हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यही मेरा कहना है, इस प्रकार के स्पष्टीकरण मेरे कमरे में किये जा सकते हैं या माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चीन-भारत संबन्धों पर श्वेत-पत्र

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** श्रीमान, इस पत्र को सभा पटल पर रखने से पूर्व, मुझे सभा में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दें जिससे मैं कुछ आशंकाओं को स्पष्ट कर सकूं। मैंने समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार पढ़ा है और यदि यह समाचर सच है तो अवश्य सभा में चिन्ता का विषय होना चाहिए। परन्तु ऐसे समाचार सर्वदा सच नहीं होते। उदाहरणतः आज के किसी समाचार पत्र ने पंजाब-स्पिति सीमा पर किसी घटना का समाचार छपा है कि चीनी वहां पर घुस आये और उन्होंने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना है; मैंने पंजाब सरकार को तुरंत टेलीफोन किया। उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ है....

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : 'ऐसा नहीं हुआ है' के क्या माने हुए ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उहोंने यही बताया है कि उनकी जानकारी के अनुसार यह बात सच नहीं है। जो कुछ उन्होंने बताया है मैं उससे अधिक कुछ नहीं बता सकता हूं। उन्होंने निश्चित रुप से टेलीफोन पर बताया है कि स्पिति में उस स्थान पर उनके क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

एक और समाचार था कि हिमाचल प्रदेश के चिनी स्थान पर कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित किया परन्तु अब तक हमें विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

समाचार पत्रों में एक समाचार यह भी छपा था कि पूर्व में कहीं पर पाकिस्तानी फौजों ने गोली चलाई। इसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं है। मैंने प्रतिरक्षा अधिकारियों से पूछा क्योंकि उनको इससे सम्बन्धित समाचार प्रतिदिन मिलते हैं। कल शाम तक उन्हें भी कोई समाचार नहीं मिला था।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी): आसाम सरकार ने कड़ा विरोध किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विरोध किया जा सकता है। हो सकता है कोई छोटी-मोटी घटना हुई हो हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिदिन समाचार आते हैं परन्तु उन्हें संभवतया कोई समाचार इतना गंभीर न लगा हो जिसको सूचना मुझे भेजनी उन्होंने आवश्यक समझी हो। छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं। मैं यही बातें स्पष्ट करना चाहता था। संभवतया माननीय सदस्यों को इस बारे में कुछ संदेह अथवा आशंकायें हों।

मैं श्वेत-पत्र की एक प्रति, जिसमें १९५४-५९ में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुए करार तथा दोनों सरकारों द्वारा आदान-प्रदान किये गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये हुए हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० १५९५/५९].

इन पत्रों को सभा पटल पर रखने का वादा मैंने कुछ समय पूर्व किया था और आज इनको सभा पटल पर रख रहा हूं। केवल गत सप्ताह में प्राप्त पत्र आदि के अतिरिक्त अब तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के सभी पत्र इसमें शामिल हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपनी प्रतियां सूचना कार्यालय अथवा और किसी अन्य स्थान से ले सकते हैं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): क्या श्वेत पत्र पर चर्चा का अवसर हमें दिया जायेगा?

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व आश्वासन दिया था कि भारतीय क्षेत्र में चीनियों के घुस आने के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी वह सभा पटल पर रखेंगे तथा सभा को स्थिति अवगत कराते रहेंगे। मैं इस बारे में दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि नेफा की रक्षा के उपायों के समान लद्दाख के भारतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा दूसरे क्या इस सभा में इस विषय पर चर्चा का अवसर हमें मिलेगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने बताया था कि मैं सभा को और कोई नई बात होने पर बताता रहूंगा। नेफा क्षेत्र में जहां तक हमें मालूम है, कोई विशेष बात नहीं हुई है जिसको मैं सभा को बताऊं। उस क्षेत्र की रक्षा का भार प्रतिरक्षा अधिारियों को सौंप दिया गया है, यह बात सभा जानती ही है।

†**श्री वाजपेयी** : और लद्दाख के बारे में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने प्रतिरक्षा के लिए किन उपायों का अवलम्बन किया है उसको सभा में बताना उचित नहीं होगा। उन पर प्रतिरक्षा का भार है और वह निसंदेह पर्याप्त उपाय करेंगे।

†**श्री महन्ती** : श्रीमान मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय प्रधान मंत्री खाद्यान्न, भाषा आदि सभी विषयों पर बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री क्यों कुछ नहीं बताते। हम प्रतिरक्षा मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि क्या कदम उठाये गये हैं। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान, मैं समझा नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्री किस प्रकार बीच में आ सकते हैं। मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दे रहा हूँ। यदि माननीय सदस्य ने प्रतिरक्षा मंत्री अथवा अन्य किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा होता तो वह उस प्रश्न का उत्तर दे देते। उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। परन्तु यदि प्रतिरक्षा मंत्री अथवा और कोई मंत्री मेरे से ज्यादा जानते हैं तो आपकी अनुमति से वह उत्तर दे सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; सिर्फ एक पत्र सभा पटल पर रखा गया है। यह पूछा गया कि माननीय सदस्यों को उस पर चर्चा का अवसर दिया जायेगा अथवा नहीं। सरकार इस पर विचार करेगी कि समय मिल सकेगा या नहीं और तभी इसका उत्तर मिल सकेगा। माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें।

†**श्री वाजपेयी** : श्रीमान, जो नई बातें और घटनायें हो रही हैं, सभा को उन्हें नहीं बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्य का यह कहना है कि सभी बातें नहीं बताई जा रही हैं तो जब आप चाहें मैं चर्चा करने को तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की

†मूल अंग्रेजी में

भावना अधिक फैले। केवल तीन चार पत्रों को छोड़कर जो हाल में ही हमें मिलें हैं, अन्य सभी पत्र हमने सभा पटल पर रख दिए हैं। प्रकाशित हो जाने के बाद संभवतया हम उनको सभा पटल पर रख देंगे। अभी उन पर विचार किया जा रहा है। उनके बारे में कोई गोपनीयता नहीं है। परन्तु यदि सभा यह जानना चाहे कि हमारे सैनिक अधिकारी या हमारी सेना क्या क्या कदम उठा रही है तो मेरा यह कहना है कि सामान्यतः यह बातें बताई नहीं जाती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस पर चर्चा का अवसर देगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान समय का ही प्रश्न है। यदि आपकी समिति समय निश्चित करदे तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

भारतीय तार नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बारायन)** : मैं भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५९६/५९]

विश्व स्वास्थ्य सभा में गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं मई, १९५९ में जेनेवा में हुई बारहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५९७/५९]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ९ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ १२(१४२)/५५—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५९८/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५९९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक-सभा को यह बताना है कि राज्य-सभा ने ४ सितम्बर, १९५९ को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है जो श्री कैलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा की सहमति और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किए जायें।

प्रस्ताव

"कि अनाथालयों, निराश्रित स्त्रियों या बच्चों के आश्रमों और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के निरीक्षण और नियंत्रण का तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को ३० सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये, जिसम १० सदस्य इस सभा के हों अर्थात्—

डा० डब्ल्यू० एस० बार्रलिंगे, श्री देवकी नन्दन नारायण, श्रीमती सावित्री देवी निगम, श्री राम सहाय, श्री एम० एच० सेमुअल, श्री डी० ए० मिर्जा, श्री एन० सी० शेखर, श्री कामता सिंह, श्री वी० वेंकटरमन, श्री कैलाश बिहारी लाल तथा २० सदस्य लोक-सभा के हो;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्त्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति द्वारा किए जायें;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी; और

कि यह सभा, लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम राज्य-सभा को बताये।"

नंगल में हॉयस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बार में वक्तव्य

†**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : श्रीमान्, २ सितम्बर, १९५९ के वक्तव्य से आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि डा० ए० एन० खोसला के सभापतित्व में भाखड़ा सलाहकार बोर्ड की एक बैठक ६ सितम्बर, १९५९ को हुई और उसमें उन्होंने हॉयस्ट चैम्बर (फाटक उठाने और गिराने का कक्ष) की मरम्मत करने और सामान्य स्थिति लाने

---

†मूल अंग्रेजी में

के उपायों पर विचार किया। श्री एम० एच० स्लोकम, श्री कंवर सेन तथा श्री एस० डी० खुंगर ने बैठक में भाग लिया। बोर्ड को एकमत सिफारिशों पर भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने विचार किया, जिसकी बैठक नई दिल्ली में हुई। श्री एम० एच० स्लोकम की राय सुनने के बाद और सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त, बोर्ड ने निम्न संकल्प पारित किया:—

"बोर्ड ने हॉयस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में सलाहकार बोर्ड तथा भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबंधक के प्रतिवेदनों पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में श्री स्लोकम की राय भी सुनी है। बोर्ड को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि श्री स्लोकम, सलाहकार बोर्ड तथा भाखड़ा बांध प्रशासन प्राधिकारियों के बीच पूर्ण सहमति है और सहयोग की भावना विद्यमान है।

यह उनकी इस राय से पूर्णतया सहमत है कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हॉयस्ट चैम्बर की क्षति की मरम्मत करने की है और उसके साथ ही शीघ्रातिशीघ्र भाखड़ा बांध में कार्य के लिए सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये उपाय करने की है।

"बोर्ड इस बात की आवश्यकता महसूस करता है कि विद्यमान प्रक्रिया तथा तरीकों को बदला जाय, जो कि शीघ्र कार्य निष्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है; और संकल्प करता है कि कि वर्तमान आपात स्थिति का सामना करने के लिए उनमें आवश्यक रूपभेद किया जाय।

"बोर्ड को पूरा भरोसा है कि सलाहकार बोर्ड और भाखड़ा बांध प्रशासन—जिसमें श्री स्लोकम भी पूरे हिस्सेदार हैं—इस काम को सफलता से करेंगे—और यह काम शीघ्रता एवं मितव्ययिता से किया जायेगा।

बोर्ड परियोजना अधिकारियों द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही को ठीक समझता है। और (क) आवश्यक मरम्मत के उपायों को क्रियान्वित करने की योजना के मुख्य पहलुओं तथा ;

(ख) काम के शीघ्र निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए बताये गये उपायों तथा प्रस्तावित प्रत्यायोजनों के सम्बन्ध में सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का अनुमोदन करता है।"

अब काम सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार चलेगा।

मैंने सभा को बताया था कि ३० अगस्त, १९५९ को केबिल गैलरी में लोहे का फाटक नीचे डालने का प्रयास असफल रहा था। हमें बताया गया है कि इसी प्रकार का दूसरा प्रयत्न ९ सितम्बर, १९५९ को किया जायगा। यद्यपि फाटक तैयार कर लिया गया है, परन्तु कंकरीट के ढांचे को जमाने के लिये कुछ समय लगेगा।

मैं सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रख रहा हूं।

भाखड़ा बांध के सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन, जो सभा-पटल पर रखा गया।

भाखड़ा बांध के सलाहकार बोर्ड का सोलहवां प्रतिवेदन

सलाहकार बोर्ड की सोलसवीं बैठक ६ सितम्बर, १९५९ को, डा० ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में, भाखड़ा बांध डिजाइन्स निदेशालय में हुई। श्री एम० एच० स्लोकम, श्री कंवर सेन, और श्री एस० डी० खुंगर ने सदस्यों की हैसियत से भाग लिया। भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबन्धक श्री एम० आर० चोपड़ा, तथा भाखड़ा बांध डिजाइन्स निदेशालय के निदेशक श्री पी० एस० भटनगर ने भी बैठक में भाग लिया।

हॉयस्ट चेम्बर की क्षति के पश्चात् दाहिनी डाइवर्शन सुरंग को बंद करने की योजना पर विचार किया गया। भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबंधक ने बोर्ड को निम्न जानकारी दी:—

इस क्षति के कारण हॉयस्ट चेम्बर और फाटन–नियंत्रण ढांचे में से अनियंत्रित प्रवाह चल रहा है। इस समय जलाशय की सतह १४४४ + है। आगे की तरफ पानी की सतह इ० एल० ११८४ + है। हॉयस्ट चेम्बर और बांध की गैलरियों को मिलाने वाली सुरंग में से ५००० क्यूजेक्स जल प्रवाहित हो रहा है। ाईं डाइबर्शन सुरंग में से भी ४५०० क्यूजेक्स पानी बह रहा है।

दाई डाइवर्शन सुरंग को बंद करने और हॉयस्ट चेम्बर में जल के प्रवेश को रोकने के विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था। सलाहकार बोर्ड निम्न योजना का अनुमोदन करता है:—

(१) दाई डाइवर्शन सुरंग के ऊपरी भाग में पानी के आने की जगह को कंकरीट के थैलों, क्रेटों आदि से भर दिया जाना। ताकि ई० एल० १३२०—सिंचाई मार्गों के द्वारा भाखड़ा जलाशय के पानी के बहाव पर नियंत्रण किया जा सके और दाई डाइवर्शन सुरंग में प्रवेश के स्थल के नीचे शेष जल को कम किया जा सके। यदि यह काम उस दिन तक पूरा न हो सके जिस तक कि जलाशय के पानी की सतह ई० एल० १३४० + से नीचे गिरे (जो कि ई० एल० १३०–मार्गों से पानी के नियंत्रण के लिये अपेक्षित सतह है), तो सुरंग को भरने के तरीकों में उसी हद तक परिवर्तन करना पड़ेगा और जलाशय के जल का प्रवाह दाई सुरंग में से जारी रखना होगा।

(२) एक पास से निकलने वाली सुरंग बनाई जाय, जिसका परिमाण उपयुक्त हो, वह हॉयस्ट चेम्बर के पास से गुजरे, ताकि दाई डाइवर्शन सुरंग में से प्रत्याशित जल प्रवाह पर काबू रह सके और इस सुरंग में पानी जाने वाली जगह पर पानी की सतह इ० एल० १२१० से ऊपर न जाय, जो कि हॉयस्ट चेम्बर तथा एडिट सुरंग के फर्श से ५ $^1/_2$ फीट नीची है। इस सुरंग से ऊपर एक पहुंचने वाली सुरंग बने जिसमें से गुजर कर गिर्माण का काम जारी रह सके।

(३) ई० एल० १३६० में एक हॉयस्ट शैफट ओपनिंग हो,

(४) क्षतिग्रस्त हॉयस्त चैम्बर में जल प्रवाह रोकने की कार्यवाही की जाय और चेम्बर के ऊपर व नीचे के अस्थीई "कट आफ" को भी बन्द किया जाय।

उपर्युक्त योजना की शीघ्र तथा प्रभावपूर्ण क्रियान्विति के लिए बोर्ड निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश करता है:—

(१) **विदेशी मुद्रा :** इस आपात के लिए आवश्यक सामान मंगाने तथा बिजली घर के सामान की मरम्मत करने के प्रयोजन से, भाखड़ा बांध प्रशासन को ४५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाये।

(२) **प्राप्ति की प्रक्रिया :** इस आपात स्थिति में सामान को प्राप्त करने व खरीदने के बारे में, सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण न किया जाय। बोली के लिए कोई विज्ञापन न दिया जाय और माल को सीधे बाजार से खरीद लिया जाय। भाखड़ा बांध प्रशासन को अधिकार दिया जाय कि वह माल प्राप्त करने की शर्तों को स्वीकार कर सके। किन्तु १०,००० रुपये से अधिक के माल की खरीद के बारे में मुख्य प्रबन्धक भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को सूचना दे।

(३) **प्राथमिकतायें :** इस्पात सेक्शन्स, कंकरीट, प्लेट्स, तारों इत्यादि नियंत्रित सामग्री के बारे में प्राथमिकताओं की व्यवस्था की जाय।

(४) **अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति :** इस आपात में भाखड़ा बांध प्रशासन के विभिन्न निदेशालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबन्धक को कर्मचारी रखने की स्वीकृति देने का अधिकार दिया जाय और वह भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को सूचना दे।

(५) **संस्थापन में परिवर्तन :**

(क) भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबन्धक की सलाह के बिना अनुभवी कर्मचारियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये;

(ख) श्री आर० मेहता को सम्पर्क तथा परिवहन अधिकारी के रूप में अवश्य रखा जाये;

(ग) आपात समाप्ति तक वाशिंगटन स्थित टेक्निकल सहचारी तथा कर्मचारी अवश्य रहें।

(६) **कर्मचारियों को बोनस :** भाखड़ा बांध के मुख्य प्रबंधक को यह अधिकार दिया जाय कि वह इस आपात स्थिति से संबंधित कार्यों पर लगे कर्मचारियों को उनके वेतन के ५० प्रतिशत भाग तक बोनस दे देने की मंजूरी दे सकें। वह यह बात नियंत्रण बोर्ड को केवल सूचना के लिए ही भेजें।

(७) **वित्तीय मामले :** मुख्य प्रबंधक को, सेना, नौसेना तथा अन्य अभिकरणों के साथ वित्तीय मामलों में कुछ वादे करने का अधिकार दिया जाय। उसे इस बारे की सूचना भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी।

(८) **जलाशय से प्रवाह का नियंत्रण :** मुख्य प्रबंधक को जलाशय से जल के प्रवाह को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार दिया जाय ताकि वह निर्माण कार्यक्रम को ज्यादा महत्व न देते हुए उपयुक्त जल प्रवाह के बारे में आदेश दे सके।

(९) **सामान्य :** मुख्य प्रबंधक को ऐसी दूसरी अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की जाय जो आपात स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक हों; अर्थात् जल तथा स्थल सेना के

लोगों को निश्शुल्क मकान देने, टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने तथा कागज पेंसिल आदि खरीदने के अधिकार आदि आदि;

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
एस० डी० खुंगर	कंवर सेन	एम० एच० स्लोकम	ए० एन० खोसला
सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम माननीय मंत्री के वक्तव्यों से संतुष्ट नहीं है। अभी कल ही उन्होंने कहा था कि चेम्बर में पानी कम हो रहा है किन्तु अगले दिन पता चला कि पानी छत से जा लगा है। उधर हमने सुना है कि श्री स्लोकम पूरे अधिकार मांग रहे हैं। हमें यह बताया जाय कि इस मामले पर पूरी बहस करने का अवसर कब दिया जायगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): हम श्री स्लोकम की शर्तों के बारे में सही हालात जानना चाहते हैं। वह पूरा अधिकार चाहते हैं, इसका क्या अर्थ है ?

†**सरदार इकबाल सिंह** (फीरोजपुर): क्या सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जिन लोगों ने वहां काम कराया था उन्हें यानी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को जांच करने के अधिकार न दिये जायं।

†**श्री गोरे** (पूना) : कहा जाता था कि ५० लाख में मरम्मत होगी; परन्तु अब सुनते हैं कि ५–६ करोड़ रुपया लगेगा। इसमें कौन सी बात सच है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): भाखड़ा नंगल बांध की क्रियान्विति सम्बन्धी तथा टेकनिकल समस्याओं के हल में समन्वय लाने के क्या प्रयास किये गये हैं ?

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग): इस दुर्घटना का क्या कारण था; यह तो बताया ही नहीं गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस दुर्घटना के लिये जनता का चिन्तित होना स्वाभाविक है। इस पर बहस करने के लिये एक प्रस्ताव की सूचना भी आयी है। और अध्यक्ष महोदय ने उसे गृहीत कर लिया है। कल कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी और वह चर्चा के लिये समय निकालने के बारे में निर्णय करेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस समिति का काम समय निर्धारित करना है यह सभा पूर्ण रूप से अधिकृत है और यह निर्णय दे सकती है कि इस विषय पर चर्चा हो, तब समिति समय निश्चित कर सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बात प्रचलित नहीं कि सभा पहले राय दे। फिर माननीय सदस्य भी तो उस समिति की सदस्या हैं। वह अपने विचार वहां व्यक्त कर सकती हैं। यदि इन सारे प्रश्नों को हम यहां पूछे जाने की आज्ञा दें दे तो यह चर्चा हो जायगी। कार्य मंत्रणा समिति चर्चा के बारे में निर्णय करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो ४ सितम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बीमा निगम जांच जीवन के सम्बन्ध में विवियन बोस जाँच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जीवन बीमा निगम जांच के बारे में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन, उस पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श और भारत सरकार के दिनांक २७ मई, १९५९ के संकल्प पर विचार करती है।"

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संसद में पूछे गये एक प्रश्न और यहां सभा में की गई आलोचना के कारण उत्पन्न हुआ है और फलस्वरूप उच्च स्तर पर इसकी सार्वजनिक जांच की गई है। और इसी के कारण मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ सदस्य को त्यागपत्र देना पड़ा तथा कुछ उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ी। अतः यह सभा का कर्तव्य है तथा जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन जांचों के फलस्वरूप उत्पन्न तथ्यों की ओर विशेष रूप से विवियन बोस जांच बोर्ड तथा उस पर संघ लोक सेवा आयोग के निर्णयों एवं सिफारिशों की अच्छी तरह से जांच की जाये।

हमें इस कांड पर अच्छी तरह से तथा अन्तिम रूप से विचार करना चाहिये। और इन आयोगों तथा जांचों द्वारा किये गये निर्णयों पर अपने निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिये। यह इस सभा का अधिकार है कि वह उस पर अन्तिम निर्णय दे और सरकार का पथ प्रदर्शन करे। सबसे पहले मैं तीन पदाधिकारियों, उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप तथा उनको दिये गये दंड का उल्लेख करूंगा। उसके बाद विवियन बोस बोर्ड तथा संघ लोक सेवा आयोग के निर्णयों की चर्चा करूंगा। अन्त में जन हित और जन महत्व जैसे बड़े-बड़े मामलों की चर्चा करूंगा। और सब से अंत में इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय और उन निर्णयों का जन साधारण पर होने वाले प्रभाव का उल्लेख करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इन तीन पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की चर्चा करने से पूर्व विवियन बोस बोर्ड ने किस रूप में उन्हें लिया है और उनको तय किया है इसकी चर्चा करूंगा । इस बोर्ड के अध्यक्ष श्री विवियन बोस ने इसका वृहद् दृष्टिकोण लिया है तथा पूरे मामले पर प्रशासकीय दृष्टिकोण से विचार किया है । एवं सारे मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा है । यदि इस बोर्ड के प्रतिवेदन को आप देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि इस बोर्ड ने पहले से कोई धारणा न बना कर इसकी जांच की है । जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही थी उनके प्रति इस बोर्ड ने बहुत समझदारी से काम लिया है तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है । इस बोर्ड का जो क्षेत्र था उसके प्रति इसके सदस्य बड़े सजग रहे हैं । चूंकि यह मामला बड़ा टेढ़ा था और इसमें बहुत से व्यक्ति सन्निहित थे लेकिन उन्होंने सब के विरुद्ध जांच न करके अपनी जांच का क्षेत्र केवल इन तीन व्यक्तियों तक ही सीमित रखा है । अतः हमें भी उसी दृष्टि से इस बोर्ड के निर्णयों को देखना है ।

इतने उच्च अधिकारीय बोर्ड की स्थापना करने के लिये सरकार भी धन्यवाद की पात्री है । इससे अच्छा जांच बोर्ड वह नियुक्त नहीं कर सकती थी । इस बोर्ड के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश तथा वरिष्ठ आई० सी० एस० पदाधिकारी इसके सदस्य थे । अतः ये सभी प्रशासन के मामले में बहुत अनुभवी थे । यह सब कुछ मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि हम इनकी सब सिफारिशों को स्वीकार कर लें बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि उनकी सिफारिशें वजनदार और सम्माननीय हैं और अगर हम किसी कारणवशात् उनको नहीं मानते हैं तो हमें ऐसा करने के लिये ऐसे कारण एवं तर्क देने चाहिये जिनसे कि जनता सन्तुष्ट हो जाये ।

एक निवेदन मैं यहभी करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी भरोसा करने योग्य मामले हैं जो लगभग अविवादास्पद हैं । ये सब लेखाबद्ध हैं । जिनका अध्ययन करने से हम भी उसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं जिन पर कि यह बोर्ड पहुंचा है ।

यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह सारा मामला इसलिये उठा कि निगम ने श्री मूंदड़ा, के छः संस्थानों में शेयर खरीदे और यह क्रय एक अपवादात्मक क्रय था । क्योंकि इससे निगम को १० लाख रुपये की हानि तथा श्री मूंदड़ा को दस लाख रुपये का लाभ हुआ । इस तथ्य में कोई विवाद की बात नहीं है । ५० लाख रुपये ऐसे संस्थानों में फंसा दिये हैं जिनके द्वारा लाभांश दिये जाने की कोई संभावना नहीं है । यह सौदा बहुत जल्दी में किया गया था । सब कुछ तीन दिन में हुआ । इसके अलावा तीन मामलों में तो जो मूंदड़ा चाहते थे उससे भी अधिक राशि दी गई है । जिन दरों पर देने के लिये वह कह रहे थे उससे भी अधिक दरों पर सौदा हुआ है । अब प्रश्न यह उठता है कि उन दरों को निश्चित करने का आधार क्या था । चौथे मामले में श्री मूंदड़ा ने ८० रुपये मांगे थे लेकिन ८२ रुपये के हिसाब से भुगतान हुआ इस पर अध्यक्ष ने इसे काट कर ८० रुपये किया । प्रबन्ध निदेशक ने जानते हुये भी यह मामला अध्यक्ष के सामने नहीं रखा ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस सब के लिये उत्तरदायी कौन है ? मामले के इतिहास को देखने से स्पष्ट है कि इस गोलमाल में प्रबन्ध निदेशक श्री वैद्यनाथन का हाथ है । विवियन बोस ने भी उसे दोषी ठहराया है । उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है । जो व्यक्ति पहले से ही अवकाश प्राप्त था और कालावधि बढ़ाये जाने के आधार पर कार्य कर रहा था तो क्या उसकी सेवायें समाप्त कर देने से ही उसे दंड मिल गया, जब कि वह मूंदड़ा कांड की समाप्ति के बाद ही अवकाश ग्रहण करने वाला था ? यह प्रश्न विचारणीय है । मेरे विचार से उनके लिये यह कोई दंड नहीं है ।

श्री कामत इस निगम के अध्यक्ष थे। चूंकि वे सब मामले के प्रभारी थे और उन्हें इसकी जांच करनी थी अतः वे भी इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते थे। उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि ऊंचे भाव पर माल लिया जा रहा है। वह स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ था और वे इसके लिये उत्तरदायी हैं। इनके प्रति सभी ने दयालुता का रवैया अपनाया है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि तीन सप्ताह पूर्व ही उन्होंने यह पद ग्रहण किया था और वे स्टॉक एक्सचेंज के कार्य से परिचित नहीं थे। दूसरे वे श्री पटेल से प्रभावित थे। लेकिन इसके होते हुये भी यह उनका कर्तव्य था कि वह इसकी जांच करते। संसदीय अधिनियम के अनुसार निगम को विनियोजन करने का अधिकार है। विनियोजन समिति से परामर्श लेना चाहिये था। कार्यकारणी समिति ने सारे अधिकार अध्यक्ष को दे दिये थे अतः उन्हें कार्यकारिणी समिति की ओर से कार्य करना चाहिये था। अतः उन्हें उत्तरदायित्व से कार्य लेना चाहिये था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यह कहना भी कि वह तीन सप्ताह से ही वहां थे बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि पिछले ४ महीनों से वे निगम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे अतः इस दौरान में निगम के कार्य तथा अपने पद के दायित्व से उन्हें परिचित हो जाना चाहिये था।

वे तो एक वरिष्ठ आई० सी० एस० पदाधिकारी थे। जब कि साधारण व्यक्ति से यह आशा की जा सकती है कि वह अपने दायित्वों से परिचित हो तो उनसे भी यह आशा करना ठीक ही था। लेकिन उन्होंने मामले की कोई जांच नहीं की और उसे अपवाद के रूप में चलने दिया। लेकिन इतने बड़े दंड के लिये केवल उनकी भर्त्सना लिखित रूप में की गई है। कल्पना कीजिये कि इतने बड़े दोष के लिये केवल इतने से दंड का जनता पर क्या प्रभाव होगा?

श्री पटेल वरिष्ठ भागीदार हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें कैसे भारमुक्त कर दिया। विवियन बोस जांच बोर्ड ने उनके कार्यों की व्यापक जांच की और शुरू से लेकर अन्त तक की सारी शहादतें इस बात की साक्षी हैं कि इस कांड के सबसे बड़े दोषी हैं, तो विवियन बोस के प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात् सभी की यह राय बनती है कि किस प्रकार उनको भार्‌क्त किया गया? लेकिन विवियन बोस बोर्ड ने उन्हें भारमुक्त नहीं किया। इस सारे कांड के वे ही मुख्य प्रवर्त्तक थे। इस दोष में उनका सब से बड़ा हाथ था। उन्होंने सारा कार्य किया। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि श्री मूंदड़ा के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिये। ऐसा आदेश भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री देशमुख का था। श्री पटेल, श्री वैद्यनाथन और श्री कामत सभी जानते थे। लेकिन उन्होंने सारा मामला कभी भी भूतपूर्व वित्त मंत्री के सामने नहीं रखा। कभी भी उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नहीं लिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से सभी पदाधिकारियों को बताया कि उन्होंने वित्तमंत्री का अनुमोदन ले लिया है और सारे मामले को निबटा दिया। विभिन्न साधनों से उन्होंने और भी जानकारी एकत्रित कर ली। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि श्री वैद्यनाथन और श्री कामत ने कहा है कि अगर उनको श्री मूंदड़ा के बारे में मालूम होता तो वे कभी भी यह कार्य नहीं करते लेकिन श्री पटेल, भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी श्री मूंदड़ा के बारे में अच्छी तरह जानते थे लेकिन फिर भी सौदा हो गया। अतः इसका दायित्व भूतपूर्व वित्तमंत्री पर भी है क्योंकि उद्योग और वाणिज्य मंत्री के नाते वे बहुत पहले ही श्री मूंदड़ा की करतूतों के बारे में लिख चुके थे। कम से कम ऐसी सुरत में तो वे इस सौदे को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। रिजर्व बैंक द्वारा ध्यान दिलाने पर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम वित्त मंत्री सब तथ्यों की जांच कर सकते थे और कुछ कार्यवाही कर सकते थे। अतः यह सब कुछ जानते हुये भी उन्होंने ऐसा किया।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इसलिये भूतपूर्व वित्तमंत्री तथा मुख्य वित्तसचिव वैयक्तिक तथा संवैधानिक दायित्व से नहीं बच सकते। इस प्रतिवेदन में कम से कम ५० तथ्य और भी ऐसे मिलते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि श्री पटेल ही इस कांड के मुख्य दोषी थे। उन्होंने अपने मुख्य पदाधिकारी को सभी चीजों से अनभिज्ञ रखा। इस प्रतिवेदन से लेकिन यह भी स्पष्ट है कि मुख्य पदाधिकारी नेभी इन बातों की कोई परवाह नहीं की। और कोई उन्चित पथ प्रदर्शन भी नहीं किया। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस प्रकार यह मामला बढ़ा और श्री वैद्यनाथन् और श्री पटेल ने षडयंत्र करके सारे मामले को किया और विनियोजन समिति तथा कार्यकरिणी समिति को उठा कर बाहर फेंका। उन्होंने सारे कार्य नियमों का उल्लंघन करते हुये किये। प्रतिवेदन को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री कृष्णमाचारी अधिनियम तथा उसके नियमों के पक्ष में नहीं थे। श्री पटेल ने कहा है कि अगर श्री देशमुख वित्तमंत्री होते तो उन नियमों का पालन किया जाता लेकिन चूंकि श्री कृष्णमाचारी इन नियमों के विरुद्ध थे अतः उनका पालन नहीं किया गया। विनियोजन के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय द्वारा सुझाव देने पर श्री कृष्णमाचारी ने उस मंत्रालय की बात नहीं मानी। मेरा निवेदन यह है कि भूतपूर्व वित्तमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से इस कांड के उत्तरदायी हैं।

जहां तक कि केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसने छागला आयोग उसके बाद यह आयोग और उसके बाद इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से केन्द्रीय सरकार दो मामलों में सहमत नहीं थी। यह कहते हुये मुझे दुख है कि संघ लोक सेवा आयोग का स्तर गिर रहा है। यह पहला ही मामला है जिसमें सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं हुई है। क्योंकि बोस बोर्ड जैसे उच्चस्तरीय बोर्ड की सिफारिशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध हो जाने पर सरकारी कर्मचारी की नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता। जब यह निश्चित हो जाता है कि अमुक व्यक्ति दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिये। और उस समय जब कि जनता के धन का दुरुपयोग हो, जब कि जनता की थाती का दुरुपयोग हो तो उस समय दंड और भी कड़ा देना चाहिये।

एक निवेदन और भी करूंगा कि हमारे मंत्रियों को प्रभावी होना चाहिये। मंत्री बहुत ही अप्रभावी हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ मामलों में उनके सचिव उनकी अवहेलना करते हैं।

राजनैतिक दलों को दी जाने वाली राशि का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में यह नहीं कहा गया है कि यह सारा मामला इसलिये हुआ कि किसी दल विशेष को कुछ धन दिया गया था। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वास्तव में यह बोर्ड यह मालूम करना चाहता था कि इस कांड के पीछे कौन सी भावना कार्य कर रही थी। लेकिन उसे किसी भावना का पता नहीं चला। अतः उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। और वे इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि राजनैतिक दलों के लिये धन उस संगठन द्वारा ही किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में मंत्रियों को कुछ नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें कुछ परम्परायें, स्तर और प्रथायें बनानी चाहियें। । विदेशों में भी कुछ परम्परायें अपनाई गई हैं। हमें अपने निर्वाचनों में कम व्यय करने की पद्धति डालनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि गण्यमान्य व्यक्तियों को दलों के लिये धन एकत्रित नहीं करना चाहिये दूसरे वैयक्तिक निर्वाचनों

के लिये भी किसी व्यक्ति को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिये। अगर कोई धन एकत्रित करता भी है तो वह दल के द्वारा हो। वर्ना इसे घूस समझनी चाहिये।

कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो जनता के धन के प्रशासन के स्तर के बारे में है। जनता के धन का उपयोग किस प्रकार किया जाये इसके बारे में कोई स्तर होना चाहिये। और भी कुछ बातें हैं जिनका उल्लेख समय की कमी के कारण मैं यहां नहीं करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव पर दो संशोधन हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"कि यह सभा विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर भारत सरकार द्वारा श्री एच० एम० पटेल, श्री जी० आर० कामत और श्री एल० एस० वैद्यनाथन् के मामलों में की गई कार्यवाही पर, जो गृह मंत्रालय के दिनांक २७ मई, १९५९ के संकल्प संख्या एफ० १५/५३ एच० एस० में दी हुई है, विचार करती है और उसका अनुमोदन करती है।"

†**श्री भंजदेव** (क्योंझर) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि यह सभा भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर खेद प्रकट करती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मूल प्रस्ताव और संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

†**श्री पेरूलकर** (थाना) : मैंने इस संकल्प को बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं समझता हूं कि या तो सरकार ने छागला आयोग और बोस बोर्ड के प्रतिवेदनों को ध्यान से नहीं पढ़ा है अथवा यदि पढ़ा है तो उनकी उपपत्तियों को समझा नहीं है अथवा यदि समझा है तो यह संकल्प नेकनीयत से नहीं रखा गया है वरन् अपराधियों को बचाने के लिये रखा गया है। अब हम यह देखेंगे कि इनमें से कौन सी बात ठीक है।

इस संकल्प पर विचार करते हुये हमें निम्नलिखित तीन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे : प्रथम, मूंदड़ा कांड की विशेषतायें क्या हैं ; दूसरे, इस सौदे का उद्देश्य क्या है और तीसरे, अपराधी कौन हैं और उनका अपराध क्या है ?

छागला आयोग तथा विवियन बोस बोर्ड के प्रतिवेदनों में इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। मैं इन दोनों निकायों की उपपत्तियों को स्वीकार करता हूं। श्री छागला और श्री विवियन बोस दोनों ही लब्धप्रतिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। उन्होंने साक्ष्य ले कर ही अपने प्रतिवेदन दिये हैं तथा साक्ष्य के आधार पर सत्य पर पहुंचने में वे दोनों ही सिद्धहस्त हैं।

इन दो संलेखों के अतिरिक्त एक तीसरा संलेख भी है और वह है लोक सेवा आयोग की सिफारिशें। इन तीनों संलेखों को पढ़ कर यही मालूम होता है कि यह संकल्प अपराधियों को विशेषकर श्री पटेल को—बदनामी से बचाने के लिये रखा गया है। यह संकल्प बिना कोई कारण बताये समस्त उपपत्तियों को ठुकरा देता है जो सर्वथा सत्य सिद्ध हो चुकी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री परूलकर]

उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों पर जाने के पूर्व मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि छागला आयोग और बोस बोर्ड दोनों ने यह स्वीकार किया है कि वे पूर्ण सत्य की खोज नहीं कर सके हैं। यदि पूरा पूरा भंडाफोड़ हो सकता तो इस कांड का चित्र और भी अधिक वीभत्स दिखाई पड़ता। बोस बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि बड़े बड़े अधिकारियों ने भी सत्य को छिपाया है और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कन्धों पर डालने का प्रयत्न किया है।

यही नहीं, बोस बोर्ड ने यह भी कहा है कि उसके समक्ष बहुत सी असत्य बातें भी कही गई यही कारण है कि बोर्ड ने यह प्रक्रिया अपनाई कि सब बातों को सामने रख कर यह देखा कि कौन सी बात स्वीकृत अथवा सिद्ध तथ्यों के आधार पर सही बैठती है। खेद है कि अधिकारियों के विरुद्ध इतना स्पष्ट कहा जाने पर भी इस संकल्प में उनकी रक्षा की जा रही है।

अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूं। पहला प्रश्न यह है कि मूंदड़ा कांड की विशेषतायें क्या हैं? बोस प्रतिवेदन में कहा गया है कि मूंदड़ा ने ८० लाख रुपये की मांग की थी जब कि अन्त में उसे १,२६,८५,७५० रुपये दिये गये। प्रतिवेदन के पृष्ठ १५८ पर कहा गया है कि मूंदड़ा के साथ हर बात में बहुत रियायत की गई। भुगतान के हर मामले में उसके पक्ष में सुविधा दी गई और दरें भी वही रखी गई जिनसे मूंदड़ा को सुविधा होती थी। बोर्ड ने पृष्ठ १०२ पर स्पष्ट कहा है कि यह कहां तक उचित कहा जा सकता ह कि कोई व्यक्ति जितना मांगें उसे उससे भी अधिक दिया जाय ?

ये हैं मूंदड़ा कांड की मुख्य विशेषतायें जिनकी उपेक्षा करके यह संकल्प रखा गया हैं जिसमें अपराधियों की रक्षा की गई हैं। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि संकल्प में भी यह स्वीकार किया गया है कि यह सौदा व्यापार के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और अनेक बातों के कारण अनुचित भी है परन्तु फिर भी दोषियों को दंड न दिया जाकर उनकी रक्षा की जा रही है। कैसी विडम्बना है !

इसके बाद मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं अर्थात् इस सौदे का उद्देश्य क्या था? इसके सम्बन्ध में छागला आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कोई खास कारण था जिससे यह कार्यवाही की गई। पृष्ठ ११ में उस कारण को स्पष्ट किया गया है कि इस सौदे का उद्देश्य मूंदड़ा तथा उसके व्यापार-संस्थापनों की सहायता करना था। विवियन बोस बोर्ड ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ १६० में यह कहा गया ह कि सब तथ्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सौदे का उद्देश्य मूंदड़ा की सहायता करना था। फिर पृष्ठ १७३ में यह कहा गया है कि इस सौदे का उद्देश्य जीवन बीमा निगम को लाभ कराना नहीं वरन् मूंदड़ा को उसकी वित्तीय कठिनाइयों से उबारना था। परन्तु खेद है कि इस संकल्प में इस बात को ठुकरा दिया गया है। वैसे मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इस सरकार से और आशा की भी क्या जा सकती थी।

इसके बाद तीसरा प्रश्न ले लीजिये कि अपराधी कौन थे तथा उनका अपराध क्या था? सबसे पहले मैं श्री कृष्णमाचारी को लेता हूं। छागला आयोग और विवियन बोस बोर्ड दोनों के प्रतिवेदनों में उनके अपराधों की सूची दी गई है। श्री छागला के शब्दों में उनका पहला अपराध यह था कि जब उन्हें इस सौदे की जानकारी हुई तब भी उन्होंने श्री पटेल के कार्य का विरोध नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उन्होने उस सौदे का अनुमोदन किया दूसरा अपराध यह है,

जैसा कि बोस बोर्ड के प्रतिवेदन के पृष्ठ २७ में कहा गया है, कि उन्होंने अधिनियम के निदेशों का पालन अथवा श्री देशमुख द्वारा संसद को दिये गये आश्वासन को पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया। उनका तीसरा अपराध उसी प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि जब संसद में ४–६–५७ को एक तारांकित प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसका टालू उत्तर दिया। चौथा अपराध जो पृष्ठ १४७ में दिया गया है, यह है कि उन्होंने आयोग के समक्ष पूर्ण सत्य का उद्घाटन नहीं किया। इस प्रकार के और भी कुछ अपराध दोनों प्रतिवेदनों में गिनाये गये हैं। परन्तु इस संकल्प में क्या कहा गया है ? उसमें कहा गया है कि वह निर्दोष हैं और उन पर केवल वैधानिक जिम्मेदारी आती है। खेद है कि न्यायिक जांचों की उपपत्तियों को ठुकरा कर इस प्रकार की बात कही गई है।

इसके बाद मैं श्री पटेल पर आता हूं। उनके अपराधों की सूची और भी लम्बी है। मैं केवल थोड़े से उदाहरण यहां दूंगा। छागला आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १६ में कहा गया है कि इस सौदे से मुख्य सम्बन्ध श्री पटेल का ही रहा है। फिर बोस बोर्ड के प्रतिवेदन के पृष्ठ ९२ में कहा गया है कि यह सौदा करते समय विशेषज्ञों से उसके औचित्य के सम्बन्ध में सलाह नहीं ली गई। यही नहीं, श्री पटेल ने मंत्री जी को एक पत्र में यह लिखा था कि ये अंश इसलिये खरीदे गये कि वह विनियोजन अच्छा समझा गया था। यह बात गलत सिद्ध हो चुकी है। इसके अतिरिक्त सौदे का मूल्य निर्धारण श्री मूंदड़ा पर छोड़ देना भी एक गम्भीर अपराध है। परन्तु इन सब बातों के बावजूद संकल्प में उन्हें निर्दोष कहा जा रहा है। दोनों आयोगों ने यह कहा है कि बाजार में कोई संकट की स्थिति नहीं थी। परन्तु सरकार ने यह कह कर बात खत्म कर दी है कि बाजार की स्थिति के सम्बन्ध में उनकी धारणा गलत थी।

इस प्रकार यह संकल्प दोनों न्यायिक जांचों की उपपत्तियों की उपेक्षा करता है। वह सरकार की बदनीयती का द्योतक है और मूंदड़ा कांड से भी बड़ा गोलमाल है। यह एक जालसाजी है जो न्यायिक जांचों का उपहास करती है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव के प्रस्तावक द्वारा कही गई इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने प्रारम्भ से ही इस कांड के प्रति ईमानदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। मेरे विचार से सरकार का दृष्टिकोण इस कांड को दबा देने का रहा है। हम चाहते थे कि इस मामले की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय जो सारी छिपी हुई बातों को निकाल कर बाहर लाये। परन्तु सरकार ने वैसा नहीं किया। सरकार ने अपनी इच्छानुसार छागला आयोग नियुक्त किया और उसके निर्देश-पद भी स्वयं निश्चित किये। परन्तु जब उसका प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया। उसके बाद विवियन बोस बोर्ड के बारे में प्रधान मंत्री ने जो बातें कहीं वे सर्वथा अवांछनीय थीं। उसके प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिये थी परन्तु वह भी नहीं कराई गई। अब यह संकल्प रखा गया है जो सर्वथा विचित्र है। मेरे विचार से सरकार ने व्यक्तिगत पक्षपात के कारण ही ऐसा किया है। अन्यथा मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही न की गई होती।

इन आयोगों पर इतना व्यय किये जाने के पश्चात् भी आज क्या स्थिति है ? हम देखते हैं कि अभी तक न दोषी व्यक्ति का पता लगा है और न किसी को दंड दिया गया है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस कांड से कोई लाभ नहीं हुआ है। हां, कांग्रेस को अवश्य लाभ हुआ है जैसा कि विवियन बोस बोर्ड के प्रतिवेदन में कहा गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। किसी व्यक्ति अथवा दल के विरुद्ध कोई आरोप नही लगाया जाना चाहिये जबकि वह अपना स्पष्टीकरण करने के लिये उपस्थित न हो। इसके अतिरिक्त हम जिस व्यक्ति पर कोई दोष लगाते हैं उस दोष के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जाना चाहिये। जब कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये। परन्तु राजनैतिक दलों की आलोचना की जा सकती है क्योंकि उनके प्रतिनिधि यहां हैं जो उत्तर दे सकते हैं। इसलिये मैं उन्हें वैसा कहने से रोक तो नहीं सकता। हां, इतना अनुरोध अवश्य कर सकता हूं कि वह अधिक संयत भाषा का प्रयोग करें।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। परन्तु अरुचिकर होते हुये भी बोस बोर्ड के प्रतिवेदन का यह अपरिहार्य निष्कर्ष है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

जहां तक इस बोर्ड का संबंध है यह ठीक है कि एक न्यायाधीश उसका सभापति था परन्तु उसके निर्देश-पद अत्यन्त सीमित थे। परिणामस्वरूप पूरी सच्चाई प्रकट नहीं हो सकी। बोर्ड ने स्वयं प्रतिवेदन में यह बात कही है। वास्तव में अपराधी का पता नहीं लग सका और न वास्तविक तथ्य ही जनता के सामने आ सका। इसलिये सरकार की कार्यवाही बहुत आपत्तिजनक है और इस सभा में की गई मांग को पूरा नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें बरी कर दिया गया है अपनी सफाई देने को उत्सुक हैं। श्री कृष्णमाचारी ने अपनी सफाई में एक पर्चा छपाया है। मैं नहीं समझता हूं कि उसकी क्या आवश्यकता थी। वह मंत्री भले ही न रहे हों पर सदस्य होने के नाते सभा में आकर अपनी बात कह सकते थे। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है।

परन्तु क्या इन सब सफाइयों के बावजूद वह अपने को उस जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर सकते हैं? आयोग की उपपत्तियों को देखते हुये यह अधिक अच्छा होता कि वह अपनी गलती स्वीकार कर लेते। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? अभी तक यह उलझन चल रही है कि जिम्मेदारी वित्त मंत्री की है या वित्त सचिव की। लोक सेवा आयोग की बात को भी ठुकराया जा रहा है जो एक प्रतिष्ठित संस्था है। सरकार चाहे कुछ भी कहे पर मुख्य जिम्मेदारी भूतपूर्व मंत्री और सचिव की ही है। वे दोनों ही इस नाटक के प्रमुख पात्र रहे हैं।

यहीं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि मंत्री और सचिव का संबंध कैसा होना चाहिये? स्पष्ट है कि यह बहुत औपचारिक नहीं हो सकता। मंत्री सचिव को मौखिक आदेश भी दे सकता है और सचिव को उसका पालन करना होगा। यह ठीक है कि मंत्री हर बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता परन्तु सामान्य जिम्मेदारी से वह नहीं बच सकता। परन्तु आज की स्थिति ऐसी है कि अधिकारीगण जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इसके संबंध में कुछ नियम बनाये जायें।

जहां तक इस मामले का संबंध है, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस सौदे के पूर्व श्री कृष्णमाचारी और श्री मूंदड़ा की भेंट हुई थी? श्री कृष्णमाचारी कहते हैं कि उनके पास इसका कोई लेखा नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

है । सचिवालय का रजिस्टर भी गुम है । इसलिये आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि मंत्री जी को उस सौदे की जानकारी नहीं थी । मैं समझता हूं कि इसमें दोनों का हाथ था--मंत्री का भी और सचिव का भी ।

जहां तक इस संकल्प का संबंध है इसमें कहा गया है कि श्री कृष्णमाचारी की जिम्मेदारी केवल वैधानिक है । परन्तु आयोग के समक्ष जो साक्ष्य दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि २५ और २६ जून को इस सौदे के बारे में श्री कृष्णमाचारी और श्री ए० के० राय की बातचीत हुई थी । इस साक्ष्य के होते हुये सरकार यह कैसे कहती है कि श्री कृष्णमाचारी की जिम्मेदारी केवल वैधानिक है ?

जहां तक श्री पटेल का संबंध है, इस संकल्प में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वह अपराधी हैं अथवा नहीं ? यदि वह अपराधी थे तो उन्हें दंड दिया जाना चाहिये था अथवा यह भी कहा जा सकता था कि पुरानी सेवा को देखते हुये उन्हें क्षमा किया जाता है । परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है ।

इन दोनों के अतिरिक्त दो और अधिकारियों के विरुद्ध भी बोस बोर्ड के प्रतिवेदन में आरोप लगाये गये थे । वे हैं श्री आयंगर और श्री भट्टाचार्य । प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उन्होंने सच बात नहीं बताई और एक ही घटना के पारस्परिक विरोधी बयान दिये । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उन्होंने या तो डर के कारण सच्ची बात नहीं बताई अथवा झिझक के कारण यह बड़ी शोचनीय स्थिति है । आश्चर्य है कि फिर भी ये अधिकारी अपने पदों पर बने हुये हैं ।

अन्त में मैं एक बात और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं । २० फरवरी, १९५८ को इस सभा में जो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था उसमें यह कहा गया था कि सरकार अपने स्वायत्तशासी निगमों के साथ संबंध के बारे में छागला आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जीवन बीमा निगम के विनियोजन तथा अन्य मामलों से संबंधित विनियमों की अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की गई है । इसलिये सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये थी । परन्तु इस संकल्प में केवल इतना कहा गया है कि सरकार और निगम के संबंधों में अत्यधिक औपचारिकता अवांछनीय और अव्यवहार्य है ।

यह ठीक है कि वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि धारा २७क में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है । परन्तु वित्त मंत्री कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है । हम मूंदड़ा कांड के पहले भी वैसा ही करते थे । इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार का कांड भविष्य में फिर हो सकता है । अथवा यदि वह नीति ठीक है तो शासनयंत्र में कोई दोष है और उसे सुधारा जाना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसा न हो सके ।

यदि ऐसा किया जाना है तो मेरा सुझाव है कि विनियोजन मंत्रणा बोर्ड के कृत्यों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जानी चाहिये और उसकी कार्यवाही का विवरण संसद् को उपलब्ध कराया जाना चाहिये । दूसरे मंत्री की जिम्मेदारी केवल वैधानिक ही नहीं वास्तविक होनी चाहिये । जीवन बीमा निगम अन्य निगमों से भिन्न है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट घोषित करे ।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सरकार से वास्तविक शिकायत यही है कि उसने इस मामले में व्यक्तिगत विचारों को प्रधानता दी है । यदि ऐसा न किया गया होता तो श्री कृष्णमाचारी को कभी भी दोषमुक्त नहीं किया जा सकता था ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : इस चर्चा का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है । छागला आयोग और बोस जांच बोर्ड दोनों ही ने कहा है कि वे सौदे अनुचित और व्यापारिक दृष्टि से गलत थे । अब सवाल सिर्फ यही रह जाता है कि तीन अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासन की कार्यवाही के बारे में हमारा क्या मत है ।

श्री माथुर ने कहा है कि इस जांच बोर्ड की उपपत्तियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिये । यह तो ठीक है कि इस बोर्ड के सभापति उच्चतम न्यायालय के एक प्रमुख न्यायाधीश थे, लेकिन बोर्ड की उपपत्तियों को, इसी कारण, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता । इस तरह की जांचों में कुछ अनियमिततायें रह जाती हैं ।

इस जांच में ही देखिये कई गवाहों से जिरह की गई थी, और श्री पटेल ने भी साक्ष्य प्रस्तुत किया था । एक तरह से उनका साक्ष्य श्री कृष्णमाचारी जैसे व्यक्तियों के विरुद्ध पड़ता था । फिर भी श्री कृष्णमाचारी से बोर्ड ने उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछे । जब कि न्याय का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति से उसके विरुद्ध पड़ने वाली परिस्थितियों के बारे में सवाल पूछे ही जाने चाहियें जिससे कि वह उनका स्पष्टीकरण करके अपने को मुक्त करा सके । अन्य गवाहों से इस तरह के सीधे सीधे प्रश्न पूछे गये थे । लेकिन श्री कृष्णमाचारी से नहीं पूछे गये । फिर भी बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन सौदों को मंत्री का मौन या अन्तर्हित अनुमोदन प्राप्त था । लेकिन तब उसके बारे में मंत्री से प्रश्न भी तो पूछे जाने चाहियें । मंत्री को उसके स्पष्टीकरण का अवसर तो दिया जाना चाहिये था । जांच के दौरान में इसी तरह की कई दूसरी अनियमिततायें भी हुई थीं ।

वैसे सभी अन्य व्यक्तियों की ओर से वकीलों ने सफाई पेश की थी, लेकिन मंत्री को ओर से कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ था । ऐसी ही कुछ अनियमितताओं के कारण बोर्ड के निष्कर्ष अपूर्ण रह गये हैं । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जांच बोर्ड के न्यायाधीश सभापति ने निष्पक्षता और ईमानदारी से काम नहीं किया । असल में, ऐसी जांचों के लिये बिलकुल दूसरे ही किस्म की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये । इंगलैंड में भी यह सवाल उठ चुका है । जांच की कोई नियमित पद्धति विहित न होने के कारण ही जांच में ये अनियमिततायें आ जाती हैं । इसलिये उसकी उपपत्तियों को ज्यों का त्यों समूचा स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

संघ लोक सेवा आयोग ने उन सौदों को उचित और व्यापारिक रूप से सही ठहराने की कोशिश की थी । लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया । सरकारी संकल्प के पैरा ७ में यही बात कही गई है । सरकार ने छागला आयोग और बोस जांच बोर्ड की उपपत्तियों को स्वीकार करते हुये, उसी पैरा में कहा है कि उस समय की आर्थिक परिस्थिति के बारे में, उसके मूल्यांकन और उसके निवारण के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में तो मतभेद हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि क्या श्री पटेल ने जो उपाय सदाशय से बताया था वह लोकहित में था ? यह सही है कि जांच बोर्ड ने यही कहा है कि कलकत्ता स्टाक बाजार में उस समय आर्थिक संकट नहीं था । लेकिन यह भी सही है कि संकट की आशंका थी । इससे तो यही सिद्ध होता है कि मंत्री और संबंधित अधिकारियों के प्रस्ताव सदाशयपूर्ण थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप श्री पटेल के उस उत्तर के प्रारूप को तो देखिये जो उन्होंने संसद् में ६ सितम्बर को पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर के लिये तैयार किया था ?

†श्री जगन्नाथ राव : हमें उस सब से यहां मतलब नहीं। यह सभा कोई अपीलीय न्यायालय तो नहीं है। हमारे सामने छागला आयोग की उपपत्तियां हैं, जांच बोर्ड की उपपत्तियां हैं, संघ लोक सेवा आयोग की उपपत्तियां हैं. . . . .

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : मैं पूछता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग कौन होता है हमें उपपत्तियां देने वाला ?

†श्री जगन्नाथ राव : अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, १९५५ के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग ही अनुशासन की कार्यवाही का सुझाव देने का अन्तिम प्राधिकार है। सरकार उसे स्वीकार न करे, यह दूसरी बात है। सरकार ने इस मामले में उसकी सभी उपपत्तियों को स्वीकार भी नहीं किया। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग कोई होता ही नहीं है।

इसलिये जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सरकार ने इन अधिकारियों को जो दंड दिया है, वह पर्याप्त है, या नहीं, तब हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये अधिकारी उस समय किन परिस्थितियों में थे। उनमें से पहली चीज तो उनकी बुरी नीयत का उल्लेख है। दूसरी चीज यह है कि श्री पटेल के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे कि कलकत्ता स्टाक बाजार में उस समय आर्थिक संकट था, उसकी सम्भावना थी। इसलिये कि वित्त मंत्री द्वारा रखे गये १९५७ के आय-व्ययक का बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। और, जीवन बीमा निगम एक विनियोजन-कर्त्ता था, इसलिये वित्त सचिव का इन सौदों की बात सोचना बिलकुल उचित था।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या संघ लोक सेवा आयोग के लिये यह उचित था कि वह दो न्यायिक आयोग की उपपत्तियों को न माने ?

†श्री जगन्नाथ राव : वे न्यायिक आयोग नहीं थे, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। यह सही है कि श्री बोस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन बोर्ड की उपपत्तियां उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की तरह तो नहीं कही जा सकतीं। इसलिये उन्हें मानने या न मानने के लिये संघ लोक सेवा आयोग पूर्णतया सक्षम था। अब इसका निर्णय सभा को करना है कि सेवा आयोग ने उनको न मानकर उचित किया या नहीं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री पटेल ने अपने उस उत्तर के प्रारूप में स्वयं ही कहा था कि शेयरों का सौदा इसलिये किया गया था कि उससे मुनाफे की आशा थी और उस खरीद से कलकत्ता स्टाक बाजार की एक संभावित कठिन परिस्थिति से बचा जा सकता था। इसीलिये आयोग ने आर्थिक संकट की बात को निराधार ठहराया है।

†श्री जगन्नाथ राव : मैं उन उपपत्तियों का समर्थन नहीं करना चाहता। मेरा मत इससे बिलकुल ही भिन्न है।

श्री चतुर्वेदी और श्री भट्टाचार्य ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसमें कहा गया है कि आर्थिक कष्ट की संभावना थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

जांच बोर्ड तो एक गलत आधार पर चला था । बोर्ड का कहना तो यह है कि यह सौदा इसलिये किया गया था कि श्री मूंदड़ा ने कांग्रेस दल को दान में बहुत सारा रुपया दिया था । बोर्ड के पास इसका क्या सबूत है । यह तो एक अनुमान ही है । और यदि ऐसी कोई बात थी तो बोर्ड को श्री कृष्णमाचारी से इसके बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिये थे । लेकिन ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था । और फिर यह भी एक अनुमान ही है कि यदि सरकार श्री मूंदड़ा को उनके दान के लिये कोई फायदा पहुंचाना भी चाहती थी, तो ये सरकारी अधिकारी भी उसमें सहयोगी थे । इसके बारे में श्री पटेल और श्री कामत से भी कोई सवाल नहीं पूछे गये थे ।

इस प्रकार जांच बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया मूल आधार ही गलत साबित हो जाता है । जांच बोर्ड ने बताया है कि श्री वैद्यनाथन श्री मूंदड़ा के कुछ शेयरों के मूल्य मुंह मांगे से भी अधिक देने के लिये बड़ी जल्दबाजी में थे । लेकिन श्री पटेल से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं । इसकी सफाई तो श्री वैद्यनाथन को देनी चाहिये । श्री पटेल का सम्बन्ध तो वहीं तक था, जहां यह तय हुआ था कि शेयरों की खरीद बाजार भाव पर ही की जानी चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार का यह निर्णय बिलकुल सही है कि श्री पटेल को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिये ।

यदि हम पूरे साक्ष्य को देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्णमाचारी के साथ ज्यादती हुई है । वह व्यक्तिगत रूप से इन सौदों के लिये जिम्मेदार नहीं थे । वह संवैधानिक रूप से अवश्य ही सभा के प्रति उत्तरदायी थे, और इसी पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था । इस तरह उन्होंने दूसरों के सामने एक आदर्श रखा है ।

इस मूंदड़ा कांड से हमें सीखना क्या चाहिये ? सबसे पहली चीज तो यह कि सरकार को आगे से जीवन बीमा निगम की स्वायत्तता का पूरा सम्मान करना चाहिये । अधिनियम की धारा २७ का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये । मंत्री की ओर से जो भी निदेश दिये जायें वे लिखित रूप में होने चाहियें । तब उनकी मनमानी व्याख्यायें नहीं की जा सकेंगी । और, मेरा सुझाव है कि जांच आयोग अधिनियम भी त्रुटिपूर्ण है । भविष्य में ऐसी सभी जांचों की जांच एक संसदीय समिति को करनी चाहिये और चर्चा के लिये उसका एक प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । साथ ही, ऐसी चर्चाओं में हमें असैनिक सेवाओं का मनोबल बनाये रखने की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

मेरा मतलब है कि हमें ऐसी चर्चाओं में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों को हावी नहीं होने देना चाहिये । हमें अधिकारियों के आचरण पर वस्तुगत ढंग से विचार करना चाहिये । मेरी अपनी राय है कि इस मामले में माननीय सदस्यों ने इस ढंग से आलोचनायें नहीं की हैं ।

संसद् को ऐसे मामलों पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें इस मूंदड़ा कांड की चर्चा को असैनिक कर्मचारियों पर चोट करने का साधन नहीं बनाना चाहिये ।

मेरा संशोधन है कि सभा को सरकारी संकल्प का अनुमोदन करना चाहिये । मैं अपना संशोधन सभा के सामने रखता हूं ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं तो इस संबंध में हुई विभिन्न जांचों से पैदा होने वाली कुछ सामान्य बातों के बारे में ही कहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सबसे पहली बात तो यह खटकती है कि वित्त मंत्रालय ने संसद के इस अधिनियमन को पूरी तौर से उचित भावना के साथ कार्यान्वित नहीं होने दिया। सभा ने इस अधिनियम द्वारा जो आदेश दिया था, उसे प्रशासित करने वाले व्यक्ति ने ही उसको उठाकर ताक में रख दिया। छागला आयोग ने बताया है कि निदेशक बोर्ड, कार्यपालक समिति और विनियोजन समिति को उचित ढंग से काम नहीं करने दिया गया।

इस सौदे के बारे में, विनियोजन समिति से सलाह तक नहीं ली गई, उसके अनुमोदन की कौन कहे। निदेशक बोर्ड को भी उसकी सूचना बहुत बाद में दी गई थी। छागला आयोग ने स्पष्ट कहा है कि निगम ने विनियोजन समिति के स्पष्ट निदेशों का उल्लंघन भी किया था।

वित्त मंत्रालय ने इस विनियोजन के सिलसिले में संसद् द्वारा पारित अधिनियम की एक भी व्यवस्था का पालन नहीं किया। इसके लिये संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। संबंधित व्यक्ति जो भी हो, इतनी बात तो सच है कि इस सभा के आदेश का पालन नहीं हुआ है। निगम की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की बात तो बहुत छोटी सी है। मैं तो उससे भी गम्भीर बात इसमें देखता हूं। यह कि इस अधिनियम की कोई व्यवस्थाओं का भी पालन नहीं किया गया।

पिछली बार के वाद विवाद के दौरान में श्री फीरोज गांधी ने एक दस्तावेज सभा पटल पर रखा था, जिससे पता चलता है कि मंत्री और मुख्य वित्त सचिव अक्सर ही कर्मचारियों की नियुक्ति और उनको सेवा से हटाने के छोटे छोटे से मामलों में हस्तक्षेप करते रहते थे। इस प्रकार, सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम की व्यवस्थाओं को बिलकुल ही धता बता दी गई थी।

वित्त मंत्री ने अभी हाल में जो वक्तव्य दिया है उससे एक और बड़ी गम्भीर चीज का पता चलता है। यह कि वित्त मंत्रालय ने वित्तीय प्रशासन को आवश्यक सावधानी से नहीं चलाया। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने जीवन बीमा निगम को कुछ बैंकों के शेयर खरीदने की सलाह इसलिये दी थी कि वह जानते थे कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने जा रहा था और उनको काफी अच्छी दर पर प्रतिकर मिलने वाला था। और वह चाहते थे कि प्रतिकर का सारा मुनाफा सिर्फ निजी शेयर होल्डरों को ही न मिले, उसका कुछ भाग निगम को भी मिल जाये। निजी शेयर होल्डरों के लिये, उन्होंने निजी सटोरिये शब्द का प्रयोग किया है।

यानी वित्त मंत्री को पहले से मालूम था कि बैंकों को किस दर पर प्रतिकर दिया जाने वाला है। मानलीजिये कि उन बैंकों को कम दर पर प्रतिकर मिलने वाला होता, तो क्या वे उस दशा में भी उन शेयरों को खरीदने की सलाह देते? क्या वित्त मंत्री के लिये यह उचित था कि वह अपनी सरकारी जानकारी का इस तरह उपयोग करें, कुछ निगमों या संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिये उसका उपयोग करें, और समूची जनता के हित की परवाह न करें? क्योंकि इस प्रकार बैंकों के छोटे मोटे शेयर होल्डरों को ही उनके प्रतिकर से वंचित किया जा सकता था। निजी सटोरिये तो उनसे कहीं अधिक चालाक होते हैं और कहीं अधिक जानकारी रखते हैं, इसलिये वे तो अपने शेयर बेचते ही नहीं।

छागला आयोग के सामने जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री वैद्यनाथन के नाम श्री एच० एम० पटेल का एक पत्र पेश किया गया था। वह पत्र २१ मई, १९५७ को लिखा गया था। सभा में आय व्ययक १५ मई को रखा गया था और उस पत्र में श्री पटेल ने श्री वैद्यनाथन द्वारा

[श्री मुरारका]

१५, १६ और १७ मई को की गई खरीदों का अनुमोदन किया था। श्री वैद्यनाथन को आदेश था कि वह १५ मई से पहले खरीद करलें। इससे सिद्ध होता है कि मुख्य वित्त सचिव आय-व्ययक की अपनी जानकारी का इस प्रकार लाभ उठा रहे थे। उससे वह सिर्फ एक निगम को लाभ पहुंचा रहे थे और जनता को हानि पहुंचाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं तो कहता हूं कि वित्त मंत्री के लिये यह एक बड़ा अनैतिक कार्य था।

मैं इसे एक बहुत ही गम्भीर बात समझता हूं।

इस जांच के दौरान में एक दूसरी बड़ी गम्भीर चीज यह देखने में आई है कि मंत्री से लेकर निजी व्यक्तियों तक सभी ने आयोग के सामने शपथ लेकर भी झूठ बातें कहीं हैं। छागला आयोग और बोस बोर्ड दोनों ही की जांचों से सिद्ध हो गया है कि वित्त मंत्री, रक्षित बैंक के गवर्नर, भारत का राज्य बैंक के सभापति, जीवन बीमा निगम के सभापति और निगम के प्रबन्ध निदेशक जैसे उच्चाधिकारियों ने भी आयोगों के सामने पूरी सचाई नहीं रखी। झूठ बोलने के लिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? यदि देश के इतने बड़े बड़े और जिम्मेदार अधिकारी भी जांच आयोगों को पूरी सचाई नहीं बताते, तो मैं समझता हूं कि इससे उन अधिकारियों की ईमानदारी की पोल खुल जाती है।

और, छागला आयोग ने तो इन सौदों की जरा भी जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों को साक्ष्य देने के लिये आमंत्रित किया था। लेकिन श्री ए० के० राय और श्री बी० के० नेहरू साक्ष्य देने क्यों नहीं गये? इन अधिकारियों ने वित्त मंत्री के त्याग-पत्र के बाद ही बोस जांच बोर्ड में जाकर साक्ष्य दिया था। क्यों? शायद उन्हें श्री कृष्णमाचारी से कुछ भय था। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों में क्या इतना ही दम-खम है।

इन जांचों से हमें दो बातें सीखनी चाहियें। पहली तो यह इस तरह की हर जांच से पहले पुलिस से पूरी-पूरी जांच-पड़ताल करा ली जानी चाहिये; या फिर तथ्यों का पता लगाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। बुरी नीयत का पता तो तभी लागया जा सकता है जब उचित अवस्था पर जांच-पड़ताल शुरू की जाये।

इससे हमें दूसरी यह बात सीखनी चाहिये कि यदि संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रशासकीय अभिकरणों को इन जांच आयोगों के निर्णयों के साथ इतनी खींचतान करने की गुंजाइश हो, तो इन आयोगों के सभापति उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश न बनाये जायें। इससे उनका सम्मान बढ़ता नहीं है।

इस सौदे की एक सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह रही है कि इसके कारण निगम को लाखों रुपयों से, सरकार को अपनी प्रतिष्ठा से, मंत्री को अपने राजनीतिक भविष्य से, मुख्य वित्त सचिव को अपनी नौकरी से और श्री कामत को अपनी वरिष्ठता से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन फिर भी इसके लिये दोषी कोई भी नहीं ठहराया गया है। एक न्यायाधिकरण ने एक तरफ के लोगों को और दूसरे ने दूसरी तरफ के लोगों को निर्दोश करार दिया है।

दूसरी चीज यह है कि किसी भी न्यायाधिकरण ने इस सौदे के एक पहलू को कोई भी अहमियत नहीं दी है। वह यह कि इस निगम ने १·२५ करोड़ रुपयों के ऐसे शेयर खरीदने का

वचन दिया था, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं था, जिन्हें मूंदड़ा की व्यावसायिक संस्थायें भविष्य में सुलभ बनाने वाले थे। ऐसा वचन क्यों दिया गया था? इसकी यदि जांच की जाती तो कुछ और भी दिलचस्प बातों का पता चलता।

छागला आयोग ने इसका उल्लेख करते हुये कहा है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि निगम मूंदड़ा और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं की सहायता करना चाहता था।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : जितनी ज़ोर से इस कांड का धमाका हुआ था उतने ही चुपके से आज इसे समाप्त किया जा रहा है। परन्तु हमें भूलना नहीं चाहिये कि इस प्रकार इस सारे नाटक का अन्त नहीं किया जा सकेगा। क्या दो वर्षों का समय हमने ऐसे ही खो दिया? हमने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी इस सदन में कहा है वह केवल हमने ही नहीं, देश के लाखों व्यक्तियों ने सुना है, और वे लोग सरकार की नीति की ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार हम इस सारे नाटक पर पर्दा डालने जा रहे हैं; उस पर सभी दिशाओं में चर्चा हो रही है।

जब छागला आयोग ने इस मामले की सार्वजनिक रूप से जांच की तो लोगों की इस मामले में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। सारे देश में यह समझा गया था कि प्रथम बार देश के बड़े बड़े लोगों को गलत काम करते हुआ पाया गया। बोस बोर्ड की जांच गोपनीय रखी गयी और लोगों को पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। न ही सम्बद्ध दस्तावेजों का ही समुचित अध्ययन हो सका। अब पता लग रहा है कि जिन लोगों को बोस बोर्ड ने दोषी ठहराया था, उन्हें सरकार द्वारा दोष-मुक्त किया जा रहा है।

छागला आयोग और बोस बोर्ड दोनों ही एक मत थे कि यह सौदा बहुत अनुचित ढंग से हुआ और एक करोड़ रुपये को नष्ट कर दिया गया।

हम लोगों को आश्वासन देते फिरते हैं कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया, अब जीवन बीमा को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये। लोगों को इसमें रुपया लगाना चाहिये क्योंकि उस रुपये की पूरी देख भाल की जायेगी परन्तु हमारे वित्त मंत्री थे कि यह कहते हुये लजाये भी नहीं कि वैद्यनाथन् जो चाहे कर सकते हैं। इस प्रकार की अवस्था में हम किस प्रकार लोगों को मुंह दिखा सकते हैं। सरकार कैसे लोकप्रिय रह सकती है और जीवन बीमा कैसे लोकप्रिय हो सकता है।

मामला बड़ा गम्भीर है और उसे इस प्रकार नहीं छोड़ा जा सकता। छागला आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात्, लोक-सभा में इस आशय का संकल्प वीकार किया गया था कि सरकार छागला आयोग की इस उपपत्ति को स्वीकार करती है कि यह सौदा व्यापार के मूल सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था और अन्य सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल था। फिर यह भी कहा गया था कि आयोग ने सरकार अथवा निगम के लिये जिन सिद्धान्तों के पालन करने की सिफारिश की है उसका पूरी तरह परीक्षण किया जायेगा। बोस बोर्ड ने अपने निर्णय द्वारा इस अपराध की गंभीरता को और बढ़ा दिया। परन्तु लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन उन दोनों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लोक सेवा आयोग यद्यपि दोनों आयोगों की सामान्य सिफारिशों से तो सहमत है परन्तु फिर भी इन लोगों को दोषमुक्त कर देना चाहती है, इन दो अधिकारियों के दोषमुक्त होने पर मामला पुनः सदन में आ जाता है। हमें अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये। श्री छागला और श्री बोस दोनों एक मत हैं कि सारी बातें बताई नहीं गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री याज्ञिक]

कुछ भी हो यह सत्य है कि २ लाख ५० हजार रुपया कांग्रेस कोष में दिया गया और कानपुर की मिल को नुक्सान में चलाया जाता रहा। सामान्य हालात में कोई भी व्यापारी ऐसा करने का साहस न करता। परन्तु यहां तो मूंदड़ा जैसे लोग कांग्रेस के कोष में पैसा देकर बड़े-बड़े लोगों से मिल कर अपना कार्य कर रहे थे।

इन लोगों ने श्री मुरारजी देसाई, श्री मनुभाई शाह, और श्री पटेल के पास गये, श्री कृष्णमाचारी का पीछा किया और अपना उल्लू सीधा किया। मैं हैरान हूं कि ऐसे जनता के धन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को मंत्रियों और जिम्मेवार सचिवों के पास पहुंचने ही क्यों दिया गया? इस देश में आज भी हजारों मूंदड़ा हैं जिनका अभी पता नहीं लगा। ये लोग मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को कुछ चंदा दे कर भी ये लोग आगे आने का प्रयत्न करते हैं। और कई मंत्रियों और सचिवों को अपने पाश में फंसा लेते हैं। हम नहीं चाहते कि यह बातें आगे बढ़ने पावें। मेरा निवेदन है कि इस मामले में पूरी जांच करके जब तक जनता के समक्ष कुछ ठोस परिणाम नहीं रखा जाता, जनता की सन्तुष्टि नहीं हो सकेगी। जीवन बीमा निगम में लोगों का विश्वास हिल जायेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन बीमा को बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी। अतः सरकार को समुचित कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली): मैंने जो भाषण अभी सुने हैं, उनसे मैं कुछ अंशों में सहमत हूं और कुछ अंशों में असहमत हूं। न्यायमूर्ति विविन बोस का प्रतिवेदन पूर्णतः न्यायिक निर्णय नहीं है। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है। मैंने इस सम्बन्ध में सभी साक्ष्यों आदि का अच्छी तरह अध्ययन किया है।

अप्रैल, १९५६ में श्री वैद्यनाथन् ने कुछ प्रस्थापनायें भेजी थीं जिनमें सुझाव दिया गया था कि कुछ मूंदड़ा संस्थाओं में कुछ धन लगाया जाये। २३ अप्रैल, १९५६ को श्री पटेल ने तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख के सामने एक नोट प्रस्तुत किया। उस नोट में उन्होंने कहा था कि इन संस्थाओं में रुपया फंसाना गैर-बुद्धिमानीपूर्ण होगा उस पर श्री देशमुख ने कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि इन संस्थाओं में रुपया लगाया जाना गैर-बुद्धिमानीपूर्ण काम होगा। इस प्रकार जीवन बीमा निगम को एक निदेश मिल गया कि वह मूंदड़ा संस्थाओं के अंशों में अपना रुपया न फंसाये। एक वर्ष बाद जाकर इस निदेश का उल्लंघन किया गया।

इस जांच में जब श्री पटेल से पूछा गया कि इन अंशों के खरीदने की बात सब से पहले आप के दिमाग में कैसे आई, तो श्री पटेल ने बताया कि यह बात मुझे संभवतः श्री चतुर्वेदी (कलकत्ता स्टाफ एक्सचेंज के चेयरमैन तथा जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति के एक सदस्य) ने सुझाई। मूंदड़ा के साथ यह सौदा अप्रैल, में शुरू हुआ था न कि जून में। २३ अप्रैल को ११ लाख का सौदा किया गया था। ध्यान रहे कि वित्त मंत्री श्री देशमुख द्वारा दिये गये निदेश का यह स्पष्ट उल्लंघन था। मुंदड़ा ने भी अपने बयान में कहा था कि श्री चतुर्वेदी ने ही मुझे बम्बई जाने की (२० जून) प्रेरणा दी थी। बाद में श्री चतुर्वेदी ने श्री आयंगर को भी इस सौदे के लिये बधाई दी।

†मूल अंग्रेजी में

अप्रैल, में जीवन बीमा निगम ने मुंदड़ा की संस्थाओं के साथ जो सौदा किया था, उसके बारे में वित्त मंत्री को कुछ भी पता नहीं था। माननीय मंत्री को कुछ भी बताये बिना यह सौदा किया गया था।

श्री पटेल द्वारा दिये गये साक्ष्यों से साफ पता लगता है कि इस सौदे का आरंभ श्री चतुर्वेदी ने किया था और वही शुरू से आखिर तक इस सौदे को चलाते रहे।

जांच में पूछे जाने पर श्री पटेल ने बताया कि उन्हें पता था कि कुछ समवायों के लाभांश बहुत ही कम थे और कुछ ने लाभांश दिये भी नहीं थे। फिर भी श्री पटेल ने उन समवायों में पैसा फंसाने का निर्णय क्यों और कैसे किया ? श्री भट्टाचार्य ने अपने बयान में बताया कि वित्त मंत्रियों के बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री तथा श्री पटेल के बीच बात केवल दो मिनट तक ही हुई थी। जब श्री पटेल ने मूंदड़ा की संस्थाओं के अंश खरीदने की बात वित्त मंत्री के सामने रखी, तो वित्त मंत्री ने यही कहा कि "आप उस पर विचार करलें' इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री पटेल ने माननीय मंत्री को न पूरी जानकारी और न ठीक बात बताई। माननीय वित्त मंत्री को बहुत थोड़ी व गलत बात बताई गई। "आप उस पर विचार करलें" का अर्थ श्री पटेल ने वित्त मंत्री की स्वीकृति समझा। और उसी के अनुसार काम किया। कामत को जीवन बीमा निगम का चेयरमैन बने सिर्फ बीस ही दिन हुये थे। फिर जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस समिति की जिम्मेदारी वैधनाथन् पर थी।

पटेल का स्वयं बयान है कि जब इस सौदे के सम्बन्ध में उन्होंने वित्त मंत्री को बताया तो वित्त मंत्री ने यही कहा कि 'आप उस पर विचार करलें", इस बात को उन्होंने वित्तमंत्री की स्वीकृति समझ लिया। ध्यान रहे कि श्री ए० के० राय ने छागला आयोग के समक्ष कोई गवाही नहीं दी थी। अब जब श्री कृष्णमाचारी मंत्री नहीं रहे तो श्री ए० के० राय ने बोस जांच बोर्ड के सामने बयान देते हुये कहा कि यह सौदा माननीय मंत्री की अनुमति से किया गया था। पर बोस जांच बोर्ड जानता था कि श्री राय की गवाही का क्या महत्व है। उसने उनके बयान को कुछ भी महत्व नहीं दिया। इसी प्रकार इस जांच बोर्ड ने श्री बी० के० नेहरू के वक्तव्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जब कि संघ लोक सेवा आयोग ने इन दोनों गवाहों के बयानों पर विश्वास करके श्री पटेल को बरी कर दिया था। ध्यान रहे ये दोनों श्री पटेल के गवाह थे।

श्री कृष्णमाचारी ने हमेशा यही कहा है कि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज की स्थिति को संभालने के संबंध में मेरा समर्थन नहीं था।

४ सितम्बर को लोक-सभा में डा० राम सुभग सिंह के प्रश्न का उत्तर देते समय वित्त मंत्री ने यही कहा था कि हमें मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि उन्होंने सभा को धोखे में रखा। मैं यह भी मानता हूं कि बाद में सब बातें जब सभा को मालूम हुईं उस समय भी वित्त मंत्री ने सभा को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि इन सब बातों के पीछे श्री पटेल का हाथ था।

बोस बोर्ड के सामने बयान देते समय श्री पटेल ने यह भी स्वीकार किया कि यह सौदा लाभदायक नहीं था। १ करोड़ २५ लाख का सौदा जानबूझ कर ऐसी संस्था के साथ किया गया जिसकी इमानदारी सन्दिग्ध थी। मुझे बहुत खेद है कि इतनी बड़ी गलती को सभा से छिपाया गया।

एक बड़ी अजीब बात देखिये। संघ लोक सेवा आयोग ने श्री पटेल को इस आधार पर मुक्त कर दिया था कि उन्होंने वित्त मंत्री की अनुमति ले ली थी। संघ लोक सेवा आयोग

[श्री फीरोज़ गांधी]

ने श्री कामत को दोषी ठहराया था क्योंकि श्री कामत ने ही श्री पटेल की आज्ञा का पालन करते हुये अंशों का मूल्य ठहराया था। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस बात से कहां तक सहमत होगा कि इसमें सारा दोष श्री कामत का था और श्री पटेल बिल्कुल मुक्त हैं।

मूल्यों के ठहराने के सम्बध में श्री कामत ने, जांच बोर्ड के सामने कहा कि लोक सभा में वाद-विवाद उठने के बाद जब मैंने कागजात देखे तो मुझे पता लगा कि तीन मामलों में मूल्य उससे भी ज्यादा दिये गये थे, जितने कि स्वयं मूदड़ा ने मांगे थे। उन्होंने बयान के दौरान में यह भी कहा कि लोक-सभा में वाद-विवाद हो जाने के बाद वैद्यनाथन् में बहुत परिवर्तन देखने को मिला

मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि मूदड़ा दिल्ली आया करते थे। वह मंत्रियों तथा मंत्रालय के पदाधिकारियों से मिला करते थे। श्री सोंधी की कई डायरियां मिली हैं। मूदड़ा इन्हीं से प्रायः मिला करते थे। कई डायरियां जांच बोर्ड के समने भी पेश की गयीं पर श्री कृष्णमाचारी के विरुद्ध कुछ भी नहीं मिला। अतः मेरा निवेदन है कि इस सारे प्रतिवेदन में कहीं भी ऐसी बात नहीं जिसके आधार पर श्री कृष्णमाचारी के ऊपर यह आरोप लगाया जा सके कि उनकी इच्छा से जीवन बीमा निगम का पैसा मूदड़ा की संस्थाओं का अंश खरीदने में लगाया गया।

एक बात और ध्यान देने लायक है। जब यह सारा सौदा हो गया तो कामत बम्बई में श्री कृष्णमाचारी से मिले। जीवन बीमा निगम के मामलों के संबंध में श्री कामत ने वित्त मंत्री से बात-चीत व परामर्श किया। पर माननीय मंत्री ने इस मूदड़ा सौदे के संबंध में कोई बात नहीं पूछी। स्पष्ट है कि वह मूदड़ा सौदे के लिए इच्छुक या आतुर नहीं थे। पर श्री कामत ने स्वयं भी उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। श्री कृष्णमाचारी को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। यदि वह इस सौदे के लिए आतुर व इच्छुक होते तो वे श्री कामत से इसके बारे में अवश्य पूछताछ करते।

श्री पटेल को इस आधार पर मुक्त कर दिया गया है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन किया था। (क्योंकि उनका कथन है कि श्री कृष्णमाचारी ने इस सौदे की अनुमति दे दी थी।) पर श्री कामत को इसी आधार पर दण्ड दिया गया कि है उन्होंने अपने अधिकारी (श्री पटेल) की आज्ञानुसार मदड़ा सस्था के साथ सौदा किया। यह भी क्या न्याय है कि उसी आधार पर श्री पटेल को मुक्त किया जा रहा है और श्री कामत को दण्ड दिया जा रहा है।

सरकार के संकल्प में कहा गया है कि मंत्री की केवल संवैधानिक जिम्मेदारी थी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि तथ्य संबंधी जिम्मेदारी सचिव पर है पर मंत्री की केवल संवैधानिक जिम्मेदारी है। या तो यह कहा जाय कि पटेल अपराधी थे और श्री कृष्णमाचारी की सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी थी अथवा यदि श्री पटेज को मुक्त कर दिया गया है तो हमें इस संकल्प से ये शब्द भी निकाल देने चाहिए कि मंत्री की केवल संवैधानिक जिम्मेदारी थी।

मैं समझता हूं कि इस सौदे से जिन जिन लोगों का संबंध था, उन सभी लोगों ने वित्त मंत्रालय की इज्जत को धब्बा लगाया है। मैं समझता हूं कि सरकार के प्रशासकीय विभाग को इस से शिक्षा मिलेगी। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि अन्य किसी सरकारी विभाग में चाहे जो भी गड़बड़ी हो पर आगामी एक शताब्दी तक अब जीवन बीमा निगम कदापि भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा।

†श्री भंजदेव: मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग से सेवा तथा आचार नियमों के अधीन यह पूछा गया कि बोस बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुसार असैनिक सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। आयोग ने इस संबंध में जो प्रतिवेदन दिया है उस में उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। क्योंकि उन्होंने वैधानिक दायित्व से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिन से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस सारे मामले का पुनरीक्षण किया है। उनके प्रतिवेदन के आधार पर ही श्री कृष्णमाचारी ने पुनः संवाददाताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य दिया है जिस से यह मामला पुनः उठ खड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री ने भी इस संबंध में यह कहा है कि यदि आज श्री कृष्णमाचारी मंत्री होते तो इस आयोग के प्रतिवेदन के अधीन उन्हें त्यागपत्र न देना पड़ता। यदि ऐसा ही है तो अन्ततः इस सारी बात के लिये दोषी कौन है ?

हमने इस बात का पता लगाने के लिए बम्बई उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री छागला की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया तत्पश्चात् श्री विवियन बोस की अध्यक्षता में एक जांच बोर्ड बैठा। उसके पश्चात भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वस्तुतः इस सौदे के लिये वैधानिक रूप से दोषी कौन है। समझ में नहीं आया कि यह मामला पुनः संघ लोक सेवा आयोग को क्यों सौंपा गया।

हम अपने देश में समाजवादी प्रकार की सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। अतः आज हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम भविष्य के लिये ऐसे सिद्धांत निर्धारित करें जिस से मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों का दायित्व स्पष्ट हो जाय। जिस से उन्हें अपने कार्य में सुविधा रहेगी। हमारी अधिकांश परम्परायें इंगलेंड के आधार पर निर्मित हैं। इंगलेंड में भी इसी प्रकार का मामला १९५४ में हुआ था जिसे क्रिचेल डाउन का मामला कहते हैं। उस मामले में एक मंत्री को त्याग करना पड़ा और जो सरकारी कर्मचारी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त थे उनके ऊपर उचित कार्यवाही की गई। मैं इस मामले को संक्षेप में सभा के सामने रक्खूगा। यह प्रतिवेदन १५ जून १९५४ को प्रकाशित हुआ। २० को कृषि मंत्री श्री डगडेल ने भाषण दिया और तत्पश्चात् पद त्याग करने की घोषणा की। अगले दिन दोनों संसदीय सचिवों ने भी अपणे पद स त्याग पत्र से दे दिया इस के पश्चत् सर जोन वुड की अध्यक्षता में एक समिति बैठी जो इस निश्चय पर पहुची की मिस्टर ईस्ट वुड (राज भूमि के आयुक्त) का किसी अन्यत्र विभाग में हस्तान्तरण कर दिया जाय। इस मामले की आलोचना करते हुए समाचार पत्र में यह कहा गया है कि संसदीय प्रणाली में किसी भी विभाग के कार्य की वैधानिक जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्री की रहती है। इसलिये यह परम्परा है कि संसद् में किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य की आलोचना नहीं अपितु मंत्री की आलोचना की जाती है। निगमित प्रकार के विभागों का दायित्व भी मंत्री के ऊपर निर्भर करता है। सरकार के प्रत्येक कार्य का दायित्व मंत्री पर है, संसदीय सचिव व अन्य सरकारी अधिकारी मंत्री को न दी गई शक्ति के अधीन कार्य करते हें। यदि मंत्री अपने विभाग में किसी कर्मचाकी के कार्य से संतुष्ट नहीं हे तो उसे चाहिये कि उस के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करे।

सभा में होने वाले सरकारी विभागों की आलोचना के संबंध में डेविड मैक्सवेलफाइफ ने चार सिद्धान्त स्थिर किये हैं। मैं संक्षेप में उन्हें यहां उद्धृत करना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं। पहिला यदि सरकारी कर्मचारी मंत्री के स्पष्ट आदेश से कोई कार्य करता है तो मंत्री को उसे संरक्षण देना चाहिये।

दूसरा यदि कोई सरकारी कर्मचारी मंत्री की नीति के अनुसार कार्य करता है तो उसे संरक्षण देना या समर्थन करना मंत्री का कर्तव्य है। यदि कोई असैनिक कर्मचारी किसी कार्य में विलम्ब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भंजदेव]

करता है तो मंत्री को चाहिये कि वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। चौथे यदि कोई असैनिक कर्मचारी कोई ऐसी कार्यवाही करता है जिसकी मंत्री को कोई जानकारी नहीं है तो मंत्री उसका समर्थन नहीं कर सकता तथापि उस कार्य की वैधानिक जिम्मेदारी मंत्री की ही होगी।

इसलिये मैं सभा से निवेदन करता हूं कि हमें मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य के वैधानिक दायित्व के संबंध में स्पष्ट सिद्धान्त निर्धारित कर लेने चाहियें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होनें पावें।

†**श्री महन्ती :** श्री फीरोज गांधी ने अपने प्रभावशाली भाषण में जो कुछ भी कहा है, उसके बाद हमारे लिये कुछ कहने को नहीं रह जाता, तथापि मैं मामले के दो पहलुओं की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन में से पहली बात यह है कि हमें संविधान के अनुच्छेद ३२० की सीमा तथा क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिये। वस्तुतः इसी अनुच्छेद के अधीन इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के सुपुर्द किया गया। मेरे विचार से इस मामले के प्रयोजन के लिये अनुच्छेद की धारा (ग) की व्याख्या गलत की गई है। इसके पूर्व जो भी मामले इस आयोग को दिये जाते थे वह इस प्रकार के होते थे कि उन में विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी थी। केवल यह देखने के लिये कि एक बार उनके निर्णय पर निष्पक्ष विचार हो सके ये मामले आयोग के सुपुर्द किये जाते थे। अधिकांश मामलों में आयोग ने कार्यपालिका की सिफारिश का समर्थन किया था।

यह मामला अन्य मामलों से भिन्न है। इस मामले में केवल विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। अपितु देश के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो आयोग बैठ चुके हैं और दोनों आयोगों ने उन कर्मचारियों को दोषी प्रमाणित किया है। लेकिन आयोग ने उच्चतम न्यायालय का दर्जा लेकर अपना पृथक् निर्णय दिया। उन्होंने किसी प्रकार की गवाहियां नहीं लीं। तथापि वे उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जो कि पहिले दो आयोगों के सामने थे इस निर्णय पर पहुंचे कि पहिले दोनों आयोगों के निर्णय गलत थे। इस से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यह एक प्रकार का षड़यंत्र था जो कि दोनों आयोगों द्वारा दोषी ठहराये गये अधिकारियों को बचाने के लिये किया गया। निस्संदेह यह संघ लोक सेवा आयोग के लिये लज्जा की बात है। वस्तुतः उन्होंने इन अधिकारियों को मुक्त कर के जो कार्य किया है वह मूंदड़ा कांड से भी निन्दनीय है।

अब मैं एक दूसरे पहलू को लेता हूं। सरकार द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत कर छागला आयोग के प्रतिवेदन तथा उसके निर्णयों को स्वीकार किया गया था। छागला आयोग के प्रतिवेदन में यह बात भी शामिल थी कि सरकार तथा स्वायत्तशासी निगमों के बीच किस प्रकार का संबंध रहे इस के सम्बन्ध में छागला आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यदि सरकार निगमों को कोई आदेश देना चाहती है तो वह लिखित रूप में दिया जाय। अब इसी प्रश्न पर सरकार ने एक दूसरा संकल्प रखा है। उस में स्वायतशासी निगमों और उरकार के संबंधों के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि सरकार अनौपचारिक चर्चाओं और बैठकों के द्वारा भी निर्देश दे सकती है। इसका आशय यह है कि संसद् के एक निश्चित आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस प्रकार विधि के एक सर्वमान्य सिद्धान्त और उसके निश्चित उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एक

†मूल अंग्रेजी में।

ऐसा संकल्प प्रस्तुत कर सकती है जो कि सभा द्वारा दिये गये पहिले आदेश के प्रतिकूल हो। वस्तुतः यह सभा के विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है ।

अतः मैं चेतावनी देता हूं कि यदि सरकार इसी प्रकार काम करेगी तो संसदीय प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाय। यदि सरकार सदस्यों को अपना मत स्वतंत्र व्यक्त करने की स्वतंत्रता दे तो यह संकल्प कभी पारित नहीं हो सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्री फीरोज गांधी ने अपने भाषण में यह कहने का प्रयत्न किया है कि श्री कृष्णमाचारी बिल्कुल निर्दोष थे। जब कि साक्षियों के आधार पर श्री बोस ने उन्हें दोषी प्रमाणित किया है। यदि हम फीरोज गांधी की बात मानें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे श्री बोस से भी बड़े न्यायाधीश हैं।

आयोग ने श्री पटेल और श्री वैद्यनाथन् के बारे में यह आरोप लगाया है कि उनका साहस बढ़ता जा रहा था। और वे लोग विनियोजन समिति की उपेक्षा करने लगे थे। वस्तुतः श्री पटेल का नाम कई घोटालों से संबंधित है सरकार को चाहिये कि वह उन घोटालों के बारे में जनता के संदेह को दूर करे।

प्रश्न यह होता है कि मूंदड़ा को वह रुपया क्यों दिया गया ? इस संबंध में बोस जांच आयोग ने लिखा है कि मूंदड़ा ने केंन्द्रीय कांग्रेस दल को एक लाख रुपया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस दल को ढेड़ लाख रुपया चुनाव शुरू होने के पहिले दिया था। साथ ही प्रतिवेदन में आगे जाकर यह भी लिखा गया है कि मूंदड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि बिना किसी लाभ की आशा के इतनी राशि दान में देता। उसे मिलों के संबंध में सहायता की पूरी आशा दिलाई गई थी ।

म श्री बोस का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने भय और दबाव की चिन्ता किये बिना एक सच्चा प्रतिवेदन सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस संकल्प से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमारे देश में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

[इस के पश्चात लोक-सभा मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९/१७ भाद्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

१६ भाद्र, १८८१ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३२९—५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
११७९	दिल्ली के लिये बृहत्तर योजना	३३२९—३०
११८०	नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की उपसमिति	३३३०—३१
११८१	विशाखापटनम पत्तन	३३३१—३२
११८२	विभाग द्वारा भाड़े की दरें	३३३२—३३
११८३	दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में जल का उपभोग	३३३३—३५
११८४	पर्ल बैंक्स का सर्वेक्षण	३३३५
११८६	कटक में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये राज सहायता प्राप्त होस्टल	३३३५—३७
११८७	मद्रास खाद्यान्न बिक्रेता लाइसेंस आदेश	३३३७—३८
११८८	दिल्ली में जल संभरण	३३३८—३९
११८९	हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र	३३३९—४०
११९०	नौसेना प्रशिक्षण स्कूल, रत्नगिरी	३३४०—४१
११९१	दिल्ली में आंधी से रेलवे सम्पति की क्षति	३३४१—४२
११९२	दिल्ली-कुल्लु विमान सेवा	३३४२—४३
११९३	चांदबली पत्तन	३३४३—४४
११९४	गोहाटी मे रेल दुर्घटना	३३४४—४५
११९५	बीकानेर में टिड्डी अनुसंधान प्रयोगशाला	३३४५—४६
११९६	गवालियर और भोपाल में टेलीफोन एक्सचेंज	३३४६—४७
११९८	बरेली स्टेशन पर बिना टिकट सैनिक	३३४७—४९
११९९	गोविन्द सागर झील	३३४९—५०
१२००	मूंगफली और अरंड की खली	३३५०—५१
१२०१	सुखाये हुए दूध का वितरण	३३५१—५३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	चीनी सेनाओं द्वारा गिरफतार किये गये भारतीय	३३५४—५६
१३	सिंगारेनी कोयला खान	३३५६—५७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३३५७—३४१२

तारांकित
प्रश्न संख्या

११८५	राजस्थान नहर . . .	३३५७
११९७	भारतीय रेलवे द्वारा लम्बी गाड़ियां चलाने के प्रयोग .	३३५७—५८
१२०२	बल्लूरघाट हवाई अड्डे पर रात्रि-उडड्यन की सुविधायें	३३५८
१२०३	मालवाही विमान में तेजाब का पकड़ा जाना	३३५८—५९
१२०४	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर	३३५९
१२०५	वाणिज्य पोत प्रशिक्षण बोर्ड	३३५९—६०
१२०६	अन्दमान से रेलवे स्लीपर . .	३३६०
१२०७	नदी घाटी परियोजनाओं का प्रशासी लेखा परीक्षण	३३६०
१२०८	अनाज संग्रहण प्रशिक्षण तथा गवेषणा केन्द्र, हापुड़	३३६०—६१
१२०९	'जवाहर सुरंग' .	३३६१
१२१०	इस्पात के सवारी -डिब्बे .	३३६१—६२
१२११	मलाड स्टेशन पर यात्रियों पर लाठी चार्ज .	३३६२
१२१२	आसाम को विद्युत् संभरण	३३६२
१२१३	त्रिपुरा में चावल का संभरण	३३६३
१२१५	हरी खाद	३३६३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२१८	आलू . .	३३६३—६४
२२१९	पर्यटकों के लिये विश्राम गृह . . .	३३६४
२२२०	काश्मीर में अवकाश निकेतन . .	३३६४
२२२१	भारतीय रेलवे	३३६४
२२२२	पंजाब में गोदाम . . .	३३६५
२२२३	पंजाब में से चावल व धान का निर्यात	३३६५—६६
२२२४	दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन .	३३६६—६७
२२२५	भारतीय रेलों पर इंजन फेल होने की घटनाएं	३३६७
२२२६	यात्री सुविधायें	३३६७—६८
२२२७	दिल्ली-गुड़गांव सेक्शन पर रेल द्वारा लिया जाने वाला समय	३३६८
२२२८	पंजाब में बिजली व संबंधी सुविधाओं का विस्तार	३३६९
२२२९	बम्बई में कन्द्रीय भांडागार . .	३३६९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२३०	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भोजन बिक्रेता	३३६६—७०
२२३१	आन्ध्र प्रदेश के लिये रेल के डिब्बे	३३७०
२२३२	आन्ध्र प्रदेश में बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण	३३७०
२२३३	विजयवाड़ा के लिये विमान सेवा	३३७१
२२३४	दिल्ली और कलकत्ता के बीच रेलवे लाइन	३३७१
२२३५	कलकत्ता-मद्रास मेल	३३७१
२२३६	आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी मिले	३३७२
२२३७	आसाम में राष्ट्रीय राजपथ	३३७२
२२३८	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	३३७२—७३
२२३९	उड़ीसा में परिवार नियोजन	३३७३
२२४०	ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट	३३७३—७४
२२४१	वायु-मंडलिक शोर का अध्ययन	३३७४
२२४२	बिहार में सहकारी चीनी कारखाना	३३७४—७५
२२४३	प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता	३३७५
२२४४	पंजाब के नगरों व दिल्ली के बीच सीधा टेलीफोन संबंध	३३७५—७६
२२४५	राज्यों में बिकास योजनायें	३३७६
२२४६	खाद्यान्न संग्रहण सलाहकार समिति	३३७६
२२४७	पश्चिमी जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मंडल	३३७७
२२४८	पंजाब में नल कूप	३३७७—७८
२२४९	अन्तर्राज्यिक माल यातायात	३३७८
२२५०	पंजाब में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	३३७८—७९
२२५१	रेलगाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़	३३७९
२२५२	कोटा में माल-डिब्बे मरम्मत करने का कारखाना	३३७९
२२५३	दिल्ली में अस्पताल	३३७९
२२५४	पंजाब में कपास विस्तार योजना	३३७९—८०
२२५५	हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनायें	३३८०
२२५६	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	३३८०
२२५७	दामोदर घाटी निगम	३३८१
२२५८	मध्य रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना	३३८१
२२५९	मध्य रेलवे में चलते-फिरते पुस्तकालय	३३८१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२६०	उड़ीसा के नगरों में जल संभरण योजनायें	३३८२
२२६१	उड़ीसा मे क्षय रोग	३३८२
२२६२	दिल्ली जंकशन पर शिकायतें	३३८२–८३
२२६३	पश्चिमी यमुना नहर	३३८२–८३
२२६४	पंजाब मे पानी का इकट्ठा हो जाना	३३८४
२२६५	क्षेत्रीय रेलव प्रयोक्त्ता सलाहकार समिति	३३८४
२२६६	पंजाब में औद्योगिक विकास	३३८४–८५
२२६७	लेक डिपो गोदाम, कलकत्ता	३३८५
२२६८	बुकिंग आफिस	३३८५
२२६९	हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक के उप-निदेशक	३३८६
२२७०	शिमला में आयुर्वेदिक कालिज	३३८६
२२७१	रेलवे में मितव्ययता	३३८६–८७
२२७२	बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति	३३८७
२२७३	जामा मस्जिद और फतहपुरी मस्जिद	३३८७
२२७४	टेलीफोन के कनक्शन	३३८७–८८
२२७५	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर योजना	३३८८–८९
२२७६	मनीपुर में सहकारी समिति	३३८९
२२७७	इम्फाल के हस्पताल में नर्सों के लिये क्वार्टर	३३८९–९०
२२७८	पूर्व-रेलवे का भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग	३३९०
२२७९	एप्रैटिस मैकेनिकों की भर्ती	३३९०
२२८०	राजस्थान में पानी की कमी	३३९०–९१
२२८१	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	३३९१
२२८२	रेलवे कर्मचारियों को दण्ड	३३९१
२२८३	हिमाचल प्रदेश में बिना खेती की गई भूमि	३३९१–९२
२२८४	राजगढ़ में पीने के पानी का सम्भरण	३३९२
२२८५	हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग के मरीज	३३९२–९३
२२८६	मुर्गी पालकों में सहकारिता आन्दोलन	३३९३
२२८७	बत्तख पालन	३३९३
२२८८	मुर्गी पालन	३३९३–९४
२२८९	आसाम में चीनी के मूल्य में वृद्धि	३३९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२९०	बीकानेर रेलवे वर्कशाप .	३३९५
२२९१	बीकानेर डिवीजन के लिये कर्मचारियों की भर्ती	३३९५
२२९२	बर्ड एण्ड कम्पनी . .	३३९५–९६
२२९३	पंजाब के चावल की वसूली	३३९७–९८
२२९४	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना .	३३९८–९९
२२९५	उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन विकास योजना	३३९९–३४००
२२९६	रायगढ़ में रेलवे भूमि . .	३४००
२२९७	मध्य प्रदेश में चावल की मिलें .	३४००–०१
२२९८	नंगल-दिल्ली विमान सेवा .	३४०१
२२९९	उड़ीसा के लिये डाक तथा तार समितियां तथा बोर्ड	३४०१–०२
२३००	उड़ीसा में नदियों पर पुल . .	३४०२
२३०१	सामुदायिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन मिशन	३४०२
२३०२	पुलों के निर्माण के लिये राज्यों को सहायता	३४०२–०३
२३०३	गन्ने की काश्त की लागत	३४०३
२३०४	सुरैमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच पटरी की सुरक्षा	३४०४
२३०५	पंजाब में तार सुविधायें . .	३४०४
२३०६	अन्तर्शासकीय सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन का सम्मेलन	३४०५
२३०७	उर्वरक आयात .	३४०५
२३०८	वन उद्योग .	३४०५
२४१०	लाचीपुर केबिन में दुर्घटना . . .	३४०६
२३११	पेराम्बूर के सवारी डिब्बे बनाने के कारखाने के श्रमिकों के लिये क्वार्टर . . .	३४०६–०७
२३१२	सिगनलरों की पदोन्नति . .	३४०७
२३१३	दिल्ली नगर आयोजन संस्था	३४०७
२३१४	खाद्यान्न की ढुलाई	३४०७–०८
२३१५	इटावा जिले में डाकघर	३४०८
२३१६	क्विलोन-एरनाकुलम् लाइन . . .	३४०८
२३१७	कांडला में व्यापारियों द्वारा रेलवे के साथ धोखेबाजी	३४०९
२३१८	यमुना के बहाव में परिवर्तन	३४०९
२३१९	गाड़ी की टक्कर	३४०९–१०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२३२० चीनी का मूल्य . . .	३४१०
२३२१ हिन्दी में रेलवे स्टेशनों के नाम .	३४१०
२३२२ विशेष पुलिस दल द्वारा ठेकेदारों पर छापे .	३४१०
२३२३ रेलवे सम्पत्ति की चोरी . .	३४११
२३२४ शिलांग में विमान सेवा . .	३४११
२३२५ राजस्थान को चीनी का सम्भरण . .	३४११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३४१२—१५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) श्वेत-पत्र की एक प्रति, जिसमें १९५४–५९ में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुये करार तथा दोनों सरकारों द्वारा आदान-प्रदान किये गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये हुये हैं।

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६८ की एक प्रति ।

(३) मई, १९५९ में जेनेवा में हुई बारहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(४) मोटर गाड़ियां अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ९ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ १२(१४२) ५५-ट्रांसपोर्ट की एक प्रति

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८० की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश	३४१६

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने श्री कैलाश बिहारी लाल के अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त समिति को सौंपने का एक प्रस्ताव पारित

विषय	पृष्ठ
राज्य-सभा से संदेश—(क्रमश)	
किया है और अनुरोध किया है कि लोक सभा भी उक्त प्रस्ताव से सहमत हो ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३४१६—२१
सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने भाखड़ा बांध की एक सुरंग के हॉयस्ट चैम्बर में २१ अगस्त, १९५९ को हुई दुर्घटना से क्षति के बारे में एक और वक्तव्य दिया और भाखड़ा बांध के सलाहकार बोर्ड के सोलहवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी	
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत .	३४२१
दसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	३४२१—४१
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जीवन बीमा निगम जांच के बारे में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन, उस पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श और भारत सरकार के दिनांक २७ मई, १९५९ के संकल्प पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया . चर्चा समाप्त नहीं हुई	
गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५९/१७ भाद्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—	
जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर भी विचार ।	

———